मासिक

शिविरा

पत्रिका

वर्ष : 59 | अंक : 05 | नवम्बर, 2018 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹15

चित्रवीथिका : माह नवम्बर, 2018

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर परिसर में दिनांक 14 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छता अभियान में क्रियाशील स्वयंसेवी संगठन **Hour For Nation** एवं स्काउट गाइड के कार्यकर्त्ताओं के साथ निदेशक श्री नथमल डिडेल, अधिकारीवृन्द एवं कार्मिकगण।

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 59 | अंक : 5 | कार्तिक-मार्गशीर्ष कृ. २०७५ | नवम्बर, 2018

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

❁

वरिष्ठ सम्पादक
संतोष शर्मा

❁

सम्पादक
गोमाराम जीनगर, मुकेश व्यास

❁

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

❁

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ **15**

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in
shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **-वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- स्वच्छता और शिक्षा 5

आलेख

- कलि तारण गुरु नानक आया 6
  हरप्रीत सिंह कंग
- दीपोत्सव 8
  मनीषा शर्मा
- समय का सदुपयोग 9
  महेश चन्द्र श्रीमाली
- सबसे उम्दा विद्यार्थी जीवन 10
  सुभाष चन्द्र कस्वाँ
- विद्यालयी शिक्षा में भारत भक्ति : कुछ प्रयोग 11
  विक्रान्त खण्डेलवाल
- English Alphabetic Puzzles 13
  Om Prakash Tanwar
- उद्‌बोधन व बाल सभा का महत्त्व 14
  राजेन्द्र कुमार पंचाल
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 39
  डॉ. डी.डी. गौतम

मासिक गीत

- जीवन दीप वर्तिका तन की... 13
  साभार-**'राष्ट्र वन्दना' पुस्तक से**

रपट

- मेरी जापान यात्रा के अविस्मरणीय पल 42
  डॉ. कल्पना शर्मा

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश-परिपत्र 15-38
- पञ्चाङ्ग (नवम्बर, 2018) 38
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 38
- शाला प्रांगण 48
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50
- व्यंग्य चित्र-**रामबाबू माथुर** 10, 12, 41

पुस्तक समीक्षा 45-47

- चेखव की बंदूक
  लेखक : बुलाकी शर्मा
  समीक्षक : **डॉ. प्रमोद कुमार चमोली**
- उकळती ओकळ सूं उपज्या आखर
  संपादक : रवि पुरोहित
  समीक्षक : **ओम प्रकाश सारस्वत**
- आत्म-दीप बनें
  कवयित्री : डॉ. बसन्ती हर्ष
  समीक्षक : **रामजीलाल घोड़ेला**

मुख्य आवरण :

नारायणदास जीनगर, बीकानेर

विभागीय वेबसाइट : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

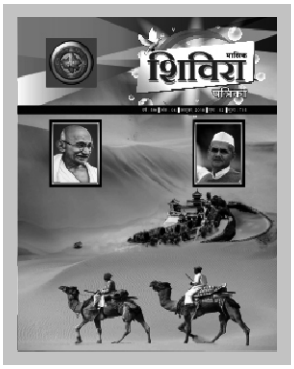

▼ चिन्तन

एतद्देश प्रसूतस्य
सकाशादग्र जन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रम् शिक्षेरन्
पृथिव्यां सर्वमानवाः।।

अर्थात्- इस देश (भारत) में जन्म लेने वालों ने इस सम्पूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत कर शिक्षित और संस्कारित किया है।

(मनुस्मृति-2/20)

पाठकों की बात

- बापू और शास्त्री जी के चरित्र एवं विचारों की वाहक बन माह अक्टूबर 18 की शिविरा पत्रिका पाकर मन पुलकित हुआ। पत्रिका का आगाज ही निदेशक महोदय के 'चरित्र निर्माणःअहिंसक समाज' के संदेश से हुआ, जिसका सपना गाँधीजी व शास्त्री जी ने संजोया था। माह सितम्बर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह पर रपट शिक्षक वर्ग के प्रति समाज में सम्मान के भाव को प्रकट करती है जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री महोदया ने भी गौरव के साथ शिक्षकों के योगदान को सराहा एवं कहा कि प्रदेश आज स्कूली शिक्षा में देश में दूसरे पायदान पर पहुँचा है तो यह सिर्फ शिक्षकों के योगदान से ही सम्भव हो पाया है। प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित डॉ. सुमन जाखड़ एवं इमरान खान पर प्रकाशित आलेख प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाले सिद्ध हुए है। गाँधीजी के चंपारण आन्दोलन, शास्त्री जी के प्रेरक जीवन प्रसंग एवं गणेश शंकर विद्यार्थी पर प्रकाशित आलेख प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाए जाने वाले विचार हैं जो विद्यार्थियों के जीवन में पथ-प्रदर्शक की भूमिका निर्वाह में मददगार होंगें। हर बार की तरह आदेश-परिपत्र एवं अन्य स्थाई स्थम्भ शिक्षक जगत के लिए उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। टीम शिविरा को साधुवाद।

-महेश कुमार, हरिपुरा, झुंझुनू (राज.)

- 'मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया,' माह अक्टूबर की शिविरा पत्रिका हाथ में आते ही उक्त पंक्तियाँ एकाएक मन में दोहराइ गई। अंक में प्रकाशित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की रिपोर्ट एवं झलकियों में उक्त पंक्तियाँ चरित्रार्थ होती पाई गई कि कैसे एक-एक शिक्षक के योगदान के कारण शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सम्पूर्ण राष्ट्र में 26 वें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुँच गया और इसी उपलब्धि से उत्साहित होकर माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने भी शिक्षकों से नए राजस्थान के आर्किटेक्ट बनने का आह्वान किया। देश के जननायकों यथा अहिंसा एवं शांति के दूत महात्मा गाँधी, लालबहादुर शास्त्री तथा गणेशशंकर विद्यार्थी के जीवन को बताते मार्गदर्शक लेख उपयोगी प्रतीत हुए। अविनाश चौधरी का 'स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय : अभिनव पहल' आलेख नवीन जानकारी तथा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के आदर्श प्रतिमान को उल्लेखित करता नज़र आया। प्रमोद दीक्षित 'मलय' की रचना दीवार पत्रिका द्वारा 'बच्चों में रचनात्मकता वृद्धि' प्रारम्भिक शिक्षा में एक कम लागत का उपयोगी नवाचार बताता है। बच्चों की अद्वितीय प्रतिभा का हिमायती लेख, 'बालमन को तराशता है- बाल रंगमच', बच्चों को अध्ययन के साथ-साथ अन्य रचनात्मकता के प्रति भी तराशने की ओर ध्यान दिलाता है। पत्रिका का संकलन, संपादन श्रेष्ठ बन पड़ा है। सम्पादक मण्डल को चाहिए कि आलेख या रचना के साथ लेखक का छोटा फोटो भी साथ में प्रकाशित करे।

-विकास चन्द्र 'भारु', बीकानेर

- प्रत्येक माह की तरह अक्टूबर 2018 का शिविरा अंक अपनी नवीन साज सज्जा एवं आवरण के साथ समय पर मिला। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मुखावरण पर प्राथमिक से संजोया है। हमारे निदेशक महोदय ने 'दिशाकल्प' में इनके आदर्शों को अपनाने पर बल दिया है वहीं चरित्र निर्माण में अहिंसक समाज की महत्ती भूमिका को उचित रूप से पाठकों के सामने रखा है। निदेशक महोदय ने शिक्षा से जुड़े सभी गुरुजनों को मनोयोग से राष्ट्रहित में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के साथ राष्ट्र को चारित्रिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रभावशाली आह्वान किया है। 'विशेष रपट' में गत 5 सितम्बर, 2018 का शिक्षक दिवस सम्मान-2018 की रिपोर्टिंग सटीक व प्रभावशाली है। इस रिर्पोट को पूरा पढ़ने से आभास होता है कि जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थित हों। गाँधी जयन्ती पर बिहार के चंपारण में किसान आन्दोलन की विजय कथा व क्रान्तिकारी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के जन्मदिन पर आलेख उनके प्रति शिक्षा जगत का श्रद्धाभाव दर्शाता हुआ उनके पद चिन्हों पर चलने को प्रेरित करता है। ऐसे क्रान्तिकारी वीरों व शहीदों को शत शत नमन।

-रामजी लाल घोड़ेला, लूनकरणसर, बीकानेर

सत्यमेव जयते

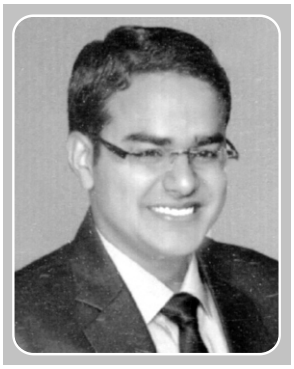

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"मेरी समस्त संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों से अपेक्षा है कि विद्यार्थियों की अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय संबंधी अधिगम कठिनाइयों को चिह्नित कर उनके निराकरण हेतु विशेष अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करें, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के मध्यनजर अभी से विशेष तैयारी करें। प्रार्थनासभा में भी सकारात्मक समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं महापुरुषों के प्रेरक जीवन प्रसंगों की प्रस्तुति जैसे छोटे-छोटे उपक्रमों के माध्यम से सकारात्मक व प्रेरणादायी शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें।"

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

स्वच्छता और शिक्षा

शिविरा नवम्बर माह का अंक ऐसे समय आपके हाथ में है जब विद्यालयों में मध्यावधि अवकाश चल रहा है और आप दीपावली मना रहे हैं। उत्सव और पर्व हमारे आंतरिक उल्लास और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के प्रतीक हैं। दीपावली से पूर्व स्वतः स्फूर्त चलने वाला स्वच्छता अभियान सही मायने में सामाजिक स्वच्छता अभियान का विराट रूप है। प्रकाश का यह पर्व संदेश देता है कि 'दीपक' की तरह प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश फैलाने में योगदान दे सकता है। आइए! हम भी शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार द्वारा 'ज्ञानदीप' जलाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। पावन प्रकाश पर्व की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई! हार्दिक शुभकामनाएँ!!

अपने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150वें जयन्ती वर्ष में हम उनके जीवन से सदाचार और स्वच्छता की प्रेरणा लेकर जीवन के अभिन्न अंग के रूप में उसे अपनाकर चहुँओर का परिवेश निर्मल और स्वच्छ बनाएँ। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने नल-नील की तरह लग कर देखते ही देखते पूरे परिसर को स्वच्छ बना दिया। आप सभी से आग्रह है कि अपने विद्यालय और कार्यालय में सहज रूप से ऐसा अभियान आदत बनाकर चलाएँ क्योंकि स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं।

अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के पुनर्गठन पश्चात एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना की मंशानुरूप शिक्षा के समग्र उन्नयन, सतत पर्यवेक्षण और कुशल प्रबन्धन द्वारा विद्यार्थियों को गुणात्मक व उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने में सभी शिक्षाधिकारी और शिक्षक अपनी भागीदारी निभाकर योजना को परिणामकारी बनाएँ।

मध्यावधि अवकाश पश्चात अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी अगले माह होनी है। मेरी समस्त संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों से अपेक्षा है कि विद्यार्थियों की अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय संबंधी अधिगम कठिनाइयों को चिह्नित कर उनके निराकरण हेतु विशेष अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करें, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के मध्यनजर अभी से विशेष तैयारी करें। प्रार्थनासभा में भी सकारात्मक समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं महापुरुषों के प्रेरक जीवन प्रसंगों की प्रस्तुति जैसे छोटे-छोटे उपक्रमों के माध्यम से सकारात्मक व प्रेरणादायी शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें।

लोकतंत्र का पर्व विधानसभा चुनाव अगले माह है। राज्य में 7 दिसम्बर, 2018 को मतदान कार्य सम्पन्न होना है। प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर मतदान करे, इस हेतु सभी शिक्षक और तरुण विद्यार्थियों से आह्वान है कि मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में प्रेरक की भूमिका निभाएँ।

सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ...

(नथमल डिडेल)

जन्मदिवस विशेष

कलि तारण गुरु नानक आया

❒ हरप्रीत सिंह कंग

कलयुग में मानवता का उद्धार करने के लिए जब श्री गुरु नानकदेव ने अपनी सांसारिक यात्रा प्रारम्भ की उस समय का वर्णन भाई गुरदास जी ने इन शब्दों में किया–

सुनी पुकार दातार प्रभ,
गुरु नानक जग माहि पठाइया।।
भईया अनंद जगत विच,
कलि तारण गुरुनानक आया।।

अर्थात–'दातार प्रभु ने जब इस कलयुग में अन्धविश्वासों से घिरे व अत्याचार से दबे कुचले लोगों की पुकार सुनी तब उनके उद्धार हेतु श्री गुरु नानकदेव को इस जगत में भेजा। तो सारे जगत में आंनद छा गया।' सिख धर्म के प्रर्वतक व प्रथम गुरु श्री गुरु नानकदेव का प्रकाश गुरु पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इनका जन्म 1469 ई. में राय भोये की तलवन्डी (वर्तमान ननकाना साहिब) पाकिस्तान में एक खत्री परिवार (बेदी वंश) में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण दास (मेहता कालू) व माता का नाम तृप्ता था। इनके पिता शहर के मुखिया राय बुलार के यहाँ पटवारी का कार्य करते थे। गुरुजी की रुचि बचपन से ही आध्यात्मिक कार्यों की तरफ लगी रहती थी। बालक नानक को शिक्षा देने के लिए सात वर्ष की आयु में पण्डित गोपाल दास के पास हिन्दी व पण्डित बृज लाल के पास संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु भेजा गया। इसके बाद इन्हें फारसी भाषा की शिक्षा लेने हेतु तलवन्डी के मौलवी कुतबुद्दीन के पास भेजा गया। परन्तु गुरुजी की तीक्ष्ण बुद्धि, आत्मीय ज्ञान व रोशन दिमाग के सामने तीनों ही शिक्षक बारी–बारी से नतमस्तक हो गए। श्री गुरु नानकदेव ने विद्या के असली स्वरूप को उजागर किया व वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को नए अर्थ प्रदान किए। गुरुजी ने अपने शिक्षकों की शंका को दूर करने के लिए आसा राग में पट्टी नाम से गुरबाणी उच्चारण करते हुए समझाया–

ससै सोई स्रिसटि जिन साजी,
सभना साहिब एक भईया।।

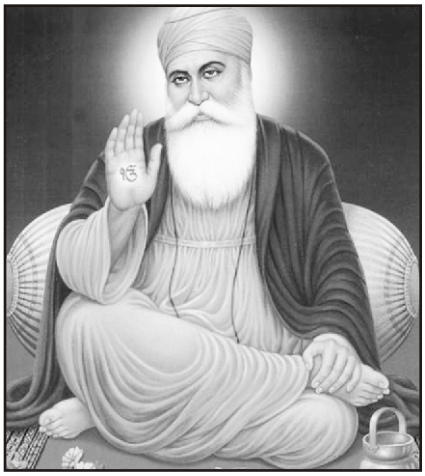

सेवत रहे चित जिन का लागा,
आइया तिन का सफल भइया।।1।।

(गु. ग्र. सा. अंग–432)

अर्थात–स–स्वामी जिसने जगत की रचना की है, वह सभी का अकेला ही मालिक है, उन लोगों का इस संसार में आना लाभदायक हो जाता है, जिनका मन उस स्वामी की सेवा में जुड़ा रहता है।

मंमै मोह मरण मधुसूदन
मरण भईया तब चेतविया।।
काइया भीतर अवरो पड़िया
ममां अखर वीसरिया।। 28।।

(गु. ग्र. सा. अंग–434)

अर्थात–'म–सांसारिक मोह माया के कारण प्राणी मृत्यु व अमृत के प्यारे प्रभु को केवल उसी समय याद करता है जब वह मरने के किनारे पर होता है, जब तक शरीर में श्वास चलते हैं व अन्य चीजों के बारे में पढ़ता रहता है और म अक्षर मौत व मधुसूदन को भुला देता है।

श्री गुरु नानकदेव के पिता मेहता कालू ने गुरु जी को सांसारिक कार विहारों में डालने के लिए अनेक यत्न किए। एक बार उन्होंने गुरुजी को 20 रुपये देकर सच्चा व्यापार करने की सलाह देकर व्यापार करने के लिए भेजा। गुरु जी अपने साथी बालाजी को साथ लेकर गाँव से दूर व्यापार करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें साधु सन्तों की एक मण्डली मिली जो भजन कीर्तन व प्रभु नाम के सिमरण में लगी हुई थी। गुरुजी ने उन साधु सन्तों के साथ आध्यात्मिक वार्तालाप किया। वार्तालाप करते हुए जब गुरु जी को पता चला कि ये साधु सन्त कई दिनों से भूखे हैं तो उन्होंने तुरन्त अपने पिता द्वारा दिए गए 20 रुपये से भोजन (लंगर) तैयार करवाया व उन भूखे साधु सन्तों को खिलाया। उनके साथी बालाजी ने उन्हें पिता द्वारा सच्चा व्यापार करने की बात याद दिलाई तो गुरुजी ने फरमाया कि ''प्रभू नाम का सिमरण करने वाले साधू–सन्तों या किसी भूखे–प्यासे, बेसहारा व्यक्ति को भोजन करवाने से बड़ा सच्चा सौदा और क्या हो सकता है।'' इस प्रकार गुरुजी ने 20 रुपये के साथ लंगर की शुरूआत की जो गुरुद्वारों में आज भी निर्विघ्न जारी है। जब गुरु जी घर वापिस आए तो उनके पिता उनसे बहुत नाराज़ हुए। राय बुलार ने उन्हें गुरुजी को माफ करने के लिए कहा। लगभग 18 वर्ष की आयु में गुरुजी का विवाह बटाला (पंजाब) निवासी श्री मूलचन्द की पुत्री सुलखणी जी से हुआ। गुरु जी के दो पुत्र हुए श्रीचन्द जी व लखमीचन्द जी।

गुरु नानक देव जी की बड़ी बहिन नानकी व बहनोई जयराम जी सुल्तानपुर लोधी (पंजाब) में रहते थे। तलवन्डी के मुखिया रायबुलार की सलाह पर पिता मेहता कालू ने नौकरी करने के लिए गुरुजी को उनकी बहिन बहनोई के पास सुल्तानपुर लोधी भेज दिया। यहाँ गुरुजी शहर के नवाब के मोदीखाने में नौकरी करने लग गए। लेकिन उनका अधिकतर समय मानव कल्याण व धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। वे प्रतिदिन प्रात: काल ही शहर के नजदीक बहने वाली 'वेई नदी' में स्नान करते व वहीं नदी के किनारे प्रभु नाम का सिमरण करने में लग जाते थे। एक बार गुरुजी के पिता सुल्तानपुर आए और गुरुजी से पूछा कि 'हे नानक यहाँ पर मोदीखाने में नौकरी करते हुए तुमने कितना धन जमा कर लिया है?' गुरुजी ने उत्तर दिया, 'पिताजी, मेरे पास धन ठहरता नहीं है, एक हाथ में आता है व

दूसरे हाथ से गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए निकल जाता है।'' गुरु ने उपदेश दिया–

घाल खाइ किछु हथहु देइ।
नानक राह पछाणहि सेई।।

(गु. ग्र. सा. अंग–1245)

अर्थात–जो व्यक्ति मेहनत से कमा कर जीवनयापन करता है व अपने हाथों से कुछ दान पुण्य भी करता है केवल वही सच्ची जीवन युक्ति को जानता है। रोज की तरह एक दिन प्रात: गुरुजी स्नान करने के लिए वेई नदी में उतरे लेकिन वापिस बाहर नहीं आए। नगरवासी, गुरुजी की बहिन नानकी व बहनोई जयराम चिन्तित हो गए व तरह तरह के कयास लगाने लगे। तीन दिनों बाद गुरुजी प्रकट हुए और ईश्वर की सुन्दर परिभाषा की व्याख्या करते हुए श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की प्रथम पंक्ति में सुशोभित इस मूल मन्त्र का उच्चारण किया–

सतिनामु करता पुरखु निरभऊ निरवैरू
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि।।

(गु. ग्र. सा. अंग–1)

अर्थात– 'ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वह सबकी रचना करने वाला है, वह डर से दूर है, उसको किसी से घृणा नहीं, न ही उसका किसी से वैर है, वह काल से परे है, वह जन्म मरण से मुक्त है, उसका अस्तित्व अपने आप है, उस ईश्वर की अनुभूति गुरु की कृपा से ही संभव है।

इस मूल मंत्र के साथ गुरु नानकदेव द्वारा रचित श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की मूल वाणी 'जपु जी साहिब' का आरम्भ होता है। 'जपु जी साहिब' की वाणी गुरुजी की एक दार्शनिक रचना है, यह वाणी श्री गुरु नानकदेव के जीवन–चिंतन और दार्शनिक अनुभव का शिखर है।

गुरुजी ने अपनी चार लम्बी धार्मिक यात्राओं (उदासियों) की शुरूआत यही से करते हुए नारा दिया।

'ना कोई हिन्दू ना मुसलमान।।'

लगभग 20 वर्षों तक भारत की चारों दिशाओं में चार लम्बी धार्मिक यात्राओं के दौरान गुरुजी विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थलों पर गए व विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों व जातियों के विद्वानों व लोगों से मिले और उनके साथ विचार विमर्श किया। इन यात्राओं के दौरान गुरुजी ने लोगों के भ्रमों व अन्धविश्वासों को दूर किया, मानव मात्र को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का उपदेश देते हुए फरमाया–

सच वरत संतोख तीरथ,
गिआन धिआन इसनान।।
दइया देवता खिमा जपमाली,
ते मानस परधान।।

(गु. ग्र. सा. अंग–1245)

अर्थात्–जो सत्य को अपना व्रत, सन्तोष को अपना तीर्थ, ज्ञान व सिमरण को अपना स्नान, दया को अपना देवता व क्षमा को अपनी माला बना लेते हैं वही परम श्रेष्ठ पुरुष होते है।

इन्हीं यात्राओं के दौरान एक बार गुरुजी पुरी (उड़ीसा) में जा पहुँचे। इस शहर में भगवान जगन्नाथ का विशाल व प्राचीन मन्दिर स्थित है। गुरुजी मन्दिर से कुछ दूरी पर अपने साथी बाला व मरदाना के साथ बैठकर गुरवाणी कीर्तन करने लगे। शाम के वक्त जब भक्तजन भगवान जगन्नाथ की आरती में शामिल होकर मन्दिर से बाहर आए तो कीर्तन कर रहे गुरुजी के पास आकर विचार विमर्श करने लगे। गुरुजी ने उन्हें बताया कि 'भगवान जगन्नाथ अर्थात् जगत के स्वामी की आरती तो हर समय व हर स्थान पर लगातार हो रही है। गुरुजी ने वाणी रूप में आरती का गायन इन शब्दों के साथ किया–

गगन में थाल रवि चन्द दीपक बने,
तारिका मण्डल जनक मोती।।
धूप मलयानलो पवन चंवरो करें,
सगल बनराइ फूलंत जोती।।
कैसी आरती होय भव खंडना तेरी आरती,
अनहता सबद वांजत भेरी।।

(गु. ग्र. सा. अंग–13)

अर्थात्– जगत के स्वामी (ईश्वर) की आरती के लिए आकाश रूपी थाल में सूर्य व चन्द्रमा दो दीपकों की तरह प्रकाशित हैं, समस्त तारामण्डल मोतियों के समान चमक रहे हैं। सुगन्धित फूल व चन्दन के वृक्ष धूप की समान सुगन्ध फैला रहे है। वायु चँवर कर रही है। समस्त वनस्पति भेंट स्वरूप है। कितनी सुन्दर आरती हर समय होती रहती है और अनहद नाद भेरी की तरह बज रहा है। यही उस जगत के स्वामी की सच्ची आरती है।

गुरुजी ने करतारपुर (वर्तमान पाकिस्तान) नगर बसाया व धार्मिक यात्राओं के उपरान्त यहाँ आकर रहने लगे, यहाँ रहते हुए आपने एक धर्मशाला स्थापित की जहाँ आप प्रतिदिन सुबह शाम प्रभु नाम सिमरण व शब्द कीर्तन किया करते थे। यहीं रहते हुए गुरुजी ने अपने हाथों से खेती बाड़ी का कार्य किया व अपनी कमाई से लंगर की परपंरा को कायम किया। दीन दुखियों के दुखों को दूर किया। इस तरह गुरुजी ने समाज को 'किरत करो (मेहनत व ईमानदारी से कमाई करना), नाम जपो (प्रभु नाम का सिमरण करना) व वंड छको (मिल बाँट कर उपभोग करना) के सिद्धान्त को दृढ़ करवाया। गुरुजी ने अपने श्रेष्ठ शिष्य भाई लहनाजी को अपना उत्तराधिकारी बनाया व इनका नाम गुरु अगंददेव रखा। जिसका भाव है कि वे गुरु नानक का ही अंग है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में गुरु नानकदेव द्वारा रचित 974 श्लोक 19 रागों में सुशोभित है। श्री गुरु नानकदेव द्वारा दिए गए उपदेश सभी धर्मों, सम्प्रदायों व जातियों के लिए सर्व साझे उपदेश हैं। करतारपुर में ही सन् 1539 में गुरु नानकदेव ज्योति जोत समा गए।

श्री गुरु नानकदेव के प्रकाश गुरपर्व पर मेरा मन वही कर रहा है जो बगदाद की धरती पर पीर दस्तगीर को गुरुजी के अनन्य सेवक भाई मरदाना जी ने कहे थे। यह वचन भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में इस तरह लिखे है–

पुछिया फिर कै दसतगीर
कउन फकीर किस का घरिहाना?
नानक कलि विच आइया
रब फकीर इको पहिचाना
धरित आकास चहु दिस जाना।।35।।

व्याख्याता
शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू
रा.उ.मा.वि. पदमपुर
जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान)
मो: 9982304021

युग परिवर्तन का पहला कार्य है- अपना परिवर्तन। हम बदलेंगे तो हमारी दुनिया भी बदलेगी। समाज सुधारने के लिए, संसार को सुधारने के लिए, हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सुधारने के लिए अग्रसर होना ही होगा।

पर्व

दीपोत्सव

❐ मनीषा शर्मा

दीपावली की छुट्टियों का सभी बच्चों को इंतजार था। बच्चे अपनी मैडम से बार-बार यही पूछ रहे थे कि ''इस बार दीपावली की छुट्टियाँ कितने दिनों की होगी?'' तभी पाँचवी क्लास में पढ़ने वाली तनु अपने पास बैठी कुमकुम से पूछने लगी ''क्या इन छुट्टियों में तुम कहीं बाहर जाने वाली हो?'' नहीं अभी तो नहीं पर गर्मियों की छुट्टियों में जरूर जाऊँगी अपनी नानी के घर..।''' अरे हाँ! मैं भी तो नानी के यहाँ ही जाने वाली हूँ पर अभी नहीं..'' और दोनों यह कहते हुए हँसने लगी थी।

इसी बीच प्रधानाध्यापिका जी ने सभी बच्चों को हॉल में इकट्ठा होने को कहा। सभी कक्षा के विद्यार्थी पंक्तिबद्ध रूप से हॉल में एकत्र हो चुके थे। मैडम ने सभी बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क पूरा करने व प्रतिदिन 4 घंटे नियमित अध्ययन करने और दीपावली पर पटाखे, बम, अनार आदि से दूर रहने की सलाह दी और कहाकि ''सभी बच्चे अपने से बड़ों के साथ ही फुलझड़ी आदि चलाएंगे। गरीब बच्चों, जिनके पास नए कपड़े, मिठाई आदि का अभाव होता है उन्हें भी यथासंभव मदद करेंगे।''

इस प्रकार के सुझाव और जानकारी के बाद छुट्टी कर दी गई थी। सभी बच्चे खुशी-खुशी अपने घरों की ओर चल पड़े थे। तनु और कुमकुम भी अपने घर की तरफ ही चली जा रही थी। तभी विद्यालय से कुछ ही दूर पर बने झोपड़ीनुमा घरों की ओर देखते हुए तनु ने कुमकुम से कहा ''यहाँ इन झोपड़ीनुमा घरों में भी तो दीपावली मनाते होंगे न।'' ''क्यों नहीं। दीपावली का त्योहार तो सभी धूमधाम से मनाते हैं।''

दोनों सहेलियाँ कुछ बातें करती हुई घर तक आ पहुँची थी। कुमकुम और तनु का घर भी विद्यालय से ज्यादा दूर नहीं था। तो दोनों का घर भी पास-पास ही था।

देखते ही देखते दीपावली का दिन भी आ चुका था। सूरज ढलने में अभी काफी समय बाकी था। कुमकुम अपने घर के बाहर बनी

रंगोली को निहार रही थी। सामने से आती तनु, कुमकुम के पास आकर जोर से बोल उठी थी ''आज कार्तिक मास की अमावस्या है और आज ही के दिन दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है।''

कुमकुम की यह बात सुनकर तनु तालियाँ बजाते हुए जोर से हँस पड़ी थी। ''अरे तुम!! क्यों ऐसा क्या हुआ।। हँसी क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैने?''

कुमकुम की बात सुनकर तनु ने उसके करीब आते हुए हाथ पकड़कर कहा ''तुम बिल्कुल सही कहती हो कुमकुम, लेकिन ऐसा हमारे दीपावली के निबंध में भी तो लिखा है, बस इसीलिए मुझे हँसी आ गई थी।'' तनु ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा ''अच्छा तो यह बात है'' यह कहते हुए दोनों फिर से हँस पड़ी थी। तभी अंदर आते हुए शीला ने कमरे में लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा ''यह तस्वीर मेरे चाचा जी लाए हैं देखो तो कितनी खूबसूरत है.. वह देखो झरने और वह दूर से आती बैलगाड़ी, इधर पेड़ों पर बने झूले, अरे वाह!! सच बहुत सुंदर है।''

इसी बीच से माँ ने कुमकुम को आवाज लगाई ''कुमकुम जरा अंदर तो आओ...'' ''जी माँ अभी आई।'' कुमकुम माँ के पास रसोई घर में आ चुकी थी। ''बेटा तुम लोग केशव चाचा के यहाँ से दो बड़े दीपक तो ले आओ तुम्हारे बाबा शायद लाना भूल गए हैं।''

माँ ने पैसे थमाते हुए कहा। ''माँ तनु को भी ले जाऊँ अपने साथ,'' हाँ क्यों नहीं! दोनों साथ ही चली जाओ पास ही तो है।'' ''जी माँ'' कहते हुए तनु और कुमकुम केशव चाचा के घर की ओर चल पड़ी थी। केशव चाचा घर के आगे बने अहाते में अपने काम में व्यस्त थे। वे छोटे दीपकों की पंक्ति अलग बना रहे थे, तो बड़े दीपक की पंक्तियाँ अलग बना रहे थे और जिन दीपकों में रंग भरना रह गया था उन पर रंग उकेर रहे थे। ''केशव चाचा केशव चाचा...माँ ने दो बड़े दीपक मंगवाए हैं..लो यह पैसे..और जल्दी से दीपक दे दीजिए।''

कुमकुम ने चाचा की हथेली पर रुपए रखते हुए कहा। ''बिटिया रानी इतने दीपक सजे हैं, जो मर्जी ले लो।'' ''ठीक है चाचा वह वाले उधर से लाल और हरे रंग के दोनों दीपक दे दीजिए।'' केशव चाचा ने किनारे से जाते हुए, दोनों दीपक उठाए और कुमकुम के हाथों में थमा दिए थे। ''ध्यान से ले जाइयो बिटिया।'' ''जी चाचा आप चिंता नहीं करें।'' कहते हुए दोनों सहेलियाँ वहाँ से निकल चुकी थी।

कुछ ही दूर चली होगी कि उन्हें सामने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तनु ने कुमकुम से कहा ''कुमकुम हमें देखना चाहिए इतनी जोर-जोर से कोई बच्चा क्यों रो रहा है?''

''नहीं देर हो जाएगी और माँ गुस्सा होगी तो अलग''

''नहीं करेगी गुस्सा! और हम वहाँ रुकेंगे थोड़ी न चलो देखते हैं''

दोनों सहेलियाँ धीरे-धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा जो कि चार-पाँच बरस का होगा, वह जोर-जोर से रो रहा है, पास ही उसकी बहिन खड़ी है और उसकी माँ चूल्हे पर रोटियाँ बना रही है वे कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन कुमकुम ने आगे बढ़ते हुए कहा ''यह इतना क्यों रो रहा है।। आप चुप क्यों नहीं करते इसे?''

तभी वो औरत रोटियाँ बनाती छोड़कर जल्दी से आई और बच्चे का हाथ पकड़ते हुए बोली ''इन्हें पटाखे चाहिए, मिठाई चाहिए नए

नए कपड़े चाहिए, कब से जिद पकड़ रखी है। यह तो पगला गया है, इसके समझ में कुछ नहीं आता।'' तनु धीमी आवाज में बोली ''लेकिन इसके पापा कहाँ गए?'' तभी वह लड़की बीच में ही बोल पड़ी ''अरे बापू आए नहीं अभी तक ईंट भट्टों पर काम करते हैं न, वह जब रुपये लाएँगे तभी तो सब कुछ ला पाएगे। ''वह छोटी सी लड़की बड़ी बन जाते हुए बोली... और अपने छोटे भाई को चुप कराने का जतन करने लगी। ''तुम्हारा नाम क्या है?'' ''मेरा नाम श्यामा है''। वह लड़की स्वयं को स्वयं में समेटते हुए बोली।

कुमकुम और तनु ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल आईं थी। कुछ देर के लिए दोनों खामोश थी। चेहरे उतर गए थे। ''क्या हुआ तनु?'' ''नहीं कुछ नहीं। सच है, मैडम ने सही कहा था कुछ लोग गरीब भी होते है, अभाव भी होता है, कैसे जान जाती है मैडम इतना कुछ। उन्हें तो सब पता होता है।'' ''मतलब?'' ''अरे इधर सुनो!'' तनु ने कुमकुम के कानों में कुछ कहा ''अरे वाह!! तुम ठीक कहती हो। चलो जल्दी घर चलें।'' घर पहुँच कर दोनों ने माँ को सारी बात बताई, माँ ने पूरी बात सुनी और फिर मिठाई, नमकीन, कुछ फुलझड़ियाँ आदि एक थैले में डालकर कुमकुम को थमा दिए। ''माँ कुछ दीपक भी तो दो न और हम वहाँ दीपक भी जला आएँगे, आज दीपावली का दिन जो है।'' ''ये लड़कियाँ भी न!'' कहते हुए माँ ने कुछ दीपक भी उनके हाथों में थमा दिए थे।

माँ ने उन्हें कहा ''जाओ जल्दी से और जल्दी ही आ जाना'' ''तभी तनु और कुमकुम को सामने से आते हुए दादाजी दिखाई पड़े। दादाजी को देखते ही दोनों तपाक से बोली ''चलिए न दादाजी आप भी हमारे साथ चलिए।'' ''अरे भई कहाँ जाना है!! यह तो कहो।'' ''कुछ नहीं दादाजी आप चलिए तो सही'' और अपने दादाजी को साथ लिए कुमकुम और तनु श्यामा के घर की ओर चल पड़ी थी। दीपोत्सव के दिन उनके चेहरे की आभा और भी कांतिमय हो चुकी थी।

अध्यापिका
गणेश चौक, पोस्ट-नोहर
जिला-हनुमानगढ़, राजस्थान-335523
मो. 9694360848

भविष्य निर्माण

समय का सदुपयोग

❐ **महेश चन्द्र श्रीमाली**

मनुष्य का मस्तिष्क विचारधाराओं का घर है। अक्सर हम जीवन की भूतकालीन उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और उसकी झूठी शान-शौकत में जीवन व्यतीत करते हैं या फिर भविष्य के सुनहरे सपनों को संजोकर कल्पना के सागर में डूब जाते हैं। इस विषय पर तनिक विचार किया जाए, तो न ही अतीत का इतिहास भविष्य को संवारने में सहायक होता है और न ही कल्पनाएँ करने मात्र से भविष्य बनता है। वस्तुतः वर्तमान ही सुखद भविष्य का निर्माण कर सकता है। हमारे वर्तमान समय का प्रतिक्षण, पल-पल हमारे भविष्य के लिए अहम है। ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम, हमारे वर्तमान समय के प्रति पल के व्यतीत करने में कितने सावधान हैं? या फिर यह समय भी हम बेकार के विषयों में व्यय करते जा रहे हैं। अर्थात् हम प्रत्येक क्षण किस रूप में व्यतीत कर रहे हैं। व्यतीत किया गया क्षण पुनः लौट कर नहीं आता है तथा हमने जो पल व्यतीत किया है, वह जिस रूप में व्यतीत किया है हमें वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है। भविष्य का सुधार करना है तो वर्तमान समय के प्रत्येक क्षण को लक्ष्य तय कर मंजिल को प्राप्त करने में लगाना आवश्यक है। हमारे भविष्य का राज़ वर्तमान के प्रत्येक क्षण में समाहित है। अतः यह विषय विद्यार्थियों के लिए भी प्रासंगिक है। अवकाश में सैर सपाटे, खेलकूद व अन्य मौज मस्ती में समय व्यतीत हुआ होगा। अब फिर से हमारे मन, मस्तिष्क को अध्ययन में लगाना होगा तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस ओर आगे कदम रखना होगा। हम मंज़िल को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम समय को फालतू में व्यतीत नहीं होने देंगे। अपितु प्रत्येक क्षण को ज्ञानोपार्जन में व्यय करें, ताकि आगे जाकर हम सुखद भविष्य के भागीदार बन सकें।

दृढ़ संकल्पित होकर पूर्णरूपेण सावचेत होकर मंजिल की ओर बढ़ते जाएँ, अभावों, अवरोधकों का डट कर सामना करें, मन को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगाएँ तथा तब तक आराम से न बैठें जब तक मंज़िल प्राप्त न हो। जीवन के प्रारंभिक दौर में की गई मेहनत सुखद भविष्य के निर्माण व भविष्य को संवारने में मदद करती है। किन्तु शुरुआती दौर में किया गया प्रमाद, आलस्य भविष्य में दुखद अनुभूति देता है। हमारा भविष्य सुन्दर व सुखद तभी बन सकता है जब हम वर्तमान समय को पूर्णरूपेण समझें और प्रत्येक क्षण का उपयोग मात्र भविष्य के निर्माण में व्यतीत करें। जीवन के सभी क्षेत्रों में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने वर्तमान समय को समझा है, उसी कारण वे महान बन सके हैं अर्थात् वर्तमान समय का सदुपयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वर्तमान समय में भविष्य का रहस्य छिपा हुआ है। वर्तमान का सुधार ही भविष्य के सुखद निर्माण में सहायक हो सकता है। आवश्यकता इस रहस्य को जानने की है कि किस प्रकार सावधानीपूर्वक भविष्य निर्माण में समय का उपयोग करें। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य कर्म बन जाता है तथा किए गए कार्यों का फल के रूप में हमारा भविष्य निर्माण होता है। अतः अच्छे कार्य व्यक्ति को महानता प्रदान करते हैं। आइए, हम 'बीती बात बिसारिये, आगे की सुध लेहि' सूत्र को काम में लेवें और हमारे वर्तमान क्षणों को सुन्दर भविष्य के निर्माण में लगाना प्रारम्भ करें।

3-थ-8 प्रभातनगर, हिरण मगरी, सेक्टर-5,
उदयपुर (राज.)-313002
मो: 9414851013

विश्व विद्यार्थी दिवस

सबसे उम्दा विद्यार्थी जीवन

❐ सुभाष चन्द्र कस्वाँ

अपने पिता के साथ अवकाश के समय खेत में हाथ बँटाने वाले शशि का सपना है कि वह आगे चलकर एक अच्छा चिकित्सक बन गरीबों की सेवा चिकित्सा के जरिए करेगा। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली अभिलाषा की अभिलाषा है कि वह भारतीय पुलिस सेवा में जाकर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाएगी। वहीं पर करीम की रेलपटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी को देख रेल चालक बनने की तमन्ना जोर पकड़ने लगती है। उसका मानना है चालक रेल की शक्ति होता है। इस प्रकार हर विद्यार्थी जीवन में कोई न कोई हरसत पाले रखता है। उसके सपने बहुरंगी होते हैं इसीलिए विद्यार्थीकाल सबसे जुदा होता है। ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर पहुँचने वाले व्यक्ति विद्यार्थी को देख खुश हो जाते हैं फिर सोचते हैं काश! यह मौका जीवन में एक बार और मिल पाता।

जापान अपने विद्यार्थियों की बड़ी चिन्ता करता है। विद्यालय आते व जाते समय छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए सड़क पर ट्रेफिक रुक जाता है। विद्यार्थियों के सड़क पार करने के बाद ही वाहन आगे बढ़ते हैं। इजराइल जापान से इस मामले में चार कदम आगे है। वहाँ के निवासियों का मानना है कि यह दुनिया बच्चों की साँसों से ही चल रही है इसलिए उनकी कदर घर व विद्यालय में भगवान के रूप में की जाती है। अंग्रेजी में एक कथन है 'Child is the father of man' अर्थात् 'बच्चा आदमी का पिता है।' यह बात सुनने में अटपटी अवश्य लगे पर सही बात तो यह है कि यही बच्चा आगे चलकर महान व्यक्ति बनता है। लोगों को एक नई राह दिखाता है।

विद्यार्थी जीवन इतना सरल व सुखमय नहीं है जितना हम सोचते हैं। वह पग-पग पर काँटो से भरा पड़ा है। सोच-सोच कर कदम बढ़ाना होता है। वह यह भी देखने के लिए अपने पाँवों की गति को धीमा कर लेता है कहीं अगली ढलान में फिसलन तो नहीं है! एक अच्छा विद्यार्थी जब समाजकंटकों के हाथ लग जाता है तब उसका जीवन नरक बन जाता है। आदर्श विद्यार्थी विद्यार्जन के क्षेत्र में काकचेष्टा, बकोध्यान, श्वाननिद्रा, अल्पाहार तथा गृहत्याग को एक आदर्श मान अपनाता है। बड़ा दुख होता है जब राजस्थान के कोटा में गृहत्याग कर विद्यार्थी कोचिंग के लिए आता है और वह आत्म-हत्या कर लेता है। इन वर्षों में निराशावश विद्यार्थी आत्महत्या का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जिस सपने के लिए वह घर से जाता है उसका पूरा होना तो बड़ी दूर की बात, यहाँ का माहौल उसे जिंदा रहने की शक्ति भी मुहैया नहीं करा सकता। खामी कहाँ है इसका पता तो अवश्य लगना चाहिए जिससे इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

विद्यार्थी हमेशा अपने मन के वातायन को खुला रखता है। पढ़कर विचार करता है उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। कोई बात आदम के जमाने से चल रही, इस नाते वह अच्छी है इसमें विश्वास विद्यार्थी नहीं रखता। कोई चीज नई होने से रुचिकर है उसे भी वह जल्दी से नहीं अपनाता। उसके पक्ष व विपक्ष पर ध्यान रख अपना निर्णय बनाता है। उपयोगिता के आधार पर वह उसे व्यवहार में लाता है जबकि नादान लोग किसी के कहने पर इन चीजों में लिप्त व अलिप्त होते हैं।

विद्यार्थी जीवन में शुद्धता व पवित्रता रहती है। उसमें पूर्वाग्रह अधिक नहीं रहता है। विद्यार्थी का मस्तिष्क कषाय व विकार से मुक्त रहता है। जीवन के प्रति उसका नजरिया उमंग व उल्लास से सदैव भरा रहता है। बड़ी-बड़ी जोखिमों को भी वह निर्भय हो उठा लेता है। वह अपने से कमजोर की सहायता के लिए तत्पर रहता है। दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मान उसके सम्मान में खो जाता है। विद्यार्थी में सत्य व आदर्श के प्रति निष्ठा रहती है। वह अनाचार व भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाता है। उसमें स्वार्थ व संकीर्णता का विषबीज नहीं पनप पाता है। मर्यादा व संस्कृति विद्यार्थी में विवेक जगाती है तथा यही संस्कृति व मर्यादा उसके विवेक की रक्षा करती है।

आज विद्यार्थियों में असंतोष की झलक यदा-कदा दिख जाती है। परीक्षा प्रणाली व उसके मूल्यांकन के विरुद्ध आवाज उठती है। अतः यदि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की प्रतिभा परिश्रम व उसकी पहिचान को देख हम कोई कदम बढ़ाते हैं तब उसे आत्म-विमोही बन यह नहीं कहना पड़ेगा-

''यदि इस जगह पर मेरे
आँसुओं का अर्थ न समझा जाए,
तो मैं चिल्लाने कहाँ जाउँ?
यदि यहाँ पर मेरी आत्मा को पंख न मिले,
तो मैं उड़ने कहाँ जाउँ?
यदि यहाँ पर मेरे प्रश्न न पूछे जा सके,
तो मैं उनके उत्तर कहाँ खोजने जाउँ?

विद्यार्थियों के जीवन स्तर व उनकी अपेक्षाओं को कामयाब बनाने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवम्बर को 'विश्व विद्यार्थी दिवस' एक गैर राजनीतिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। सन् 1939 में इसकी शुरूआत चैक विश्वविद्यालय से हुई। इस दिवस को मनाने का महत्त्व तभी रहता है जब हम विद्यार्थियों के बेहतर जीवन के लिए कुछ न कुछ नया प्रतिवर्ष करते रहें।

हेतमसर (वाया-नूँआ)
जिला-झुंझुनू (राज.)-333041
मो. 9460841575

भारत दर्शन

विद्यालयी शिक्षा में भारत भक्ति : कुछ प्रयोग

❒ विक्रान्त खण्डेलवाल

विद्यालय केवल अक्षर ज्ञान का केन्द्र नहीं है अपितु भावी जीवन की आधारशिला है, संस्कारों का उद्गम स्थल है, व्यक्ति निर्माण की सतत चलने वाली कार्यशाला है। कोठारी आयोग का यह कथन कि 'भारत का भविष्य इसके विद्यालय परिसरों में गढ़ा जा रहा है,' विद्यालयों और वहाँ के कार्यकलापों की महत्ता को रेखांकित करता है। विद्यालय से बालक के साथ-साथ आसपास के परिवेश, अभिभावक और सम्पूर्ण समाज में चेतना का संचार होता है।

यद्यपि यह ठीक है कि बालक की पहली पाठशाला परिवार है, परिवार अथवा घर के बाद उसके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य विद्यालय का परिसर, वहाँ के शिक्षक और उसके साथी ही करते हैं क्योंकि उस बालक की यह उम्र देख कर सीखने की होती है। वह हर क्रिया को करके भी देखना चाहता है। सीखना भी चाहता है। धीरे-धीरे उनकी चिन्तन शक्ति विकसित होती है। वह विभिन्न विषयों पर विचार करने लगता है। उसके मन और मस्तिष्क में अनेक देखे हुए दृश्यों, सुने हुए विचारों, महसूस किए गए अनुभवों से उत्पन्न वैचारिक संघर्ष चलता है और इसी दौर में उसके मन में अनेक प्रकार की भावनाएँ खिलते फूलों की कलियों के समान फूटने लग जाती है। यह एक ऐसा समय होता है जब विद्यार्थी को एक श्रेष्ठ विद्यालय परिसर और देवतुल्य श्रेष्ठतर शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो उसके जीवन को देश और समाज के अनुकूल बनाने में अपना सर्वस्व लगा सके ताकि उसका जीवन देश और समाज की धरोहर बन सके।

बालक जन्मजात देशभक्त होता है। यहीं से वह देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ता है। उसे सामान्यतया विद्यालय परिसर में औपचारिक रूप से देशभक्ति दिखाई देती है। जैसे प्रार्थना, राष्ट्र ध्वज, जयहिन्द, राष्ट्रगान तथा परिसर में लगे महापुरुषों के चित्र आदि। कभी-कभी जब उत्सव होते हैं तो राष्ट्रभक्ति के परम्परागत गीत जो वह घूमते हुए, खेलते हुए सुनता है। भले ही उसका भावपूर्ण अर्थ तो उसे पता भी नहीं चलता हो। आज विद्यालयों के परिसर कुछ हद तक रचनात्मक तो हुए हैं पर यहाँ से निकलने वाला छात्र भारत और भारतीयता के विचार भाव से भली प्रकार परिचित हो, यह भी आवश्यक है। आज भारत में सरकारी विद्यालयों की संख्या इसे

दुनिया में सर्वाधिक संभावना वाला देश बनाती है। महान चिन्तक विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य दोनों शिक्षक की गोद में पलता है और इसका माध्यम विद्यालय ही है। इसलिए विद्यालयों का विकास, वहाँ का वातावरण तथा शिक्षकों की योजना एवं व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ से निकलने वाले छात्र-छात्रा के मन-कार्य-विचार में भारत और भारतीयतापूर्ण भावों के साथ-साथ स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ जीवन जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, वो संकल्पों से भरपूर हो और यह बिल्कुल सम्भव है।

देश भर में विभिन्न स्थानों के प्रवास में शिक्षा केन्द्रों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में जाना होता रहता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद भी लगातार चलता रहता है। गत वर्ष 14 दिसम्बर को राजस्थान के जालोर जिले के दो सरकारी विद्यालयों में जाना हुआ। पहले सामतीपुरा, फिर गोदन। अब देखा कि रेवत के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक श्री संदीप जोशी ने अपनी सकारात्मकता, सृजनशीलता और राष्ट्रीयता पूर्ण जीवन शैली तथा व्यवहार के कारण शिक्षकों तथा विद्यालयों के सामने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ये प्रयोग केवल अपने ही विद्यालय में नहीं अपितु अपनी संगठनात्मक कुशलता और सहजतापूर्ण संवाद शैली के कारण विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए देश और प्रदेश के अनेक विद्यालयों में भी लागू करवाने का सफल प्रयास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए गए विविध कार्यों का विशेष महत्त्व है। सरकारी विद्यालयों के बारे में सामान्यतया नकारात्मक खबरों की चर्चा से शिक्षक वर्ग व समाज दोनों में निराशा एवं हताशा का वातावरण सृजित होता है। श्री संदीप जोशी के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग एक आशा का संचार करते हैं साथ ही सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास को भी पुनः स्थापित करते हैं। वर्तमान सिस्टम में रहते हुए भी विद्यालय के छात्रों में भारत भक्ति के संस्कार सिंचित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। अन्य स्थानों पर भी किए जा सकते है इसके लिए कुछ प्रयोगों का यहाँ उल्लेख करता हूँः-

भारतमाता पूजनः- वे पिछले 14 वर्षों से लगातार अपने विद्यालय में 26 जनवरी व 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों पर भारत-माता पूजन एवं ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। जमीन पर मिट्टी से एक चौकी बनाकर, उसे गोबर से लीप कर उस पर भारत का नक्शा... उसे रंगोली के रंगों से आकर्षक सजाना। इस पूरे काम में विद्यार्थियों को साथ रखते हुए उनका प्रशिक्षण भी होता है। कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों द्वारा भारतमाता का पूजन किया जाता है। नक्शे के सामने भारतमाता का बड़ा चित्र लगाकर साथ ही विभिन्न महापुरुषों के चित्र भी सजाए जाते हैं। लगातार चलने वाले इन प्रयासों से दोनों राष्ट्रीय पर्व जन महोत्सव में बदलते गए। गोदन विद्यालय में तो भारत का स्थाई मानचित्र बनाया गया है जहाँ प्रार्थना के बाद ताजा फूलों से नित्य भारतमाता पूजन होता है। सोशल मीडिया पर इन पर्वों से सात-आठ दिन पूर्व ही सभी शिक्षकों से आग्रह करने के परिणामस्वरूप अनेक सरकारी विद्यालयों में भी यह आयोजन होने लगा है। देश के जन मानस एवं उभरती हुई पीढ़ी में देश के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव जागृत हो गया तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः होगा।

'राष्ट्रभक्ति सभी सद्गुणों की जननी है', यह विचार ही इस आयोजन का आधार है।

भारतदर्शन गलियारा- अच्छा शिक्षक

वही होता है जो हर समय अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सोचता रहता है। उसके मन में हर समय अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की ललक रहती है। कक्षा एक से बारह तक के विद्यार्थियों को भारत की पहिचान हो, भारत का सामान्य ज्ञान जाने एवं भारत पर गर्व करे....विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का मानस बने, साथ ही देशभक्ति के भाव भी पैदा हो, देश की भावी पीढ़ी को भारत से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ हर समय याद रहे, इसके लिए उन्होंने स्कूल कक्षा कक्षों के बाहर खुली दीवारों का सदुपयोग कर गलियारा तैयार किया है। इस गलियारे में उन्होंने देश से जुड़ी प्रमुख बातों का समावेश किया है। कक्षा कक्ष के बाहर उन्होंने फोटोग्राफ, चित्र, मानचित्र, दीवार लेखन की सहायता से देश से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित 300 से अधिक तथ्य, 121 चित्रों तथा 8 मानचित्रों को प्रदर्शित किया है। इसमें सामान्य ज्ञान, देश से जुड़ी विभिन्न घटनाएँ, महापुरुषों, प्राचीन विज्ञान, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। जहाँ विद्यार्थी खाली समय में तथा मध्याह्न के समय कुछ देर उनको देखते व पढ़ते हैं। विद्यालय में बनाया गया भारतदर्शन गलियारा विद्यार्थियों के लिए जानकारी परक है, वे अपने खाली समय के अलावा चलते-फिरते इसको पढ़ते व देखते हैं जिससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इसका फायदा यह हुआ है कि विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ा है।

गलियारे की शुरुआत ब्रह्मांड से की गई है। आकाशगंगा, सौरमंडल, नवग्रह, महाद्वीपों की जानकारी दी गई है। गलियारे में भारत के गौरव की शृंखला में प्राचीन विज्ञान, ज्ञान, चिकित्साशास्त्र, वैदिक गणित, संस्कृत, आयुर्वेद, योग, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, तक्षशिला, नालंदा, समय के न्यूनतम मान की गणना, शतरंज की खोज, ऑपरेशन कला, जयपुर फुट, चैन्नई का शंकर नेत्रालय, आइआइएम., आइआइटी., हीरा तराशने का सबसे बड़ा केन्द्र, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मी मित्तल आदि महापुरुषों की जानकारी, योग विद्या से लेकर उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता तक का उल्लेख रोचक ढंग से किया गया है। इसके अलावा भविष्य के भारत की झलक के कुछ विशेष तथ्यों को भी दर्शाया गया है।

पिल्लर पर ज्ञान का खजाना– संदीप जोशी ने विद्यालय में बने पिल्लरों का उपयोग भी विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए किया है। इन पिल्लरों को 'ज्ञान का स्तंभ' नाम दिया गया है। इन ज्ञान स्तंभों में राष्ट्रीय प्रतीकों, ध्वज चिह्न, पशु-पक्षी, फल, वृक्ष तथा खेल के चित्र, वॉल पेंटिंग के रूप में उकेरे है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता, स्त्री-पुरुष अनुपात, जल सीमा, पड़ोसी राष्ट्र, राजधानियाँ, भाषाएँ, वेद, वेदांग, उपनिषद्, पुराण, गीता, महाभारत, महत्त्वपूर्ण खनिज व उत्पादन, नदियों की लंबाई तथा ऐतिहासिक इमारत से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ समाविष्ट की गई हैं।

गोदन विद्यालय के 'भारतदर्शन गलियारे' का अवलोकन करने राजस्थान के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी, शिक्षा विभाग के उप निदेशक श्री चेतन प्रकाश, श्री श्याम सुन्दर सोलंकी, राष्ट्रीय शिक्षाविद् श्रीमती गीताताई गुन्डे समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं विशिष्टजन आए हैं। श्री संदीप जोशी की प्रेरणा एवं सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे सात गलियारे बने है और कुछ विद्यालयों में ऐसे भारतदर्शन गलियारे और भी बन रहे हैं। अब प्रत्येक विद्यालय में 'भारतदर्शन गलियारे' के निर्माण की घोषणा माननीय शिक्षा राज्यमंत्री ने गत बजट सत्र में की हैं।

प्रतिदिन यस सर नहीं 'जय भारत' बोलो– हम सभी जानते है कि बालक जब पहले दिन से विद्यालय में आते हैं तो प्रतिदिन हाजरी में 'यस सर या यस मैडम' बोलना सीखता है। इन शब्दों से प्रतिदिन हाजरी अर्थात् उपस्थिति लगती है। प्रतिदिन 'यस सर' दोहराने से धीरे-धीरे एक अजीब मानसिकता भी पनपने लगती है। इसलिए विद्यार्थी, विद्यालय और देश के लिए सरकारी विद्यालयों में नित्य नए नवाचारों के सृजनकार शिक्षक संदीप जोशी ने अपने विद्यालय में हाजरी के समय विद्यार्थियों से 'जय भारत' बुलवाने का जो अभियान चलाया था वो आज देश भर में अनेक स्थानों पर अनुकरणीय उदाहरण बना है। बड़ी संख्या में राजस्थान में भी कक्षा-कक्षों की उपस्थिति 'जय भारत' से होने लगी है।

इसके अतिरिक्त भी इनके द्वारा समरसता सरस्वती मंदिरों का निर्माण, बस्ते का बोझ कम करने के प्रयोग, शनिवार को विद्यार्थी के लिए बस्ते की छुट्टी और विद्यालयों में कन्यापूजन, स्वास्थ्य गलियारा आदि अनेक बहुआयामी सफल प्रयोग किए गए हैं। जिनके कारण विद्यालयों में एक स्वस्थ संस्कारमय वातावरण का निर्माण होता ही है। वहीं इस सुन्दर तथा स्वस्थ वातावरण में हर कोई रोमांचित रहता है। सीखने वाला तथा सिखाने वाला, दोनों को तब उत्साह और नवाचारों से भारत और भारतीयता के भाव से परिपूर्ण विद्यार्थियों का सहारा सम्भव होगा। ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो मैंने अपनी आँखों से देखे है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों का यह गुरुकुल स्वरूप देखकर मन भाव विभोर हो गया। यह विश्वास भी दृढ़ हुआ कि छात्रहित में समर्पण भाव से कार्य करने वाली इस गुरुकुल परम्परा के आधार पर भारत का भविष्य सुनहरा है। ऐसे प्रयोग बढ़ने चाहिए, ऐसे विद्यालय भी बढ़ने चाहिए। भारत के भविष्य का निर्माण और निर्धारण इन्हीं विद्यालय परिसरों से ही होना है। निश्चित रूप से शिक्षक अपने मन में संकल्प कर ले तो विद्यालय को अध्ययन के साथ-साथ संस्कार का केन्द्र भी बनाया जा सकता है।

प्रथम तल, 1017, सेक्टर-40 बी,
चण्डीगढ़ (पंजाब)
मो: 9413329723

Activity Based Teaching

English Alphabetic Puzzles

❒ **Om PrakashTanwar**

Puzzles of English alphabet are very useful for students for their mental exercise as well as for keeping them busy in vacant periods. These puzzles are also helpful in developing their interest in the subject. Some English alphabet based puzzles are given below. Teachers can also frame such type of puzzles according to the level of their students.

PUZZLES

1.

		B	
	F	J	
N	R	V	
Z	D	H	?

2.

H	J	L
M	P	S
T	X	?

3.

B	F	J	P	?

4.

D	H	L	R	?

5.

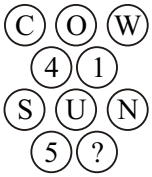

6.

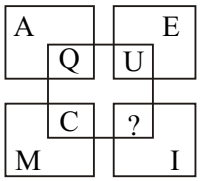

7.

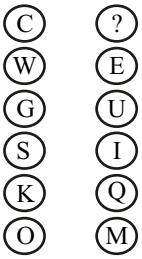

8.

E	F	I	J	M	N
H	G	L	K	P	O
Q	R	U	V	Y	Z
T	S	X	W	B	A
C	D	?	?	K	L
F	E	?	?	N	M

9.

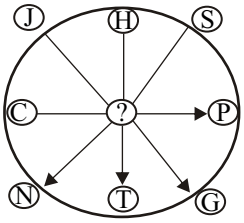

10.

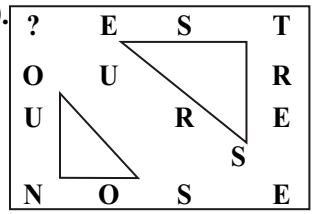

Answer-

1. L (gap of three letters)
2. B (gap of 1,2 & 3 letters serially)
3. V (consonant just after a vowel)
4. X (gap of two letters after a vowel)
5. 4 (total of serial number of letters in the alphabet)
6. Y (gap of three letters between two letters)
7. Y (gap of one letter- slantingly from left to right downward and then upwards)
8. G.H.I.J. (From top left to right, down, sidewise and then up filling four squares serially)
9. U (SUN, HUT……..)
10. N (NURSE, NEST…….)

Retired Lecturer
D-213, Agrasen Nagar Churu (Raj.)
Mob. 9460565427

मासिक गीत

जीवन दीप वर्तिका तन की...

जीवन दीप वर्तिका तन की,
स्नेह हृदय में भरना सीखें।
दानवता का तिमिर हटाने,
तिल-तिल कर हम जलना सीखें।।

अमा निशा-सी घोर निशा हो,
अन्धकारमय दसों दिशा हो।
झंझा के झोंके हो प्रतिपल,
फिर भी अविचल चलना सीखें।।1।।

बीहड़ वन चाहे नद-नाले,
शैल शृंग भी बाधा डाले।
कुश-कंटक-युत पंथ विकट हो,
काँटों को हम दलना सीखें।।2।।

स्नेह सुधा पी जगती जीती,
स्तुति सुमनों से पुलकित होती।
निंदा-गरल पचाकर प्रमुदित,
ज्वाला में हम पलना सीखें।।3।।

तिमिर-ग्रसित मानव बेचारे,
स्वार्थ-मोह रजनी से हारे।
प्राण-प्रदीप प्रभा फैलाने,
कण-कण कर हम जलना सीखें।।4।।

साभार – 'राष्ट्र वन्दना' पुस्तक से

प्रार्थना सभा

उद्‌बोधन व बाल सभा का महत्त्व

❒ राजेन्द्र कुमार पंचाल

राज्य सरकार की मंशा व शिक्षा विभाग के तय मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 30 मिनट के प्रार्थना कार्यक्रम में प्रतिदिन राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, समूहगान (देशभक्ति गीत) समाचार वाचन के साथ-साथ संस्थाप्रधान महोदय अथवा अन्य गुरुजनों द्वारा विद्यालयों की सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू बनाने का प्रयास किया जाता है।

उक्त प्रयासों के साथ-साथ प्रत्येक गुरुवार को गुरु-प्रवचन के रूप में 5/7 मिनट अतिरिक्त लेकर और शनिवार को शून्य कालांश को प्रार्थना कार्यक्रम में जोड़कर, प्रत्येक कालांश में 5-5 मिनट कम करके अथवा अन्तिम कालांश के बाद प्रत्येक शनिवार को 40 मिनट का समय विभाग द्वारा तय कार्यक्रम को प्रातः वेला में अथवा अन्तिम कालांश के बाद में बाल सभा के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार, नैतिक शिक्षा, शिष्टाचार, सच्चाई, ईमानदारी व देशप्रेम को जगाया जा सकता है।

आकलन करें तो वर्ष भर में लगभग 200 दिवस प्रार्थना सभा में 30-35 दिवस गुरु प्रवचन व उतने ही दिन बाल सभा करने का समय मिल ही जाता है। इस हेतु एक वार्षिक योजना भी बनाई जा सकती है जिसमें तय समयानुसार महापुरुषों की जयंतियाँ व विशेष दिवसों का समायोजन करते हुए योजनाबद्ध कार्य किया जा सकता है। इस हेतु विद्यालय के गुरुजनों के अलावा आसपास के विद्यालय के संस्थाप्रधानों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षाविद् महानुभावों, समाजसेवी, गणमान्य विचारकों, लेखकों, वक्ताओं अथवा बुद्धिजीवी महानुभावों के अनुभवों का लाभ लेने एवं प्रेरक उद्‌बोधन हेतु उनकी सेवा ली जा सकती है।

संसार में ज्ञान-विज्ञान का प्रचार द्रुत गति से हो रहा है परन्तु वहीं जीवन मूल्यों का ह्रास भी उसी प्रकार हो रहा है, यह एक नई चिन्ता का विषय है। इन कारणों को देखते हुए प्रति सप्ताह मात्र दो दिन के इन विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों की मानसिकता में बदलाव करके, अच्छी आदतों का विकास करके, सत्य, अहिंसा व ईमानदारी को जीवन में अपनाने, मानव सेवा, लोक कल्याण व देश प्रेम का जज्बा पैदा करने का कार्य सरलता से किया जा सकता है।

बालक में अन्तर्निहित ज्ञान को गति देकर हम शिक्षा के साथ संस्कार सिंचन का कार्य आसानी से कर सकते है, यह आज की महती आवश्यकता भी है। अरविंद घोष के अनुसार- ''समस्त शिक्षा एक प्रकटन है, सच्चे विकास की शर्त है मुक्त और स्वाभाविक विकास यह शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है।'' इसलिए प्रार्थना स्थल पर गुरुवार को प्रबुद्धजनों के उद्‌बोधन व बाल सभा में बालकों को सद्‌प्रेरणा व चरित्र निर्माण के मार्गदर्शन की प्रज्ञा जागृत करने में अहम भूमिका होगी।

महान् विचारक विलियम आर्डर ने कहा है-''साधारण शिक्षक कहता है, अच्छा शिक्षक समझता हैं। वरिष्ठ शिक्षक तर्क और उदाहरण द्वारा समझाता है, परन्तु महान शिक्षक प्रेरित करता है।'' इन बालकों को समय-समय पर सही दिशा, प्रेरणा व दिव्य जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तब हम तुलसी, नानक, कबीर, रैदास, वेदव्यास, राणा प्रताप, रामानुज, विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, तिलक, सरदार पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. राधाकृष्णनन्, चन्द्रशेखर आजाद, डॉ. कलाम जैसे चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण कर सकेंगे।

एक प्रेरक प्रसंग का उदाहरण है कि जिसे हमें उद्‌बोधन में ले सकते है, ऐसे प्रसंग बालकों के लिए विशेष प्रभावी व उपयोगी रहेंगे। हबीबुल्ला नामक एक सरदार तुर्की के राजा कादिर हसन के पास अपने घोड़े को बेचने के लिए गया। राजा कादिर ने पूछा-'इसकी क्या कीमत है?' सरदार ने जवाब दिया-'सिर्फ पाँच हजार श्रीमान।' राजा ने कहा 'मित्र इसकी कीमत पाँच सौ से ज्यादा नहीं है। परन्तु सरदार ने 5000 से कम में घोड़ा बेचने की स्वीकृति नहीं दी। राजा को घोड़ा अच्छा लगा इसलिए खरीदने की स्वीकृति दे दी, और कहा 'दोस्त तुम मुझे ठग रहे हो,' सरदार कुछ नहीं बोला और चुपचाप रुपये जेब में रखे और तुरन्त पलटकर तेजी से उसी घोड़े पर चढ़ा और तीर की तरह तेजी से बाहर निकल गया। सब देखते रह गये कि आज एक सरदार ने राजा को मूर्ख बनाया। राजा कादिर ने अपने बीस घुड़सवारों को सरदार हबीबुल्ला को पकड़ने के लिए भेजा। दिन भर पीछा करने के बाद भी सरदार नहीं पकड़ा जा सका। सब परेशान होकर वापस आए। दूसरे दिन वही सरदार राजा कादिर हसन के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने पाँच हजार रुपये राजा के सामने रखे और कहा कि' आपको रुपये रखने हो तो रुपए और घोड़ा रखना हो तो घोड़ा रख लो। राजा और दरबारी उसके इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे।

सबूत दे दिया उसने घोड़े की ताकत का। राजा ने सरदार को संबोधित करके कहा-'सरदार तुम बड़े बहादुर हो, आत्मबल है तुममें साथ ही ईमानदार और चरित्रवान भी हो। कल तक तुम मेरे लिए चोर और ठग थे पर आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक काबिल व्यक्ति हो।' राजा ने खुश होकर घोड़ा रख लिया साथ ही सरदार को अपने मंत्रिमंडल में पद देकर सुशोभित किया। जीवन में इसी प्रकार आश्चर्यपूर्वक ढंग से हमको अपना चरित्र साबित करना होगा वरना दुनिया हमारी प्रतिभा नहीं पहचान पाएगी।

इस प्रकार के प्रसंग छात्रों में आत्मबल, ईमानदारी, नैतिकता व संस्कारों का सिंचन करेंगे। ये छोटे-छोटे कार्यक्रम बालकों में बहुत बड़े वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज व राष्ट्र निर्माण में सहायक होंगे।

वर्तमान समय में सद्‌प्रेरणा आवश्यक है, समय की यही माँग है और समय व परिस्थितियों के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है यह सिद्धांत स्वयं को भी अपनाना होगा और बालकों को भी सिखाना होगा।

उस पछतावे के साथ मत जागिए, जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है।

प्राध्यापक
रा.आ.उ.मा.वि., पाडवा, डूँगरपुर-314032
मो: 9929906155

आदेश-परिपत्र : नवम्बर, 2018

1. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना।
2. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर गठित किए गए एकीकृत शिक्षा संकुलों में पद सृजन के संबंध में।
3. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

1. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना।

● राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ● क्रमांक : प. 21 (32) प्रशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 08.08.2018 ● 1. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग। 2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 3. निदेशक प्रांरभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्। ● विषय : राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना।

प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन, गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-259 के उप नियम(9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक प. 15(1) प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिह्नित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC.) एवं संबंधित संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन 'पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.)' नामित किया गया है। इसी आदेश के द्वारा पदेन 'पंचायत प्रांरम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.)' के कर्त्तव्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान हेतु जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (CRCF.) एवं संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC.) घोषित किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प. 15 (1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 11.04.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.) के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण (Supervision) हेतु ग्राम पंचायत के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.) नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA.), सर्व शिक्षा अभियान (SSA.) एवं शिक्षक शिक्षा (TE.) को एकीकृत कर 'समग्र शिक्षा अभियान (SMSA.)' योजना संचालित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के आ.शा. पत्र क्रमांक 310563/2017 दिनांक 16.11.2017 एवं 11-2/2017-ईई, 13 दिनांक 03.04.2018 के अनुसार 'समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन (SMSA.)' Single State Implementation Society (SIS.) के माध्यम से किया जावेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (RMSA.)' एवं सर्व शिक्षा अभियान (SSA.) को एकीकृत कर 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCE.)'का गठन किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 21(32) प्राशि./आयो/2017 दिनांक 24.05.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है।

नवीन पुनर्गठित व्यवस्था के अनुसार 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCE.)' राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान (SMSA.) योजना से सम्बन्धित Planning, Implementation & Monitoring हेतु पूर्णरूप से उत्तरदायी संस्था हैं एवं राज्य स्तर पर परिशिष्ठ-1 के अनुसार एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है।

राज्य स्तर पर पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तर के प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठन कर परिशिष्ट-2 के एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल निम्नानुसार स्थापित किए जाते हैं :-

1. ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल :

1.1 राज्य के सभी 301 शिक्षा ब्लॉक के स्तर पर **परिशिष्ट-3** के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान के अधीन ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल स्थापित किया जाता है।

1.2 प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता है :-

क्र. सं.	पदनाम	समकक्ष पद (Rank)	पे–लेवल	ब्लॉक में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	301 ब्लॉक में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान	जिला शिक्षा अधिकारी	L–17	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
2.	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम	प्रधानाचार्य	L–16	1	राज्य मद	301
3.	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय	प्रधानाचार्य	L–16	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
4.	सन्दर्भ व्यक्ति	व्याख्याता	L–12	2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
5.	सन्दर्भ व्यक्ति (C.W.S.N)	वरि. अध्यापक	L–11	2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
6.	सहा. लेखाधिकारी–2	–	L–11	1	राज्य मद	301
7.	कनि. लेखाकार	–	L–10	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
8.	सहा. प्रशा. अधिकारी	–	L–10	1	राज्य मद	301
9.	वरि. सहायक	–	L–8	2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
10.	कनि. सहायक	–	L–5	1	राज्य मद	301
11.	च.श्रे.कर्मचारी	–	L–1	4	3 पद राज्य मद एवं 1 पद समग्र शिक्षा अभियान मद	1204
12.	कनि. अभियंता	–	L–11	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
	योग			**18**		**5418**
संविदा आधारित पद						
1.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन	–		2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
2.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन (सूचना सहायक के पदों के स्थान पर)	–		1	राज्य मद	301
	योग			**3**		**903**
	महायोग			**21**		**6321**

1.3 उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीएफ. कार्यालय में राज्य मद, एसएसए. एवं रमसा. के तहत स्वीकृत समस्त पद समाप्त किए जाते हैं।

1.4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. ब्लॉक क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge) होंगे एवं ब्लॉक क्षेत्र के समस्त पीईईओ. एवं पीआरसीएफ., समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्मिक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. के प्रशासनिक नियंत्रण एंव पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

1.5 वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कार्मिकों का समायोजन एसपीडी. समसा. द्वारा ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में समसा. के तहत स्वीकृत समकक्ष नवसृजित पदों पर यथासंभव किया जावेगा। समायोजन से शेष कार्मिकों को पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा। समायोजन उपरांत रिक्त पदों पर नए सिरे से उपयुक्त कार्मिकों का चयन किया जावेगा।

1.6 वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर राज्य मद के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में नवसृजित समकक्ष पदों पर किया जाएगा एवं समायोजन से शेष कार्मिकों का पदस्थापन अन्य कार्यालयों/विद्यालयों में किया जावेगा।

1.7 ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में की जावेगी तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं/समग्र शिक्षा अभियान/अन्य योजनाओं के माध्यम से इस कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जावेंगे।

2. जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

2.1 राज्य के समस्त 33 जिलों के स्तर पर परिशिष्ट–4 के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान के अधीन जिला स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किया जाता है।

2.2 प्रत्येक जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के संघटक कार्यालयों (Constituent Offices) में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता है :–

(अ) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे–लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान	उप निदेशक	L–18	1		33
2.	सहायक निदेशक	प्रधानाचार्य	L–16	1		33
3.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	L–12	1		33
4.	संस्थापन अधिकारी	–	L–15	1	समग्र	33
5.	प्रशासनिक अधिकारी	–	L–12	1	शिक्षा	33
6.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	–	L–11	1	अभियान	33
7.	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	–	L–10	1	मद	33
8.	निजी सहायक	–	L–11	1		33
9.	सन्दर्भ व्यक्ति (सी.डब्ल्यू.एस.एन.)	वरि. अध्यापक	L–11	1		33
10.	कनि. लेखाकार	–	L–10	1		33
11.	च.श्रे.कर्मचारी	–	L–01	2		66
	योग			**12**		**396**
संविदा आधारित पद						
1.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन	–		1	समग्र शिक्षा अभियान मद	33
	योग			**1**		**33**
	महायोग			**13**		**429**

(ब) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे–लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	L–17	1	राज्य मद	33
2.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	प्रधानाचार्य	L–16	2	राज्य मद	66
3.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	–	L–11	1	राज्य मद	33
4.	उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा	–	L–14	1	राज्य मद	33
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	–	L–10	1	राज्य मद	33
6.	सहायक लेखाधिकारी–1	–	L–12	1	राज्य मद	33
7.	कनि. लेखाकार	–	L–10	1	राज्य मद	33
8.	वरि. सहायक	–	L–08	2	राज्य मद	66
9.	कनि. सहायक	–	L–05	2	राज्य मद	66
10.	च.श्रे.कर्मचारी	–	L–01	3	राज्य मद	99
	योग			**15**		**495**
संविदा आधारित पद						
1.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन	–		4	राज्य मद	132
	योग			**4**		**132**
	महायोग			**19**		**627**

(स) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे–लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	L–17	1	राज्य मद	33
2.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	प्रधानाचार्य	L–16	2	राज्य मद	66
3.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	–	L–11	1	राज्य मद	33
4.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	–	L–10	1	राज्य मद	33
5.	सहायक लेखाधिकारी–1	–	L–12	1	राज्य मद	33
6.	कनि. लेखाकार	–	L–10	1	राज्य मद	33
7.	वरि. सहायक	–	L–08	2	राज्य मद	66
8.	कनि. सहायक	–	L–05	2	राज्य मद	66
9.	च.श्रे. कर्मचारी	–	L–01	3	राज्य मद	99
	योग			**14**		**462**
संविदा आधारित पद						
1.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन	–		3	राज्य मद	99
	योग			**3**		**99**
	महायोग			**17**		**561**

(द) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे–लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा अधिकारी	L–17	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	33
2.	सहायक परियोजना समन्वयक	प्रधानाचार्य	L–16	2		66
3.	कार्यक्रम अधिकारी	व्याख्याता	L–12	6		198
4.	सहायक अभियन्ता	–	L–14	1		33
5.	कनिष्ठ अभियन्ता	–	L–11	2		66
6.	वरिष्ठ सहायक	–	L–08	2		66
7.	कनिष्ठ सहायक	–	L–05	1		33
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	–	L–11	1		33
9.	कनिष्ठ लेखाकार	–	L–10	2		66
10.	च.श्रे. कर्मचारी	–	L–01	4		132
	योग			**22**		**726**
संविदा आधारित पद						
1.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन	–		5	समग्र शिक्षा अभियान मद	165
	योग			**5**		**165**
	महायोग			**27**		**891**

2.3 उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित जिला शिक्षा अधिकारी-प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा एवं एसएसए. एवं आरएमएसए. के जिला स्तरीय कार्यालयों में राज्य मद, एसएसए. एवं रमसा. के तहत स्वीकृत समस्त पद समाप्त किए जाते हैं।

2.4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान जिले के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge) होंगे एवं जिले के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान एवं प्रधानाचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

2.5 वर्तमान में जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कार्मिकों का समायोजन एसपीडी. समसा. द्वारा जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में समसा. के तहत स्वीकृत समकक्ष नवसृजित पदों पर यथासंभव किया जावेगा। समायोजन से शेष कार्मिकों को पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा। समायोजन उपरांत रिक्त पदों पर नए सिरे से उपयुक्त कार्मिकों का चयन किया जावेगा।

2.6 वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों में राज्य मद के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में नवसृजित पदों पर किया जाएगा एवं समायोजन से शेष कार्मिकों का पदस्थापन अन्य कार्यालयों/विद्यालयों में किया जावेगा।

2.7 जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना यथासंभव एक ही परिसर में की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक परिसर का उपयोग किया जा सकता है, परंतु भविष्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं/समग्र शिक्षा अभियान/अन्य योजनाओं से आवश्यक निर्माण कार्य करवाकर जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल को एक ही परिसर में संचालित करने की व्यवस्था की जावेगी।

3. संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

3.1 राज्य के समस्त 9 संभागों के स्तर पर परिशिष्ट-5 के अनुसार संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के अधीन संभाग स्तरीय संकुल स्थापित किया जाता है।

3.2 प्रत्येक संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता हैः-

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	प्रत्येक संभाग स्तर पर स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	09 संभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा	संयुक्त निदेशक	L-19	1	राज्य मद	09
2.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	प्रधानाचार्य	L-16	2	राज्य मद	18
3.	लेखाधिकारी	-	L-14	1	राज्य मद	09
4.	उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा	-	L-14	1	राज्य मद	09
5.	उप जिला शिक्षा अधिकारी संस्थापन	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा	L-14	2	राज्य मद	18
6.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	-	L-12	1	राज्य मद	09
7.	प्रशासनिक अधिकारी	-	L-12	1	राज्य मद	09
8.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	-	L-11	1	राज्य मद	09
9.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	-	L-10	3	राज्य मद	27
10.	सहायक लेखाधिकारी-1	-	L-12	1	राज्य मद	09
11.	निजी सहायक	-	L-11	1	राज्य मद	09
12.	कनि. लेखाकार	-	L-10	1	राज्य मद	09
13.	वरि. सहायक	-	L-05	3	राज्य मद	27
14.	सांख्यिकी अधिकारी	-	L-12	1	राज्य मद	09
15.	च.श्रे.कर्मचारी	-	L-01	4	राज्य मद	36
	योग			**24**		**216**
संविदा आधारित पद						
1.	एम.आई.एस./मशीन विद मैन	-		4	राज्य मद	36
	योग			**4**		**36**
	महायोग			**28**		**252**

3.3 शिक्षा संकुल जयपुर में कार्यरत विशेष प्रकोष्ठों (शाला दर्पण, शाला दर्शन, आर.टी.ई. सेल, प्राईवेट स्कूल एवं सी.एस.आर. पोर्टल) हेतु जयपुर संभाग के एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नलिखित अतिरिक्त पद सृजित किए जाते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	जयपुर संभाग में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद
1.	प्रधानाचार्य (शाला दर्पण, प्राईवेट स्कूल पोर्टल, सी.एस.आर.)	प्रधानाचार्य	L-16	3	राज्य मद
2.	प्रधानाध्यापक (आर.टी.ई. सैल)	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा	L-14	1	राज्य मद
3.	व्याख्याता (शाला दर्पण, शाला दर्शन)	व्याख्याता	L-12	2	राज्य मद
4.	वरिष्ठ अध्यापक (शाला दर्पण, प्राईवेट स्कूल पोर्टल, सी.एस.आर.)	वरिष्ठ अध्यापक	L-11	3	राज्य मद
	महायोग			**09**	

3.4 उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त वर्तमान में संभाग स्तर पर संचालित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा एवं उप निदेशक-प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों में राज्य मद के तहत स्वीकृत समस्त पद समाप्त किए जाते है।

3.5 संभाग के समस्त जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

3.6 वर्तमान में उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों में राज्य मद के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में नवसृजित पदों पर किया जाएगा एवं समायोजन से शेष कार्मिकों का पदस्थापन अन्य कार्यालयों/विद्यालयों में किया जावेगा।

4. उपर्युक्त व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश (Operational guidelines) पृथक से जारी किये जावेंगे।

5. समग्र शिक्षा अभियान के अतंर्गत सिविल विंग के पदो को 4 वर्ष के लिए सृजित किया गया है, 4 वर्ष उपरान्त निर्माण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों की समीक्षा की जावेगी।

6. समग्र शिक्षा अभियान मद से स्वीकृत पदों के वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान से किया जावेगा। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राज्य मद से स्वीकृत पदों का बजट मदवार सृजन करवाकर I.F.M.S. पर अपलोड करवाया जावेगा।

7. एम.आई.एस./मशीन विद मैन का कार्य संविदा पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों की पालना कर कराया जावेगा।

8. उपर्युक्त पुनर्गठित व्यवस्था की क्रियान्विति हेतु आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राज्य स्तर पर प्रभारी अधिकारी होंगे। आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से समन्वय स्थापित कर पुनर्गठित व्यवस्था को तत्काल लागू करने की कार्यवाही करेंगे।

9. उपर्युक्त व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), मा.शि./प्रा.शि., अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अन्य अधिकारियों के सघन प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना बनाकर प्रशिक्षण की कार्यवाही करेंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101804058 दिनांक 06.08.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

● संलग्न : परिशिष्ट - 1 से 5

● **(अशफाक हुसैन),** विशिष्ट शासन सचिव

2. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर गठित किए गए एकीकृत शिक्षा संकुलों में पद सृजन के संबंध में।

● राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ● क्रमांक : प. 21 (32) प्रशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक : 24.09.2018 ● 1. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग। 2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्। ● विषय : राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर गठित किए गए एकीकृत शिक्षा संकुलों में पद सृजन के संबंध में।

● संदर्भः- समसंख्यक पत्र क्रमांक प. 21 (32) प्रशि/आयो/2017 पार्ट दिनांक 08.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों में पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र की निरंतरता में ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों में पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त परिशिष्ट-1 के अनुसार सृजन/कटौती की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101804870 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शेष पूर्ववत रहेगा।

● संलग्न- उपर्युक्तानुसार

● **(अशफाक हुसैन),** विशिष्ट शासन सचिव

राज्य के स्कूल विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन/कटौती की जाती हैः-

1. ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन/कटौती की जाती है :-

राज्य मद

क्र. सं.	ब्लॉक कार्यालय का नाम	सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या		कटौती किए जाने वाले पदों की संख्या	
		कनि. सहायक पे-लेवल **L-05** पदों की संख्या	जमादार पे-लेवल **L-02** पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे-लेवल **L-01** पदों की संख्या	एम.आई.एस./मशीन विद मैन संविदा पर
1.	जवाजा, जिला अजमेर	01	01	01	01
2.	गिर्वा, जिला उदयपुर	01	01	01	01
3.	झाडोल, जिला उदयपुर	01	01	01	01
4.	तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा	01	01	01	01
5.	लूणी, जिला जोधपुर	01	01	01	01
6.	लाड़पुरा, जिला कोटा	01	01	01	01
7.	खैराबाद, जिला कोटा	01	01	01	01
8.	झोटवाड़ा, जिला जयपुर	01	01	01	01
9.	शेष 293 ब्लॉक्स में प्रत्येक ब्लॉक कार्यालयों में 01 कनि. सहायक का पद	293	0	0	293
	योग	**301**	**08**	**08**	**301**

2.जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन/कटौती की जाती है :-

(अ) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय

समग्र शिक्षा अभियान मद

क्र. सं.	जिला कार्यालय का नाम	सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या						कटौती किए जाने वाले पदों की संख्या
		प्रशासनिक अधिकारी पे-लेवल **L-12** पदों की संख्या	सहायक प्रशासनिक अधिकारी पे-लेवल **L-10** पदों की संख्या	वरि. सहायक पे-लेवल **L-08** पदों की संख्या	कनि. सहायक पे-लेवल **L-05** पदों की संख्या	स्टैनोग्राफर पे-लेवल **L-10** पदों की संख्या	जमादार पे-लेवल **L-02** पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे-लेवल **L-01** पदों की संख्या
1.	अजमेर	01	0	0	03	0	01	01
2.	अलवर	02	01	0	01	0	0	0
3.	बांसवाड़ा	01	0	0	01	0	01	01

4.	बारां	0	0	0	01	0	0	0
5.	बाड़मेर	01	0	0	01	0	0	0
6.	भरतपुर	01	0	0	03	0	0	0
7.	भीलवाड़ा	01	0	0	02	0	0	0
8.	बीकानेर	0	01	0	03	0	0	0
9.	बूंदी	0	0	0	01	0	0	0
10.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	01	0	0	0
11.	चूरू	0	0	0	03	0	01	01
12.	दौसा	0	0	0	01	0	0	0
13.	धौलपुर	0	0	0	01	0	0	0
14.	डूंगरपुर	0	0	0	01	0	01	01
15.	श्रीगंगानगर	01	0	0	01	0	01	01
16.	हनुमानगढ़	0	0	0	01	0	0	0
17.	जयपुर	01	04	01	03	01	02	02
18.	जैसलमेर	0	0	0	01	0	0	0
19.	जालौर	0	0	0	01	0	0	0
20.	झालावाड़	0	0	0	01	0	0	0
21.	झुंझुनूं	0	01	0	01	0	01	01
22.	जोधपुर	01	0	0	03	01	01	01
23.	करौली	0	0	0	01	0	01	01
24.	कोटा	0	02	0	03	0	01	01
25.	नागौर	02	0	0	02	0	0	0
26.	पाली	0	01	0	01	0	0	0
27.	प्रतापगढ़	0	0	0	01	0	0	0
28.	राजसमंद	0	0	0	01	0	0	0
29.	सवाईमाधोपुर	01	0	0	01	0	0	0
30.	सीकर	01	0	0	01	0	0	0
31.	सिरोही	0	0	0	01	0	0	0
32.	टोंक	0	0	0	01	0	0	0
33.	उदयपुर	01	01	0	03	0	01	01
	योग	**15**	**11**	**01**	**51**	**02**	**12**	**12**

(ब) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय

राज्य मद

क्र. सं.	जिला कार्यालय का नाम	सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या				कटौती किए जाने वाले पदों की संख्या	
		सहायक प्रशासनिक अधिकारी पे-लेवल **L-10** पदों की संख्या	कनि. सहायक पे-लेवल **L-05** पदों की संख्या	स्टैनोग्राफर पे-लेवल **L-10** पदों की संख्या	जमादार पे-लेवल **L-02** पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे-लेवल **L-01** पदों की संख्या	एम.आई.एस. /मशीन विद मैन संविदा पर
1.	अजमेर	02	03	01	01	01	01
2.	अलवर	01	02	01	0	0	01
3.	बांसवाड़ा	01	01	01	01	01	01
4.	बारां	01	01	01	0	0	01

5.	बाड़मेर	01	01	01	01	01	01
6.	भरतपुर	02	03	01	0	0	01
7.	भीलवाड़ा	02	03	01	0	0	01
8.	बीकानेर	01	03	01	01	01	01
9.	बूंदी	01	02	01	01	01	01
10.	चित्तौड़गढ़	01	01	01	01	01	01
11.	चूरू	02	03	01	02	02	01
12.	दौसा	01	02	01	0	0	01
13.	धौलपुर	01	01	01	0	0	01
14.	डूंगरपुर	01	01	01	01	01	01
15.	श्रीगंगानगर	01	01	01	02	02	01
16.	हनुमानगढ़	01	01	01	0	0	01
17.	जयपुर	02	03	01	03	03	01
18.	जैसलमेर	01	01	01	01	01	01
19.	जालौर	01	01	01	01	01	01
20.	झालावाड़	01	01	01	01	01	01
21.	झुंझुनूं	01	01	01	01	01	01
22.	जोधपुर	02	03	01	02	02	01
23.	करौली	01	01	01	01	01	01
24.	कोटा	02	03	01	02	02	01
25.	नागौर	01	02	01	0	0	01
26.	पाली	01	02	01	0	0	01
27.	प्रतापगढ़	01	01	01	0	0	01
28.	राजसमंद	01	01	01	0	0	01
29.	सवाईमाधोपुर	01	01	01	0	0	01
30.	सीकर	02	02	01	01	01	01
31.	सिरोही	01	01	01	01	01	01
32.	टोंक	01	01	01	0	0	01
33.	उदयपुर	02	03	01	03	03	01
	योग	**42**	**57**	**33**	**28**	**28**	**33**

(स) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय

राज्य मद

क्र. सं.	जिला कार्यालय का नाम	सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या			कटौती किए जाने वाले पदों की संख्या	
		सहायक प्रशासनिक अधिकारी पे-लेवल **L-10** पदों की संख्या	कनि. सहायक पे-लेवल **L-05** पदों की संख्या	जमादार पे-लेवल **L-02** पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे-लेवल **L-01** पदों की संख्या	एम.आई.एस. /मशीन विद मैन संविदा पर
1.	अजमेर	02	03	01	01	01
2.	अलवर	01	02	0	0	01
3.	बांसवाड़ा	01	01	01	01	01
4.	बारां	01	01	0	0	01

5.	बाड़मेर	01	01	0	0	01
6.	भरतपुर	02	03	0	0	01
7.	भीलवाड़ा	01	03	0	0	01
8.	बीकानेर	01	03	0	0	01
9.	बूंदी	01	01	01	01	01
10.	चित्तौड़गढ़	01	01	0	0	01
11.	चूरू	02	03	02	02	01
12.	दौसा	01	01	0	0	01
13.	धौलपुर	01	01	0	0	01
14.	डूंगरपुर	01	01	01	01	01
15.	श्रीगंगानगर	01	01	02	02	01
16.	हनुमानगढ़	01	01	0	0	01
17.	जयपुर	02	03	03	03	01
18.	जैसलमेर	01	01	0	0	01
19.	जालौर	01	01	01	01	01
20.	झालावाड़	01	01	0	0	01
21.	झुंझुनूं	01	01	01	01	01
22.	जोधपुर	02	03	01	01	01
23.	करौली	01	01	01	01	01
24.	कोटा	02	03	02	02	01
25.	नागौर	01	02	0	0	01
26.	पाली	01	02	0	0	01
27.	प्रतापगढ़	01	01	0	0	01
28.	राजसमंद	01	01	0	0	01
29.	सवाईमाधोपुर	01	01	0	0	01
30.	सीकर	01	02	01	01	01
31.	सिरोही	01	01	01	01	01
32.	टोंक	01	01	0	0	01
33.	उदयपुर	02	03	03	03	01
	योग	**40**	**55**	**22**	**22**	**33**

(द) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय

समग्र शिक्षा अभियान मद

क्र. सं.	जिला कार्यालय का नाम	सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या			कटौती किए जाने वाले पदों की संख्या	
		सहायक प्रशासनिक अधिकारी पे-लेवल **L-10** पदों की संख्या	कनि. सहायक पे-लेवल **L-05** पदों की संख्या	जमादार पे-लेवल **L-02** पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे-लेवल **L-01** पदों की संख्या	एम.आई.एस. /मशीन विद मैन संविदा पर
1.	अजमेर	02	03	01	01	01
2.	अलवर	01	02	02	02	01
3.	बांसवाड़ा	01	01	02	02	01
4.	बारां	01	01	01	01	01

5.	बाड़मेर	01	01	01	01	01
6.	भरतपुर	02	03	0	0	01
7.	भीलवाड़ा	01	02	01	01	01
8.	बीकानेर	01	03	01	01	01
9.	बूंदी	01	01	01	01	01
10.	चित्तौड़गढ़	01	01	01	01	01
11.	चूरू	01	03	02	02	01
12.	दौसा	01	01	01	01	01
13.	धौलपुर	01	01	01	01	01
14.	डूंगरपुर	01	01	01	01	01
15.	श्रीगंगानगर	01	01	02	02	01
16.	हनुमानगढ़	01	01	0	0	01
17.	जयपुर	01	03	03	03	01
18.	जैसलमेर	01	01	01	01	01
19.	जालौर	01	01	01	01	01
20.	झालावाड़	01	01	01	01	01
21.	झुंझुनूं	01	01	01	01	01
22.	जोधपुर	01	03	02	02	01
23.	करौली	01	01	01	01	01
24.	कोटा	01	03	02	02	01
25.	नागौर	01	02	01	01	01
26.	पाली	01	02	01	01	01
27.	प्रतापगढ़	01	01	0	0	01
28.	राजसमंद	01	01	01	01	01
29.	सवाईमाधोपुर	01	01	0	0	01
30.	सीकर	01	01	01	01	01
31.	सिरोही	01	01	01	01	01
32.	टोंक	01	01	01	01	01
33.	उदयपुर	02	03	03	03	01
	योग	**36**	**53**	**39**	**39**	**33**

संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन/कटौती की जाती हैं:–

राज्य मद

क्र. सं.	संभाग कार्यालय का नाम	सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या						कटौती किए जाने वाले पदों की संख्या	
		संस्थापन अधिकारी पे–लेवल **L-15** पदों की संख्या	प्रशासनिक अधिकारी पे–लेवल **L-12** पदों की संख्या	सहायक प्रशासनिक पे–लेवल **L-10** पदों की संख्या	वरि. सहायक पे–लेवल **L-08** पदों की संख्या	कनि. सहायक पे–लेवल **L-05** पदों की संख्या	जमादार पे–लेवल **L-02** पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे–लेवल **L-01** पदों की संख्या	एम.आई.एस. /मशीन विद मैन संविदा पर
1.	अजमेर	0	01	01	02	03	01	01	02
2.	भरतपुर	0	01	01	02	02	01	01	02

3.	बीकानेर	0	0	01	02	03	01	01	02
4.	चूरू	0	01	0	01	02	02	02	02
5.	जयपुर	01	01	02	02	04	04	04	02
6.	जोधपुर	01	01	01	02	03	02	02	02
7.	कोटा	0	01	0	01	02	03	03	02
8.	पाली	0	01	01	01	0	01	01	02
9.	उदयपुर	0	01	01	02	03	04	04	02
	योग	**02**	**08**	**08**	**15**	**22**	**19**	**19**	**18**

128 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा 418 एम.आई.एस. (संविदा) के कटौती किए जाने वाले पद एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत कनिष्ठ सहायक (पे-लेवल L-05) के पदों में से 367 कनिष्ठ सहायक के पद निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समाप्त किए जाकर आईएफएमएस. पर अपलोड करवाया जावेगा।

समसंख्यक आदेश दिनांक 08.08.2018 में संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुलों में सृजित पदों में क्रम संख्या-13 पर सहवन से वरिष्ठ सहायक का पे-लेवल L-05 अंकित हो गया है, उसके स्थान पर वरिष्ठ सहायक का पे-लेवल L-08 पढ़ा जावे।

● **(अशफाक हुसैन)** विशिष्ट शासन सचिव

3. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

● राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ● क्रमांक प. 21 (32) प्रशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 27.09.2018 ● 1. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग। 2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्। ● विषयः राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 21 (32) प्राशि./आयो /2017 पार्ट दिनांक 08.08.18 द्वारा वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठन कर संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल स्थापित किए गए हैं। इन आदेशों की निरंतरता में राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में संलग्नानुसार दिशा-निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

● संलग्नः उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देश

● **(अशफाक हुसैन)**, विशिष्ट शासन सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन, गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम- 259 के उपनियम (9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांकः प.15(1) प्रार. शि./संस्थापन/ 2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिह्नित राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC.) एवं सम्बन्धित संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.) नामित किया गया है। इस आदेश द्वारा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। (परिशिष्ट-1)

1.2 राज्य सरकार के आज्ञा क्रमांकः प.15(1) प्रार.शि./संस्थापन/ 2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) के अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (CRPF.) एवं संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC.) घोषित किया गया है। (परिशिष्ट-2)

1.3 राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांकः प.15(1) प्राशि./2017 दिनांक 11.04.2017 के द्वारा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के द्वारा पंचायत क्षेत्र के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन, प्रबन्धन, कार्य सम्पादन, आधारभूत

संरचना/सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, शैक्षणिक उन्नयन, विद्यालयों के पर्यवेक्षण का दायित्व पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO.) को दिया गया है तथा उससे सम्बद्ध विद्यालय को ग्राम पंचायत के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु सन्दर्भ केन्द्र (Resource Center) एवं मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) के रूप में कार्य करना है। (परिशिष्ट-3)

1.4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से केन्द्रीय योजनाएँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा.), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए.) एवं शिक्षक शिक्षा (टीई.) को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान (समसा.) योजना संचालित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली सरकार के अ.शा. पत्र क्रमांक : 310563/2017 दिनांक 16.11.2017 एवं 11-2/2017-ईई, 13 दिनांक 03.04.2018 के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन (समसा.) Single State Implemetation Society (SIS.) के माध्यम से किया जावेगा। तदनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा.) एवं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए.) को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (आरसीएससीई.) का गठन किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांकः प.21(32)प्राशि./आयो/2017 दिनांक 24.05.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है। (परिशिष्ट-4)

1.5 नवीन पुनर्गठित व्यवस्था के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE.) राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान (समसा.) योजना से सम्बन्धित Planning, Implemetation & Monitoring हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है जिन्होंने राज्य स्तर पर एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की है। समग्र शिक्षा अभियान (समसा.) के उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

1.6 राज्य स्तर पर पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21 (32) प्राशि./आयो./2017 पार्ट दिनांक 08.08.18 द्वारा वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर पर कार्यालयों का पुनर्गठन कर संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल स्थापित किए गए है। (परिशिष्ट-6)

1.7 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 21 (32) प्राशि/आयो/2017 पार्ट दिनांक 08.08.18 के क्रम में संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नवगठित एकीकृत शिक्षा संकुलों के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2. ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

2.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO.) एवं पदेन बीआरसीएफ. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO.) एवं पदेन बीआरसीएफ. के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगेः-

2.1.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

2.1.1.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के कार्य राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार होंगे। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कार्मिक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. के नियंत्रणाधीन होंगे।

2.1.1.2 ब्लॉक के समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के सेवाभिलेखों का संधारण ब्लॉक स्तरीय शिक्षा संकुल में किया जावेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. इन अधिकारियों से संबंधित समस्त प्रकार के अवकाश स्वीकृति, पदेन वृद्धि स्वीकृति आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

2.1.1.3 ब्लॉक के समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों, व्याख्याताओं के एसीपी. एवं स्थाईकरण के प्रस्ताव तैयार कर सीधे ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।

2.1.1.4 ब्लॉक के समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों, तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायकों, प्रयोगशाला सेवक, जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एसीपी. स्वीकृति एवं स्थाईकरण प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) द्वारा सीधे ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को प्रेषित किए जावेंगे।

2.1.1.5 बिन्दु संख्या 2.1.1.4 पर वर्णित कार्मिकों के अतिरिक्त ब्लॉक में कार्यरत अन्य सभी शैक्षणिक/मंत्रालयिक/गैर शैक्षणिक कार्मिकों/अधिकारियों के स्थाईकरण एवं एसीपी. स्वीकृति के प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) से तैयार करवाकर ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय के माध्यम से स्वीकृति हेतु सीधे ही सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किए जावेंगे।

2.1.1.6 ब्लॉक में कार्यरत समस्त शैक्षणिक, मंत्रालयिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को छोड़कर) के सेवानिवृत्ति एवं पेंशन सम्बन्धी प्रकरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO.) से तैयार करवाकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु पेंशन विभाग को प्रेषित करेंगे।

2.1.1.7 ब्लॉक में कार्यरत समस्त कार्मिकों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) से तैयार

कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को प्रेषित किए जावेंगे।

2.1.1.8 ब्लॉक में कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) से तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को प्रेषित किए जावेंगे।

2.1.2 प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व

2.1.2.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. ब्लॉक क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge) होंगे तथा ब्लॉक क्षेत्र के समस्त पीईईओ. एवं सीआरसीएफ. समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्मिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

2.1.2.2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(1) प्रा. शि./2017 दिनांक 11.04.2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएँगे। (परिशिष्ट-3) (ACBEO.-1 के माध्यम से)

2.1.2.3 ब्लॉक क्षेत्र में विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र क्रमांक राप्राशिप./गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ./2017-18/2171 दिनांक 30.05.2017 में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। (परिशिष्ट-7) (ACBEO.-1 के माध्यम से)

2.1.2.4 राज्य सरकार, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/सीमेट/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी.), संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अति. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

2.1.2.5 ब्लॉक के सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान की मासिक बैठक का आयोजन समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे। (ACBEO.-2 के माध्यम से)

2.1.2.6 ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों के विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु अन्य विभागों यथा पंचायती राज ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम इत्यादि से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करेंगे। (ACBEO.-1 के माध्यम से)

2.1.2.7 ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाह, औद्योगिक इकाइयों, जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं से सीएसआर. योगदान/जनसहयोग प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही करेंगे। (ACBEO.-2 के माध्यम से)

2.1.2.8 राजकीय विद्यालयों के नामकरण, गैर राजकीय विद्यालयों के नाम में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

2.1.2.9 ब्लॉक में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यों यथा-प्रवेश, प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जाँच, समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्य करेंगे।

2.1.2.10 ब्लॉक के समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चार माह में कम से कम एक बार (वर्ष में तीन बार) निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पृथक से जारी किए जावेंगे। (ACBEO.-2 के माध्यम से)

2.1.2.11 ब्लॉक क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय/अन्य आवासीय विद्यालय/शारदे छात्रावास एवं अन्य विभागीय छात्रावास/स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल/विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए संचालित विद्यालयों का दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे एवं अवलोकन रिपोर्ट संधारित करवाएँगे। (अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय के माध्यम से)

2.1.2.12 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्य विभाजन इस प्रकार करेंगे कि केवल संस्थापन कार्यों को छोड़कर आवंटित अन्य कार्यों से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों एवं कक्षाओं के लिए सम्पादित किए जावे।

2.1.3 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.) के रूप में कार्य एवं दायित्व

2.1.3.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.) ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल समग्र शिक्षा अभियान के कार्यों के निष्पादन हेतु क्रमशः ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.) एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (BRCF.) के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2.1.3.2 ब्लॉक क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2.1.3.3 समग्र शिक्षा अभियान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा

अभियान, जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

2.1.4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.) ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय एवं अन्य अधिकारियों/कार्मिकों को कार्य आवंटन करेंगे।

2.2 ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम (ACBEO.-1)

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगेः–

2.2.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

2.2.1.1 ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम पुनर्गठन से पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संपादित प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राज. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांकः प.2(5) शिक्षा–1/प्रार. शिक्षा/2003 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 के अनुसरण में ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के संस्थापन कार्य (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को आवंटित कार्यों को छोड़कर) यथावत पंचायत समिति कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सम्पादित करेंगे। (परिशिष्ट–8)

2.2.1.2 ब्लॉक के निजी निक्षेप (PD.) खाता मद के पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन आहरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प. 15(1) प्राशि/2017 दिनांक 07.12.2017 एवं निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। (परिशिष्ट–9)

2.2.1.3 राज्य सरकार के आदेश प. 15(1) प्राशि/2017 दिनांक 11.04.2017 के अनुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन प्रारंभिक शिक्षा (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक) के विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक) में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य कार्मिकों के वेतन, सेवाभिलेख संधारण, अवकाश स्वीकृति आदि कार्यों का निष्पादन करेंगे। (परिशिष्ट–3)

2.2.1.4 ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के स्तर पर निस्तारित होने वाले ब्लॉक के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों के संस्थापन, पेंशन संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.2 शैक्षिक गुणवत्ता, उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

2.2.2.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव पीईईओ./संस्थाप्रधानों से प्राप्त कर भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।

2.2.2.2 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आँगनबाड़ी समन्वयन, एसआईक्यूई., प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, मिड–डे मील/अन्नपूर्णा दूध योजना, राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं निजी विद्यालयों की सूचनाओं एवं पोर्टल संबंधित कार्य आदि समस्त कार्यों का सम्पादन, निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य।

2.2.2.3 आवंटित कार्यों के संबंध में शाला दर्पण/शाला दर्शन, निजी विद्यालय पोर्टल तथा अन्य राजकीय पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अपडेशन तथा कार्यक्रम प्रगति की रिपोर्ट का अग्रेषण।

2.2.2.4 ब्लॉक में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों यथा– प्रवेश प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जाँच, समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्य के प्रभारी होंगे।

2.2.2.5 ब्लॉक के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें संबंधित विद्यालयों को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वितरित करने का कार्य करेंगे।

2.2.2.6 ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.2.2.7 ब्लॉक क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

2.2.2.8 ब्लॉक के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की मासिक बैठक हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.2.9 ब्लॉक के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन/निरीक्षण से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.3 समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्य एवं दायित्व

2.2.3.1 ब्लॉक के विद्यालयों में बालिका शिक्षा से संबंधित गतिविधियों एवं आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के संचालन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करेंगे।

2.2.3.2 ब्लॉक के समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रशिक्षण/कार्यशालाओं, शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधी शोध/मूल्यांकन कार्यों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करेंगे।

2.2.3.3 कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में शैक्षणिक गुणवत्ता विकास हेतु संचालित एसआईक्यूई. कार्यक्रम एवं संबंधित

गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.2.3.4 कक्षा 6 एवं 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे।

2.2.3.5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।

2.2.3.6 गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

2.2.4 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किए जाएँगे।

2.3 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय (ACBEO.-2)

अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगेः-

2.3.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

2.3.1.1 ब्लॉक एकीकृत शिक्षा संकुल से होने वाले संस्थापन संबंधी प्रकरणों (2.2.1 के अनुसार बीईईओ. एसीबीईओ-1 को आवंटित कार्य के अतिरिक्त) की पत्रावलियों का संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.1.2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ. को ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO.) के कार्य सम्पादन से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों का संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.1.3 ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के स्तर पर निस्तारित होने वाले ब्लॉक के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों के संस्थापन, पेंशन संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.2 शैक्षणिक गुणवत्ता, उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

2.3.2.1 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव पीईईओ./संस्थाप्रधानों से प्राप्त कर भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करना।

2.3.2.2 सूचना का अधिकार, विधानसभा/लोक सभा/राज्य सभा/ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दुओं पर सूचना/टिप्पणी प्रेषित करने सम्बन्धी कार्य, न्यायालय प्रकरण, चोरी एवं गबन के प्रकरण, ब्लॉक के विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा संबंधी कार्य, निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य।

2.3.2.3 आवंटित कार्यों के संबंध में शाला दर्पण/शाला दर्शन, निजी विद्यालय पोर्टल तथा अन्य राजकीय पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अपडेशन तथा कार्यक्रम प्रगति की रिपोर्ट का अग्रेषण।

2.3.2.4 ब्लॉक में निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों यथा-प्रवेश प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जाँच, समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्य के प्रभारी होंगे।

2.3.2.5 ब्लॉक के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें संबंधित विद्यालयों को वितरित करने का कार्य करेंगे।

2.3.2.6 माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

2.3.2.7 ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के सर्वे एवं सम्बन्धित गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.2.8 ब्लॉक में आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.2.9 ब्लॉक के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण/अवलोकन के कार्य से संबंधित पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.3.3 समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्य एवं दायित्व

2.3.3.1 ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य समस्त शिक्षकों/कार्मिकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के आयोजन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करेंगे।

2.3.3.2 कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.3.3 कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु संचालित डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम यथा- कल्प, स्मार्ट क्लास, आईसीटी. एवं अन्य आईटी. संबंधित गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.3.4 ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में आधारभूत संरचना निर्माण एवं विकास, विद्यालय स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे।

2.3.3.5 ब्लॉक में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों के सुचारू संचालन, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को सम्पादित करेंगे।

2.3.3.6 ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता एवं यू-डाइस से संबंधित गतिविधियों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2.3.4 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा

अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किए जाएँगे।

3. जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

3.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO.) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगेः-

3.1.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.1.1.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान स्वयं के एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO.) के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.1.1.2 जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कार्मिक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान के नियंत्रणाधीन होंगे।

3.1.1.3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक, प्राचार्य-डाइट, एडीपीसी.-समसा एवं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सेवाभिलेखों का संधारण, अवकाश प्रकरण, वेतन वृद्धि स्वीकृति, वेतन स्थिरीकरण, एसीपी., पेंशन आदि कार्य सम्पादित करेंगे। (संस्थापन अधिकारी के माध्यम से)

3.1.1.4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों को संयुक्त निदेशक कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3.1.2 प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अपने जिले से संबंधित प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निम्न प्रकार से करेंगेः-

3.1.2.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक जिला क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge) होंगे एवं जिला क्षेत्र के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF.), जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक एवं माध्यमिक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC.) एवं प्रधानाचार्य-डाइट इनके प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

3.1.2.2 जिले में विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्र क्रमांक राप्राशिप./गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ./2017-18/1271 दिनांक 30.05.2017 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। (परिशिष्ट-7)

3.1.2.3 राज्य सरकार, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/सीमेट/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी.), संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

3.1.2.4 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला निष्पादक समिति की मासिक बैठक एवं जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे। (सहायक निदेशक के माध्यम से)

3.1.2.5 जिला क्षेत्र के विद्यालयों के विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु अन्य विभागों यथा- पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम इत्यादि से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करेंगे। (प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से।)

3.1.2.6 जिला क्षेत्र के विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाह, औद्योगिक इकाइयों एवं दानदाताओं से सीएसआर. योगदान/जनसहयोग प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही करेंगे। (प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से)

3.1.2.7 जिला क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के नामकरण, गैर राजकीय विद्यालयों नाम में संशोधन हेतु प्रस्ताव सक्षम स्तर को प्रेषित करेंगे।

3.1.2.8 जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.1.2.9 सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दुओं पर सूचना/टिप्पणी, न्यायालय प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही की सुनिश्चितता।

3.1.2.10 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों, डाईट, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का वर्ष में न्यूनतम 3 बार निरीक्षण करेंगे।

3.1.2.11 विभाग/परिषद कार्यालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाओं की शाला दर्पण/शाला दर्शन एवं विभागीय पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट/उपलब्ध करवाए जाने की सुनिश्चितता।

3.1.2.12 जिला एवं राज्य स्तरीय बैठकों में जिले की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियों से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

3.1.2.13 अपने क्षेत्राधिकारी में कर्मचारियों/शिक्षकों की आवश्यकता, आपूर्ति, समायोजन, समानीकरण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और तदर्थ निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उस सन्दर्भ में उपयुक्त माध्यम से समुचित कार्यवाही करेंगे।

3.1.2.14 जिले में स्थित शिक्षा विभाग/परियोजना कार्यालयों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं समन्वय की सुनिश्चितता।

3.1.2.15 अपने अधीनस्थ कार्यालयों, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विभागीय आंतरिक अंकेक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.1.2.16 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्य विभाजन इस प्रकार करेंगे कि केवल संस्थापन कार्यों को छोड़कर आवंटित अन्य कार्यों से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों एवं कक्षाओं के लिए सम्पादित किया जावे।

3.1.3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC.) के रूप में कार्य एवं दायित्व

3.1.3.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, समग्र शिक्षा अभियान के कार्यों के निष्पादन हेतु जिला परियोजना समन्वयक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.1.3.2 जिला क्षेत्र के समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समस्त गतविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3.1.3.3 समग्र शिक्षा अभियान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएँगे।

3.1.4 जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक एवं माध्यमिक को आवंटित सभी कार्यों, स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान संबंधी समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निर्धारित समयावधि में लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.2 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगेः-

3.2.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.2.1.1 समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, मेवात/शारदे छात्रावास एवं परियोजनान्तर्गत अन्य आवासीय विद्यालय/छात्रावासों में कार्यरत कार्मिकों के सेवाभिलेख संधारण, वेतन, मानदेय आदि भुगतान, वेतनवृद्धि, वेतन स्थिरीकरण, अवकाश स्वीकृति आदि का कार्य करेंगे।

3.2.1.2 जिले में समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित नियमित एवं आवश्यक सूचनाएँ, कार्मिक आवश्यकताओं, पदस्थापन/ नियोजन सम्बन्धी प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य परियोजना कार्यालयों को प्रेषित करेंगे।

3.2.2 प्रशासनिक, शैक्षिक उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

3.2.2.1 जिले में ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय परियोजना कार्यालय एवं परियोजना गतिविधियों का प्रभावी कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.2 परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना के अधिकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, चोरी एवं गबन प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही।

3.2.2.3 परियोजना से संबंधित न्यायालय प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी का कार्य करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.4 जिला एवं राज्य स्तरीय बैठकों में जिले के समग्र शिक्षा अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमों की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/ गतिविधियों सम्बन्धित प्रगति का प्रस्तुतीकरण।

3.2.2.5 समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में विभिन्न प्रकोष्ठ/कम्पोनेंटवार अनुमोदित गतिविधियों का निर्देशानुरूप निर्धारित बजट राशि एवं समयावधि के अनुसार क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

3.2.2.6 समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, मेवात/शारदे छात्रावास, स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय एवं परियोजनान्तर्गत अन्य आवासीय विद्यालय/छात्रावास का सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.7 परियोजनान्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के संचालन व पर्यवेक्षण की सुनिश्चितता एवं इस हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

3.2.2.8 जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित लाभकारी योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।

3.2.2.9 परियोजना सम्बन्धी समस्त कार्यों की प्रगति की सूचनाओं का शाला दर्शन/शाला दर्पण/निजी विद्यालय पोर्टल/ PFMS पोर्टल पर प्रविष्टि एवं अपडेशन का कार्य करेंगे।

3.2.2.10 शाला दर्पण/शाल दर्शन पोर्टल पर समस्त सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अद्यतन हेतु जिले के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य एवं समन्वय करेंगे।

3.2.3 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC.) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किए जाएँगे।

3.3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगेः-

3.3.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.3.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक स्वयं के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.3.1.2 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवाभिलेखों का संधारण, अवकाश प्रकरण, वेतन वृद्धि स्वीकृति, वेतन स्थिरीकण, स्थायीकरण, एसीपी., पेंशन आदि कार्य किया जावेगा।

3.3.1.3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक पुनर्गठन से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा सम्पादित, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग राज. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांकः प.2(5)शिक्षा-1/प्रारं. शिक्षा/2003 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 के अनुसरण में जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के संस्थापन कार्य यथावत जिला परिषद् कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सम्पादित करेंगे। (परिशिष्ट-8)

3.3.1.4 विभागीय आदेश क्रमांक प.2 (5) शिक्षा-1/प्राशि/2003 दिनांक 31.01.2017 के अनुसार सीधी भर्ती से प्राप्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति पर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन संबंधी कार्य करेंगे। (परिशिष्ट-10)

3.3.1.5 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) कार्यालयों से प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, कनिष्ठ सहायकों, जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एसीपी. एवं स्थाईकरण प्रकरण निस्तारित किए जाएँगे।

3.3.1.6 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) कार्यालयों से प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

3.3.1.7 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) कार्यालयों से प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

3.3.1.8 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक नियुक्ति अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, निलम्बन, दण्ड, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि दायित्वों का सम्बन्धित नियमों के अधीन निर्वहन करेंगे।

3.3.1.9 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

3.3.1.10 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वर्ष 1998-99 एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षों की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे।

3.3.2 प्रशासनिक, शैक्षिक उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

3.3.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (8)प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के अनुसार जिले के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण (स्टाफिंग पैटर्न निर्धारण) हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। (परिशिष्ट-11)

3.3.2.2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव का परीक्षण का तदनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

3.3.2.3 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालयों को विभागीय निर्देशानुसार मान्यता/क्रमोन्नति सम्बन्धी समस्त कार्य करेंगे, साथ ही उक्त विद्यालयों का प्राधिकृत अधिकारों एवं मानदण्डों के अनुसार परिवीक्षण, अनुवर्तन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करेंगे।

3.3.2.4 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रारंभिक प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.3.2.5 प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में एकीकरण, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति, नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामकरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर सक्षम कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं उ.प्रा.वि. से मा.वि. में क्रमोन्नति के प्रस्ताव जि.शि.अ. (मुख्यालय) माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3.3.2.6 सूचना का अधिकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों,

चोरी एवं गबन प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.3.2.7 प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित न्यायालय प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी का कार्य करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3.3.2.8 कार्यालय परिक्षेत्र के पीईईओ. कार्यालय/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के आय-व्ययक अनुमान जिला स्तर पर संकलित कर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन की कार्यवाही करवाएँगे।

3.3.2.9 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु टी.सी., अध्यापकों के अनुभव प्रमाणपत्रों पर प्रति हस्ताक्षर, नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन संबंधी कार्य करेंगे।

3.3.2.10 जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।

3.3.2.11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आँगनबाड़ी, समन्वयन, आरटीई. (प्रारंभिक शिक्षा), एसआईक्यूई., प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, मिड-डे मील/अन्नपूर्णा दूध योजना, राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं निजी विद्यालयों की सूचनाओं एवं पोर्टल संबंधित कार्य आदि समस्त कार्यों का सम्पादन के संबंध में प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे, साथ ही निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य भी करेंगे।

3.3.2.12 जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना की क्रियान्विति हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

3.3.2.13 जिले में बीएड./बीएसटीसी. के छात्राध्यापकों को इन्टर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन पश्चात प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे।

3.3.2.14 आवंटित कार्यों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित जिले की सूचनाओं को शाला दर्शन /शाला दर्पण/निजी विद्यालय पोर्टल पर प्रविष्ट/अपडेट /उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.3.2.15 विभाग सम्बन्धी प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों/कार्यक्रम के सम्बन्ध में सीएसआईएस. पोर्टल, सुगम पोर्टल, लाईट्स 15 सूत्री कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रविष्टि एवं अपडेशन हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.3.2.16 उक्त के अतिरिक्त पुनर्गठन से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों में से जो कार्य मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे कार्य यथावत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक द्वारा किए जाते रहेंगे।

3.3.3 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC.) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किए जाएँगे।

3.4 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगेः-

3.4.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

3.4.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक स्वयं के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3.4.1.2 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवाभिलेखों का संधारण, अवकाश प्रकरण, वेतन वृद्धि स्वीकृति, वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, एसीपी., पेंशन आदि कार्य किया जाएगा।

3.4.1.3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण तथा तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सेवक, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य करेंगे।

3.4.1.4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सेवक, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, निलम्बन, दण्ड, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि दायित्वों का सम्बन्धित नियमों के अधीन निर्वहन करेंगे।

3.4.1.5 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) कार्यालयों से प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायकों, प्रयोगशाला सेवक, जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एसीपी. एवं स्थाईकरण प्रकरण निस्तारित किए जाएँगे।

3.4.1.6 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) कार्यालयों से प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु

संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

3.4.1.7 स्वयं के कार्यालय एवं जिले के आहरण वितरण अधिकारी (DDO.) कार्यालयों से प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन स्थरीकरण प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

3.4.1.8 तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/कनिष्ठ सहायक/प्रयोगशाला सेवक/ जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वर्ष 1997-98 एवं इससे पूर्ववर्ती वर्षों की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे।

3.4.2 प्रशासनिक, शैक्षिक उन्नयन तथा अन्य कार्य एवं दायित्व

3.4.2.1 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव का परीक्षण कर तदनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

3.4.2.2 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों को विभागीय निर्देशानुसार मान्यता/क्रमोन्नति सम्बन्धी समस्त कार्य करेंगे, साथ ही उक्त विद्यालयों का प्राधिकृत अधिकारों एवं मानदंडों के अनुसार परिवीक्षण, अनुवर्तन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करेंगे।

3.4.2.3 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रारंभिक प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.4.2.4 सूचना का अधिकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, चोरी एवं गबन प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.4.2.5 माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित न्यायालय प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी का कार्य करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3.4.2.6 जिले के विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा संबंधी कार्य, निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्य।

3.4.2.7 जिले के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टी.सी., अध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रति-हस्ताक्षर एवं नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन सम्बन्धी कार्य करेंगे।

3.4.2.8 कार्यालय परिक्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के आय व्ययक अनुमान जिला स्तर पर संकलित कर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे तथा बजट आवंटन की कार्यवाही करवाएँगे।

3.4.2.9 जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।

3.4.2.10 जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों/अध्यापकों /कार्मिकों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की विभागीय खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं, निजी विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिताओं, अन्य प्रतियोगिताओं, अन्य प्रतियोगिताओं, जिला स्तरीय समारोह, एनसीसी., एनएसएस., स्काउट गाइड, कब-बुलबुल आदि योजनाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे। (उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से)

3.4.2.11 जिला एवं राज्य स्तरीय बैठकों में जिले के माध्यमिक शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में जिले की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/ गतिविधियों से सम्बन्धित प्रगति को प्रस्तुत करेंगे।

3.4.2.12 जिले में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति तथा एकीकरण, नामकरण सम्बन्धी प्रस्तावों को विभागीय दिशा-निर्देशानुसार तैयार करवाकर निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

3.4.2.13 माध्यमिक शिक्षा संबंधी विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सीएमआईएस. पोर्टल, सुगम पोर्टल, लाईट्स 15 सूत्री कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रविष्टि एवं अपडेशन हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.4.2.14 जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं आदर्श विद्यालय योजना की क्रियान्विति हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

3.4.2.15 आवंटित कार्यों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित जिले की सूचनाओं को शाला दर्शन/शाला दर्पण/ निजी विद्यालय पोर्टल प्रविष्टि/अपडेट/ उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.4.3 उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC.) द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य सम्पादित किए जाएँगे।

4. सम्भाग स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

4.1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगेः-

4.1.1 संस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

4.1.1.1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) स्वयं के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO.) के रूप में राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

4.1.1.2 सम्भाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में कार्यरत समस्त अधिकारी, कार्मिक एवं सम्भाग के जिलों में कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (शिक्षा

सम्भाग अधिकारी) के नियंत्रणाधीन होंगे।

4.1.1.3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सम्भाग के जिलों में कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों के सेवाभिलेखों का संधारण, अवकाश प्रकरण, वेतन वृद्धि स्वीकृति, वेतन स्थिरीकरण, एसीपी., पेंशन आदि कार्य सम्पादित करेंगे।

4.1.14 स्वयं के कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों को निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

4.1.1.5 सम्भाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक के नियुक्ति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य करेंगे।

4.1.1.6 सम्भाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक की प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, निलम्बन, दण्ड, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि दायित्वों का सम्बन्धित नियमों के अधीन निर्वहन करेंगे।

4.1.1.7 सम्भाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक के एसीपी. एवं स्थाईकरण प्रकरण निस्तारित किए जाएँगे।

4.1.1.8 तृतीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक /पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक की सम्भाग स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण एवं संधारण करेंगे।

4.1.1.9 वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक पद की पदोन्नति एवं पदस्थापन का कार्य सम्पादित करेंगे।

4.1.1.10 वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की सम्भाग स्तरीय वरिष्ठता सूचियों का निर्माण कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

4.1.2 प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) अपने सम्भाग से संबंधित प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निम्न प्रकार से करेंगेः-

4.1.2.1 सम्भाग के समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (शिक्षा सम्भाग अधिकारी) के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

4.1.2.2 सम्भाग में विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्र क्रमांक राप्राशिप./गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ./2017-18/2171 दिनांक 30.05.2017 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएँगे। (परिशिष्ट-7)

4.1.2.3 राज्य सरकार, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

4.1.2.4 सम्भाग के समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक, प्राचार्य डाइट की मासिक बैठक का आयोजन कर विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

4.1.2.5 सम्भाग के जिलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

4.1.2.6 सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दुओं पर सूचना/टिप्पणी, न्यायालय प्रकरणों पर समयानुसार उचित कार्यवाही की सुनिश्चितता करेंगे।

4.1.2.7 सम्भाग के जिला स्तरीय कार्यालयों एवं डाइट का वर्ष में न्यूनतम 2 बार निरीक्षण करेंगे। सम्भाग के प्रत्येक जिले का 2 माह में एक बार न्यूनतम 2 दिवस का भ्रमण कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

4.1.2.8 अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत CTE. संस्थान एवं अन्य संस्थानों का पर्यवेक्षण एवं अनुदान संबंधी कार्य सम्पादित करेंगे।

4.1.2.9 सम्भाग के जिलों से सम्बन्धित सूचनाओं की शाला दर्पण/शाला दर्शन एवं विभागीय पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेशन का पर्यवेक्षण करेंगे।

4.1.2.10 अपने क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों/शिक्षकों की आवश्यकता, आपूर्ति, समायोजन, समानीकरण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और तदर्थ निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उस संदर्भ में उपयुक्त माध्यम से समुचित कार्यवाही करेंगे।

4.1.2.11 राज्य स्तरीय बैठकों में सम्भाग की शैक्षिक एवं अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियों से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

5.0 वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR.) के संबंध में व्यवस्था

5.1 ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुलों में कार्यरत अधिकारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR.) की व्यवस्था परिशिष्ट-12 के अनुसार होगी।

क्र.सं.	कार्यालय एवं व्यक्ति	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकारकर्त्ता
1.	**मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय**			
1.1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद् पदेन विशिष्ट शासन सचिव* (***)
1.2	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
1.3	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
1.4	सन्दर्भ व्यक्ति (RP)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
1.5	सन्दर्भ व्यक्ति (CWSN)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग
2.	**मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय**			
2.1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग	राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.2	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद् पदेन विशिष्ट शासन सचिव* (***)
2.3	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद् पदेन विशिष्ट शासन सचिव* (***)
2.4	अति. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
2.5	अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2.6	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान	आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद् पदेन विशिष्ट शासन सचिव (***)
2.7	सहायक परियोजना समन्वयक	अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान **
2.8	कार्यक्रम अधिकारी	अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान **
3.	**शिक्षा संभाग अधिकारी कार्यालय**			
3.1	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	आयुक्त, स्कूल शिक्षा	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3.2	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी–I	संयुक्त निदेशक संभाग	अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.3	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी–II	संयुक्त निदेशक, संभाग	अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

*निदेशक माध्यमिक शिक्षा/निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के वरिष्ठ होने पर आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद पदेन विशिष्ट शासन सचिव के स्थान पर स्वीकारकर्त्ता अधिकारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग होंगे।

**राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान की टिप्पणी पश्चात् आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा

कार्यालय, बीकानेर को प्रेषित की जायेगी।

***आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् पदेन विशिष्ट शासन सचिव की टिप्पणी पश्चात् आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, स्कूल शिक्षा विभाग (संबंधित ग्रुप) शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित की जायेगी।

● **(अशफाक हुसैन)**, विशिष्ट शासन सचिव। (मूल आदेश मय परिशिष्ट विभागीय वेबसाइट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** पर उपलब्ध हैं।)

माह : **नवम्बर, 2018**	**विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम**					प्रसारण समय : **दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक**
दिनांक	**वार**	**आकाशवाणी केन्द्र**	**कक्षा**	**विषय**	**पाठ क्रमांक**	**पाठ का नाम**
10.11.2018	शनिवार	जोधपुर	गैरपाठ्यक्रम	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस		
12.11.2018	सोमवार	बीकानेर	9	विज्ञान	14	स्वास्थ्य, रोग एवं योग
13.11.2018	मंगलवार	उदयपुर	5	पर्यावरण अध्ययन	9	कहाँ कहाँ से पानी
14.11.2018	बुधवार	जयपुर	गैरपाठ्यक्रम	बाल दिवस (उत्सव)		
15.11.2018	गुरुवार	जोधपुर	8	हिन्दी	15	शक्ति और क्षमा
16.11.2018	शुक्रवार	बीकानेर	8	हिन्दी	17	हुंकार की कलंगी
17.11.2018	शनिवार	उदयपुर	9	हिन्दी प्रबोधिनी	गद्य 9	अभ्यर्पण
19.11.2018	सोमवार	जयपुर	गैरपाठ्यक्रम	कालिदास जयंती (उत्सव)		
20.11.2018	मंगलवार	जोधपुर	4	हिन्दी	15	कुरज री विनती
22.11.2018	गुरुवार	बीकानेर	गैरपाठ्यक्रम	गुरुनानक जयंती		
24.11.2018	शनिवार	उदयपुर	8	हिन्दी	11	गौ संरक्षण से ग्राम विकास
26.11.2018	सोमवार	जयपुर	गैरपाठ्यक्रम	संविधान दिवस (उत्सव)		
27.11.2018	मंगलवार	जोधपुर	10	विज्ञान	16	ब्रह्माण्ड एवं जैव विकास
28.11.2018	बुधवार	बीकानेर	10	सामाजिक विज्ञान	15	भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एवं नवीन प्रवृत्तियाँ
29.11.2018	गुरुवार	उदयपुर	10	विज्ञान	14	पादप एवं जन्तुओं के आर्थिक महत्त्व
30.11.2018	शुक्रवार	जयपुर	10	विज्ञान	12	प्रमुख प्राकृतिक संसाधन

कार्य दिवस– 16, (प्रसारण–16, अन्य–0) **अवकाश–14** (रविवार–04, अन्य– 10) **उत्सव–05 ● निदेशक,** शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

शिविरा पञ्चाङ्ग नवम्बर, 2018

नवम्बर-2018					
रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	

नवम्बर 2018 ● कार्य दिवस–16 , रविवार–04, अवकाश–10,उत्सव–05 ● 1 से 9 नवम्बर– मध्यावधि अवकाश, **7 नवम्बर–**दीपावली (अवकाश), **8 नवम्बर–**गोवर्धन पूजा (अवकाश), **9 नवम्बर–** भैया दूज (अवकाश), **11 नवम्बर–**राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव), **12 नवम्बर–**समुदाय जागृति दिवस–SSA, **12 से 13 नवम्बर–**तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, **14 नवम्बर–**बाल दिवस (उत्सव), **16 से 17 नवम्बर–**जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता, **17 नवम्बर–**नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा (SIERT), **19 नवम्बर–**कालिदास जयन्ती (उत्सव), **21 नवम्बर–**बारावफ़ात (अवकाश–चन्द्र दर्शनानुसार), **23 नवम्बर–**गुरु नानक जयन्ती (अवकाश–उत्सव), **26 नवम्बर–**संविधान दिवस (उत्सव), **28–30 नवम्बर–**राज्य स्तरीय केजीबीवी. खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, (अ)राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा,(ब) राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, (स) राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। **SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम:** केजीबीवी. नवचयनित शिक्षिकाओं हेतु रिव्यू कार्यशाला।

गतिविधि आधारित अधिगम (ABL)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए

❒ डॉ. डी.डी. गौतम

शिक्षा केवल शब्दों के सुनने अथवा किताबों के पढ़ने से नहीं मिलती बल्कि बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण एवं अनुभवों से स्वत: ही सीखता है। हाँ विद्यालय एवं कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षक के माध्यम से स्वाभाविक क्रियाओं को करने की प्रेरणा अवश्य मिलती है। यदि कक्षा की परिस्थितियाँ बच्चे को निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर नहीं करें तो शिक्षक एवं बच्चा दोनों ही सीखते है। समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में स्वयं का ज्ञान सृजित करने की क्षमता को विकसित करती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा:-

एन.सी.एफ.-2005 में कक्षा-कक्ष शिक्षण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य में स्पष्ट किया गया है कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के सार्थक और आनन्ददायी अनुभवों एवं सदंर्भों को केन्द्रित करते हुए भयमुक्त मूल्यांकन के प्रयास किए जाएँ। प्रत्येक बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षक द्वारा योजना का निर्माण किया जाता है। जिससे बच्चे अपने अनुभव, विचार और सहभागिता के आधार पर ज्ञान की रचना स्वयं करते है। इसमें विद्यार्थियों की सक्रियता व रचनात्मक सार्थकता को पोषित एवं संवर्धित करने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के अनुसार कानून की धारा-29 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार का तैयार किया जाए जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के पहलुओं को ध्यान में रखा जाए कक्षाओं में शिक्षण के तरीकों से बच्चों की अन्तर्निहित क्षमताओं को उबारा जाऐ एवं उनमें ज्ञान की सृजन क्षमता स्वतः में विकसित हो सके। साथ ही बच्चे के अधिगम का शिक्षण के दौरान निरन्तर मूल्यांकन भी किया जाए। एन.सी.एफ.-2005 के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपनी गति, स्तर एवं रुचि के अनुसार सीखता है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा-29 (ड़) के अनुसार सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बालकों के अनुभव गतिविधि आधारित एवं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली हो। प्रत्येक

बच्चे के सीखने की प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि आधारित अधिगम (एबीएल.) की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के स्तरानुसार गतिविधियों में परिवर्तन कर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में बाल केन्द्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। जिससे बच्चे अपनी गति, रुचि और स्तर के अनुसार अधिगम करते हुए ज्ञान का निर्माण कर सकें। प्रत्येक बच्चे को करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षक मददगार के रूप में बच्चों को स्वतन्त्र विचार रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को आँगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाई जाती है। इसके द्वारा औपचारिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। इस प्रकार की पूर्व प्राथमिक शिक्षा (पी.पी.ई.) को 'स्कूल रैडिनेस कार्यक्रम' भी कहा जाता है, जो बच्चों के जीवन में बुनियाद के रूप में सार्थक सिद्ध होता है। इसके अन्तर्गत शालापूर्व सीखने-सिखाने का वातारण निर्माणार्थ बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित अधिगम संवेगात्मक और रचनात्मक प्रकृति का विकास करता है। जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बालक मानसिक एवं शारीरिक, गामक विकास के कौशलों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया के लिए शिक्षा का आधारभूत ढाँचा सुदृढ़ किया जावे तथा विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, जिससे विद्यालयों एवं शिक्षकों की मानसिकता में सकरात्मक वातारण तैयार किया जा सकें। इसके लिए सुविधायुक्त भवन, पर्याप्त कक्षा-कक्ष, पर्याप्त संदर्भ सामग्री, पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यव्यस्था, शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन, शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों एवं शिक्षकों में समन्वय की आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े सभी घटकों में सकारात्मक मानसिक बदलाव एवं परस्पर समन्वय अति महत्त्वपूर्ण है।

कक्षा में गतिविधियों में शामिल हुए बिना एक निष्क्रिय ग्राह्यकर्ता के रूप में बैठकर एवं रटे-रटाए ज्ञान के आधार पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेना ही सीखना नहीं है। सीखना तब होता है- जब बच्चे मानसिक सक्रिय रहकर किसी विषय पर चिन्तन-मनन करते है, अपने साथियों, बड़ों से विचार-विमर्श करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तार्किक चिन्तन करते हैं, नतीजे निकालते हैं और इस तरह अपने ज्ञान को स्वयं गढ़ते है। एन.सी.एफ, 2005 में इसी को 'कन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज' कहा गया है। सीखने-सिखाने की इस प्रक्रिया में बच्चे, निष्क्रिय ग्राह्यकर्ता के बजाए एक सक्रिय सहभागी के रूप में भागीदारी निभाते हैं। वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रम/गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत हो रहा है। वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाए जा रहे सवाल यह है कि कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर नहीं रखते हैं और आयु अनुरूप कक्षोन्नति ले रहे हैं। इससे बच्चों की आयु या अपेक्षित अधिगम स्तर में अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस अन्तर को प्राथमिक कक्षाओं में कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता परिकल्पना प्रतीत हो रही है। इस हेतु शिक्षकों को कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में बच्चों के अधिगम, शिक्षण विधा के साथ-साथ अन्त:क्रिया के तरीकों में बदलाव किया जाना नितान्त आवश्यक है। एन.सी.एफ.-2005 एवं आर.टी.ई. अधिनियम-2009 में शिक्षा को एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जो बच्चों को गरिमामय अवसर उपलब्ध कराती है। आर.टी.ई. की धारा-29 (2) में वर्णित पहलुओं को संज्ञान में रखते हुए अधिगम को गरिमामय उद्देश्य से राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए SIQE (State Initiative for Quality Education) के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से समस्त उत्कृष्ट, चयनित आदर्श एवं लैब विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में 11000 विद्यालयों की कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) का प्रभावी ढंग से संचालन किया गया है, जिससे लगभग 2 लाख 50 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अन्तर्गत चयनित विद्यालय में कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में बाल केन्द्रित शिक्षाशास्त्र के अनुसार गतिविधि आधारित कक्षावार एवं विषयवार ABL किट उपलब्ध करवाई गई है साथ ही इन विद्यालयों में एक गतिविधि कक्ष का विकास भी किया गया है।

बच्चों के अधिगम स्तरानुसार विषयवार लेखन व चित्रण के माध्यम से शिक्षण- अधिगम रुचिकर, आनन्ददायी और प्रभावी बनाया जाकर दीवार पर बच्चों के स्वतन्त्र रूप से कार्य करके सीखने के उद्देश्य से 2.5 फीट ऊँचाई तक श्यामपट्ट का स्थान दिया गया है। कक्ष में डॉट बोर्ड, बाक्स बोर्ड, डिसप्ले बोर्ड, चौकी, रैक व शिक्षक विद्यार्थी किट के रूप में आवश्यक सहायक सामग्री/स्टेशनरी (पेन्सिल, शार्पनर, रबर, पेपर रिम, कार्ड शीट व क्रियोन कलर इत्यादि) आनन्द एवं सक्रियता को बढ़ाती है तथा बच्चों की मानसिक गतिविधियों, यथा तार्किक चिन्तन, आपसी विचार-विमर्श, अपने आप करना आदि को उत्प्रेरित कर उन परिस्थितियों का सृजन करती है जहाँ बच्चा अपने ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं सहभागी होता है।

गतिविधि आधारित अधिगम के उद्देश्य:-

- प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) सुनिश्चित करना।
- शिक्षण को सहज, सरल, आनन्ददायी एवं रुचिकर बनाना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।
- कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया को गतिविधि आधारित बनाना।
- कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना।
- बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना।
- बच्चे में सीखने के प्रति पूर्णता की भावना को प्रोत्साहित करना। गतिविधि आधारित अधिगम किट।

राज्य में चयनित विद्यालयों को एक गतिविधि किट उपलब्ध करवाई गई है, जिससे कक्षा 1 व 2 के बच्चे स्वयं गतिविधि करते हुए सक्रिय अधिगम कर ज्ञान का निर्माण कर सकें। गतिविधि आधारित अधिगम किट में तैयार सामग्री का विभिन्न विषयों के अधिगम सूचकों, अधिगम क्षेत्रों, सीखने के प्रतिफल (LO's) व उच्च शिक्षाक्रमणीय उद्देश्यों के साथ अन्तर्सम्बन्ध को Circular Diagram में रेखांकित किया गया है। जिसमें बच्चे के साथ की गई गतिविधियों को केन्द्र में रखकर उसकी शैक्षिक प्रगति के उत्तरोत्तर विकास को दर्शाया गया है। इसके अलावा शिक्षक स्थानीय परिवेश में उपलब्ध अन्य सामग्री को उपयोग में ले, जिससे बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें। किट में विषयवार सामग्री सम्मिलित की गई है -

हिन्दी :-

- चार्ट

- फ्लेश कार्ड- स्वर, व्यंजन एवं मात्राएँ
- चित्र एवं वाक्य पहेली
- विभिन्न प्रकार के मुखौटे
- गतिविधि कार्ड
- शब्द खेल पट्टिका
- चकरी
- शब्द एवं मात्रा ज्ञान कलेण्डर
- कार्यपत्रक पुस्तिका

अंग्रेजी:-

- Instructions
- Flash Card (small & Capital Letters)
- Domino Card
- Month Name Card
- Picture Card
- Word Card (flower Shape)
- Action Card (ice-cream Shape)
- Story Card
- Picture Puzzle Card
- Sentence Card
- Activity Card
- Worksheet booklet

गणित:-

- कक्षा-1 हेतु गतिविधि कार्ड कुल 27
- कक्षा-2 हेतु गतिविधि कार्ड कुल 15
- चकरी - 1 प्रकार
- खिलौना नोट रु.. 1,2,5,10,20,50, 100 एवं 200 (8 प्रकार के) प्रत्येक के 20
- दुकान हेतु कार्ड 20 प्रकार के विभिन्न आकृतियों में
- संख्या कार्ड (लैश कार्ड) 0 से 100 तक के 101 कार्ड
- संख्या कार्ड (लैश कार्ड) 0 से 20 तक के एवं 4 प्रकार के चिह्न कुल 25 कार्ड
- मछली की आकृति के साथ संख्या लैश कार्ड 1 से 20 तक 20 प्रकार के
- संख्या निर्माण कलैण्डर
- फिसलती पट्टिका (जोड़/घटाव)
- वर्ग पहेली (मूल्यांकन चार्ट) 6 प्रकार की
- संख्या खिड़की 3 प्रकार की
- रंग संकेतीकरण कार्ड 2 प्रकार का
- डोमिनो कार्ड 1 से 20 अंक तक एवं 7 सप्ताह के दिन 27 प्रकार के
- महीने के नाम 12 प्रकार के कार्ड
- 0 से 9 तक की स्टेनसिल
- घड़ी
- विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ
- कार्यपत्रक पुस्तिका कक्षा 1 एवं 2 हेतु

कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया:-

कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रक्रिया सतत् व व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही क्रियान्वित होगी। कक्षा में बच्चे छोटे-छोटे समूहों में बैठकर गतिविधि आधारित कार्य करेंगे, जिससे कक्षा में स्तरानुसार व बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य करवाया जा सके। विद्यालयों को कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया हेतु ABL किट उपलब्ध करवाई गई है, किट की सामग्री का उपयोग बच्चों के अधिगम स्तर उन्नयन हेतु किया जाना है, जिससे शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किए गए विषयवार दीवार लेखन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। गतिविधि किट का निर्माण शिक्षण कार्य में 'करके सीखने' की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया हैं। किट की सामग्री को बनाते हुए यह ध्यान रखा गया है कि शिक्षक इसकी प्रत्येक सहायक सामग्री को अपने विषयवस्तु में अधिक से अधिक उपयोग कर अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यापकता में उच्चस्तरीय कौशलों पर भी कार्य कर सकेंगे, यथा-सम्प्रेषण, अभिव्यक्ति, सृजनशीलता, तर्कशीलता, परिवेशीय सजगता, विषय के प्रति रुझान आदि।

आकलन एवं मूल्यांकन:-

आकलन छोटे-छोटे उद्देश्यों के साथ किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का आधार है। आकलन से कार्य की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आकलन में संभावनाएँ व्याप्त होती हैं। मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करता है तथा निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर समग्रता में मूल्यांकित करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता लगता है कि अपेक्षित दक्षताएँ किस स्तर तक विकसित हो पाई हैं।

हमारे दायित्व:-

शिक्षक के रूप में:-

- बाल केन्द्रित शिक्षण-शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न कराना।
- शिक्षक द्वारा बच्चों का गतिविधि आधारित अधिगम, उनका व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यक्षेत्र में आकलन करना।
- ABL किट की मदद से बच्चों के अधिगम स्तर में अभिवृद्धि करना।
- ABL किट में उपलब्ध गतिविधि कार्डों व अन्य सामग्री के माध्यम से कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया को रुचिकर बनाना।
- बच्चों की सहभागिता का अवलोकन कर अधिगम उपलब्धि को दर्ज करना।

संस्था प्रधान के रूप में:-

- कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण को सुनिश्चित करना।
- कक्षा शिक्षण में ABL किट के उपयोग की सुनिश्चितता।
- शिक्षकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण में आ रही शिक्षकों की कठिनाइयों को पहचानना व समाधान के प्रयास करना।
- विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रयास करना।
- संस्थाप्रधान द्वारा अभिभावक- शिक्षक बैठक में बच्चों की शैक्षिक प्रगति को समुदाय के साथ साझा करना।

अति. जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक द्वितीय, भरतपुर
मो. 9413671118

रपट

मेरी जापान यात्रा के अविस्मरणीय पल

❒ डॉ. कल्पना शर्मा

जापान-एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस एण्ड टेक्नोलोजी जिसे 'सकूरा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम' भी कहा जाता है, के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिल्ली एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 में अध्ययनरत छः विद्यार्थियों के साथ सुपरवाईजर टीचर के रूप में मुझे जापान की यात्रा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम दिनांक 7 से 14 अप्रैल 2018 तक आयोजित हुआ।

2017-18 के शीतकालीन अवकाश के बाद दिनांक 8.1.2018 को विद्यालय समय पश्चात् विद्यालय से प्रस्थान करते समय अचानक जब RCSE. जयपुर द्वारा मुझे इस कार्यक्रम हेतु बतौर सुपरवाइजर टीचर के रूप में जाने की सूचना दी गई तो इसे सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। कल्पनाओं को जैसे पंख लग गए हो, बचपन में देखा गया विदेश यात्रा का स्वप्न मानो साकार हो चला।

कक्षा 10 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्र व तीन छात्राओं का चयन लॉटरी द्वारा किया गया। ये विद्यार्थी थे-

1. श्री हिमांशु कनोजिया-कक्षा XI, एस.वी.जी.एम.एस. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
2. श्री रतनलाल-कक्षा XI, रा.उ.मा.वि. अकलेरा, झालावाड़
3. श्री जय अवस्थी-कक्षा XI, रा.उ.मा.वि. जालोर
4. सुश्री कीया पांजा-कक्षा XI, रा.बा.उ.मा.वि. झोटवाड़ा, जयपुर
5. सुश्री कल्पना मीणा-कक्षा XI, एस.वी.जी.एम.एस. परबतसर, नागौर
6. सुश्री निकीता राठौड़-कक्षा XI, रा.उ.मा.वि. ताथेड़, कोटा

सभी चयनित विद्यार्थियों व मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट, वीजा व अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार करने सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को जनवरी से मार्च 2018

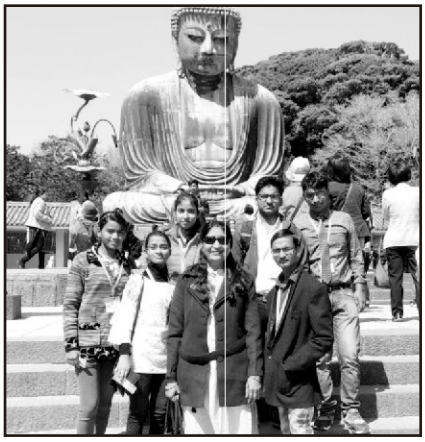

तक पूर्ण किया।

आखिरकार अप्रैल की निर्धारित दिनांक को नीलगगन में उड़ने का समय आ ही गया। R.C.S.E. जयपुर द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जापान यात्रा पर जाने वाले राजस्थान दल को दिनांक 6.4.18 को प्रातः 10 बजे प्रमुख शिक्षा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती आनन्दी, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्री सुरेश चन्द्र एवं R.C.S.E. के सभी गणमान्य अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में श्री नरेशपाल गंगवार द्वारा हरी झण्डी दिखाकर विदा किया गया। सचमुच यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था।

सायं 6 बजे हम NCERT. दिल्ली पहुँचे। रात्रि विश्राम पश्चात् अगले दिन प्रातः 10:30 बजे इसी केम्पस में स्थित चाचा नेहरु भवन में 'ऑरिएण्टेशन सत्र' आयोजित हुआ। इस सत्र में जापान यात्रा के प्रथम समूह के रूप में राजस्थान के साथ पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश व केरल भी सम्मिलित थे।

दिनांक 7.4.2018 को सायं 4 बजे सभी पाँच राज्यों के विद्यार्थी व सुपरवाईजर शिक्षक, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल-2 हेतु रवाना हुए। समस्त तकनीकी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में लगभग डेढ़ घण्टे से अधिक समय लगा। तत्पश्चात् रात्रि 9:15 बजे हमारी विदेश यात्रा का प्रारम्भ हुआ। रूई के ढेर के समान दिल्ली से टोक्यो तक 5913 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 8 घण्टे का समय लगा। दिनांक 8.4.2018 को टोक्यो के समय के अनुसार प्रातः 8:30 बजे हवाई जहाज नेरीटा एयरपोर्ट पर उतरा।

प्रथम दिवस- 8.4.2018

नेरीटा एयरपोर्ट पर सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जब हम बाहर आए तो जापान इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन एजेन्सी (JICA.) के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से भारतीय दल का स्वागत किया और यात्रा की सारी थकान काफूर हो गयी। JICA. के कॉर्डिनेटर्स द्वारा अतिआधुनिक बस द्वारा हमें हवाई-अड्डे से लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित टोक्यो शहर के मध्य में JICA. ले जाया गया। यहाँ आमुखीकरण सत्र आयोजित किया गया जिसमें आगामी सात दिवसों हेतु भ्रमण कार्यक्रम व जापान देश की आवश्यक जानकारियाँ प्रदान की गईं। इस सत्र में भारतीय दल के साथ-साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं मालदीव के दल भी उपस्थित थे।

द्वितीय दिवस -9.4.2018

द्वितीय दिवस को प्रातः 5 बजे ही भोर का उजाला खिड़की से झाँक रहा था। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर हमने काशीवा सिटी की यात्रा करने हेतु प्रस्थान किया। यहाँ पर 'शिविरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' तथा जूनियर व सीनियर हाई स्कूल देखने का अवसर मिला। इस इंस्टीट्यूट में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2015 में नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. स्काटीजा द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। प्रो. काजीटा द्वारा अपने प्रथम प्रयोग 'कामियोकान्डे' जो कि 'न्यूट्रिनो ऑसिलेशन्स' संबंधी था, का पावर पोईन्ट प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।

प्रोफेसर काजीटा द्वारा एक अनमोल वाक्य उद्धृत किया गया **'जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो पीछे नहीं हटें बल्कि उसे करने हेतु शुरुआत अभी से ही कर दें।'**

यह वाक्य विद्यार्थियों के कॅरिअर निर्माण व भविष्य के प्रति उत्साहित करने वाला था।

काशीवा स्थित जूनियर व सीनियर हाई स्कूल का अवलोकन व जापानी विद्यार्थियों के साथ समूहचर्चा आदि गतिविधियाँ जापानी संस्कृति को जानने हेतु अनुपम व अविस्मरणीय था।

तृतीय दिवस 10.4.2018

इस दिन हमारा कारवाँ एक अत्यंत रोमांचक मंजिल की ओर बढ़ा जिसका नाम है 'JAMSTEC.' यानि 'जापान एजेन्सी फॉर मेरीनअर्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी।' यहाँ हमने समुद्र की गहराइयों में खोज करने वाले अत्याधुनिक पानी के भीतर चलने वाले स्वचालित वाहन 'यूरेशिमा' और 'शिंकई-6500' की कार्यप्रणाली को समझा। ये अत्याधुनिक यंत्र न केवल जापान वरन पेसिफिक, एटलांटिक व हिन्द महासागर की गहराइयों में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों हेतु प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर अनेक समुद्री जीवों जैसे- यूनोहाना क्रेब व ट्यूब वॉर्म को देखने का अवसर मिला। विज्ञान व तकनीकी से संबंधित ऐसे अनूठे स्थल का अवलोकन विद्यार्थियों को वैज्ञानिक चिन्तन की ओर उन्मुख करने के साथ-साथ रोमांचित करने वाला था।

JAMSTEC. के पश्चात् सांस्कृतिक महत्त्व की दृष्टि से 'कामाकुरा सिटी' पहुँचे जहाँ हमने भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध मठ देखा। इसकी कलात्मकता देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। वहाँ पर जापान की सभ्यता संस्कृति व धर्म की जानकारियाँ भी जानने का अवसर मिला जो वाकई जीवन के अविस्मरणीय पल थे।

चतुर्थ दिवस 11.4.2018

हम प्रतिदिन की तरह ही खुशनुमा सफर का आनन्द लेते हुए बस का लगभग डेढ़ घण्टे का सफर तय करके इसदिन 'योकोहोमा नेशनल यूनिवर्सिटी' (YNU.) पहुँचे। वृहद् क्षेत्र में फैले हुए इस विश्वविद्यालय का परिसर विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन व शैक्षिक अधिगम के साथ-साथ उनकी अभिवृद्धि कौशल व व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु अनुपम था। इस परिसर की मुख्य विशेषता यहाँ का प्रदूषण रहित वातावरण था। समूचे परिसर में साइकिल का उपयोग किया जाता है व स्मार्ट फोन द्वारा

'साइकिल शेयरिंग सिस्टम' संचालित है। यहाँ श्री फ्यूमिहिको नाकामुरा' उपाध्यक्ष YNU. द्वारा 'सस्टिनेबल अरबन ट्रांसपोर्टेशन' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया साथ ही यहाँ पर अध्ययनरत पाँच भारतीय छात्र-छात्राओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। शाम के वक्त हम सभी ने '100 येन शॉप' में शॉपिंग का लुत्फ उठाया।

पंचम दिवस 12.4.2018

साकूरा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के पाँचवे दिन हम एक साइन्स म्यूजियम 'मिराइकन' को देखने पहुँचे। टोक्यो स्थित इस मिराइकन का शाब्दिक अर्थ है-'भविष्य'। यहाँ की क्यारियाँ रंग-बिरंगी पुष्प-सी लकदक थी। यहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के नवाचारों जैसे 'जियो कॉस्मॉस' और 'आशीमो रोबोट' के प्रदर्शन से अचंभित हुए बिना नहीं रहे। तत्पश्चात् हम टोक्यो से ही कुछ दूरी पर स्थित 'सोना नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट' का अवलोकन करने पहुँचे। शैक्षणिक दृष्टि से परिपूर्ण इस म्यूजियम में भूकम्प के समय स्मार्ट टेबलेट के उपयोग द्वारा सुरक्षा के इंतजामों व युक्तियों की जानकारी दी गई।

इसके पश्चात् हम टोक्यो के प्रसिद्ध संग्रहालय 'इडो टोक्यो म्यूजियम' पहुँचे। इस म्यूजियम का सौन्दर्य वर्णनातीत है। यहाँ जापान के इतिहास को बड़े ही करीने से संजोया गया है। विभिन्न पुरातात्विक महत्त्व की चित्रकारी, प्राचीन नाव के प्रतिरूप आदि अवलोकनार्थ रखे गए हैं।

षष्ठम दिवस 13.4.2018

भ्रमण के छठे दिन हमने जापान के दूसरे सबसे बड़े विश्वविद्यालय-'सुकुबा' की ओर प्रस्थान किया। टोक्यो से लगभग 60 किमी. की दूरी पर स्थित 636 एकड़ भूमि पर फैला यह विश्वविद्यालय शिक्षण व शोध की दृष्टि से अनूठा है। यहाँ विभिन्न विषयों व संकायों से संबंधित सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं। साथ ही यह विशाल पुस्तकालय, खेल मैदान व अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर तीन नोबल पुरस्कार विजेता भी कार्यरत हैं। यहाँ पर मणिपुर के एक छात्र लालहबा ओइनामचा ने भारतीय दल के सभी विद्यार्थियों को शानदार ढंग से विभिन्न संकायों के बारे में जानकारी दी। यहाँ 'सुपर कम्प्यूटर्स' को देखने व इनकी कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला।

दोपहर पश्चात् हम टोक्यो स्थित जापान एजेन्सी फॉर साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी (JST.) के मुख्यालय पहुँचे, जहाँ पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का समापन सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सभी आमंत्रित देशों के दूतावास से एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। जापान के विदेश व खेल मंत्री द्वारा उद्बोधन प्रदान किया गया। प्रत्येक देश से एक विद्यार्थी द्वारा जापान यात्रा के अनुभव साझा किए गए। इस अवसर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की ओर से कुमारी निकीता राठौड़ द्वारा एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। सभी अतिथि देशों के विद्यार्थियों व सुपरवाईजर शिक्षकों को JST. द्वारा साइंस क्लब की आजीवन सदस्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

सप्तम दिवस 14.4.2018

यात्रा के अंतिम दिन प्रातः 5:00 बजे हमने JICA. से विदा ली व पुनः नेरीटा अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पर पहुँचे। समस्त तकनीकी प्रक्रियाएँ पूर्ण तक JCT. की समन्वयक सदस्याएँ अराई सांग, काजी सांग व चिको सांग हमारे साथ थीं। हम सभी का मन काफी उदास था किन्तु मिलन व विदाई प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। अन्ततः सजल नेत्रों से

भारतीय दल ने मेजबान राष्ट्र जापान से यही कहते हुए विदा ली..

सायोनारा! सायोनारा! हम फिर आएँगे सायोनारा!

जापान के विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था:– सात दिवसीय यूथ एक्सचेंज के तहत विज्ञान व तकनीकी के साथ–साथ जापान की संस्कृति को करीब से देखने व सीखने का सुनहरा अवसर मिला। जापान की शैक्षिक व्यवस्था का ताना–बाना जापानी समाज व संस्कृति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है।

जापानी हाई स्कूल के विद्यार्थी, विद्यालय आने–जाने हेतु साइकिलों का उपयोग करते हैं बशर्ते घर से विद्यालय अधिक दूरी पर नहीं स्थित हो। इस देश की समतल भौगोलिक संरचना व पर्यावरण संरक्षण को महत्त्व देते हुए, साइकिलों द्वारा यात्रा सम्मानजनक मानी जाती है। प्रत्येक कक्षा में छात्र–छात्राओं को 5–5 या 6–6 के समूहों में बाँटकर अध्यापन करवाया जाता है। इन समूहों को 'हान' कहा जाता है। इस 'हान व्यवस्था' में मेधावी विद्यार्थी, समूह के कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग करते हैं ताकि पूरे समूह या कक्षा का एक साथ विकास हो सके।

जापान देश में विद्यालयों के विशाल भवन सभी आवश्यक संसाधनों से परिपूर्ण है। सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, प्रत्येक विद्यालयों में वृहद् खेल मैदान, विभिन्न उपकरणों से युक्त कक्षा–कक्ष हैं जहाँ बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन अंतिम कालांशों में विद्यालय के कक्षा–कक्षों, भोजनशाला व शौचालयों की सफाई स्वयं करते हैं। इस हेतु प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की सूची (आवंटित प्रभार विवरण) विद्यालयी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती है। विद्यार्थी कक्षा–कक्ष, ग्रीन बोर्ड चॉक पाउडर आदि को साफ करते हैं व समूचे विद्यालय परिसर के कचरे को एक जगह विशिष्ट कचरा पात्रों में एकत्र करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला यह स्वच्छता अभियान 'ओ सोजी' कहलाता है।

जापान में सार्वजनिक स्थलों, कॉलेज, स्कूल आदि स्थानों पर आमतौर पर कचरा देखने को नहीं मिलता है। कचरा निपटान हेतु अति विशिष्ट प्रकार के कचरा पात्रों का उपयोग किया जाता है। इन कचरा पात्रों में दहनशील, अदहनशील और पुनः चक्रण योग्य कचरे को पृथक–पृथक खण्डों में एकत्रित किया जाता है।

जापानी भाषा में नमस्ते यानि 'कोनीचीवा' और धन्यवाद यानि 'आईघाटो' जैसे अनेक शब्दों को हमने सीखा। जापान में व्यतीत किए गए इन सात दिनों की मधुर स्मृतियाँ आजीवन जीवंत रहेगी। जापान की संस्कृति, जापानियों की जीवनशैली, विनम्रता, मधुर व्यवहार, अनुशासन, समय की पाबन्दी, राष्ट्रीयता एवं कार्य के प्रति लगन अनुकरणीय है। यहाँ सभी विश्वविद्यालय संसाधनों से परिपूर्ण हैं। सभी शिक्षक, प्रोफेसर आदि दयालु, सहयोगी एवं मददगार हैं। यहाँ अध्ययन व शोध हेतु समुचित परिस्थितियाँ हैं। इस देश में मेधावी विद्यार्थियों हेतु अध्ययन के साथ–साथ फेलोशिप व पार्ट टाईम रोजगार के भी पर्याप्त अवसर हैं।

जापान का राष्ट्रीय पुष्प 'सकूरा' है। हमारे जापान प्रवास के दौरान बसन्त का मौसम था जो कि अप्रैल माह के प्रथम पखवाड़े तक रहता है। इस मौसम को 'चेरी ब्लॉसम' भी कहते हैं। शकूरा पुष्प, पुलम वंश के पादपों वाली एक पुष्प प्रजाति है। ये पुष्प बेहद गुलाबी या सफेद रंग के बेहद सुन्दर होते हैं जो कि देश की समर्पण भावना, ईमानदारी व सुन्दरता का द्योतक होता है। 'सकूरा' हर पल को उत्कृष्ट बनाने का सन्देश देता है।

अन्ततः यह कहना उचित होगा कि 'सकूरा ग्रंथ स्वरबिंज प्रोग्राम' के तहत जापान की यात्रा के गौरवमयी पल हमारे लिए बेहद प्रेरणादायी रहे। विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति व जनजीवन के दिग्दर्शन के साथ विद्यार्थियों को भविष्य में कॅरिअर निर्माण की दिशा में यह यूथ स्वरचित प्रोग्राम मील का पत्थर सिद्ध होगा। भारत सरकार व राज्य सरकार की इस अनूठी पहल द्वारा हमारे देश की भावी पीढ़ी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगी।

प्रधानाचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल
स्कूल बनेड़ा, भीलवाड़ा
मो: 9414838145

बोध कथा

हमारे यहाँ पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है

स्वामी सत्यदेव जी अमेरिका में विद्याध्ययन के लिए गए थे। एक बार अचानक उनको मोची की दुकान पर जाने की आवश्यकता हुई। उन्होंने अपना फटा हुआ जूता मोची के सामने रखकर कहा–''भाई, जल्दी से इसकी मरम्मत कर दो।''

मोची अपने काम में व्यस्त था। उसने धागा और सुआ स्वामीजी के सामने रख दिया और बोला–''श्रीमान् हाथ में अभी अधिक काम होने के कारण मैं यह काम जल्दी से नहीं कर सकता। आप स्वयं ही इसे सी लीजिए।''

स्वामी जी को अमेरिका में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। इसलिए वे वहाँ के रीति–रिवाजों से ठीक से परिचित नहीं थे। उन्होंने मोची की ओर टेढ़ी आँख से देखा और डाँट कर कहने लगे–''तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? तुम जानते हो कि मैं कितना पढ़ा–लिखा हूँ? क्या अब मैं जूते सीऊँगा?''

मोची स्वामी जी के मन की बात समझ गया और मुस्कुरा कर बोला–''स्वामी जी, लगता है आप इस देश में कुछ दिनों से ही है। यहाँ के रीति–रिवाज से अभी अनभिज्ञ हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि आप पढ़े–लिखे होकर भी अपने हाथ से अपना जूता नहीं सी सकते हैं।''

उसने आगे जो बताया, वह सब सुनकर सत्यदेव जी वहीं खड़े के खड़े रह गए। उसने कहा–''स्वामी जी, आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि मैं इस देश के शिकागो विश्वविद्यालय में एम.ए. का छात्र हूँ। मेरे पिता के पास धन की कमी नहीं, परन्तु उस धन से मेरा कोई लेना–देना नहीं। हमारे यहाँ विद्यालयों में सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। अतः अपने खाली समय में मैं यह काम करता हूँ।''

मोची की बात सुनकर स्वामीजी की आँखें खुल गईं। वे समझ गए कि भारत में स्वावलम्बन तथा श्रमनिष्ठा के अभाव के कारण ही सारी अव्यवस्था है।

संकलन: गोमाराम जीनगर
गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर, बीकानेर
मो: 9413658894

पुस्तक समीक्षा

चेखव की बंदूक

लेखक : बुलाकी शर्मा **प्रकाशक** : सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर **संस्करण** : 2015
पृष्ठ संख्या : 128 **मूल्य** : ₹250

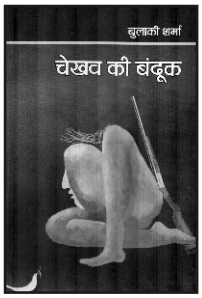

बुलाकी शर्मा हिन्दी के समकालीन व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में एक चावा-ठावा नाम है। 'दुर्घटना के इर्द गिर्द', 'रफूगिरी का मौसम' के पश्चात् उनका तीसरा व्यंग्य संग्रह 'चेखव की बन्दूक' प्रकाशित हुआ है।

व्यंग्य विसंगतियों और विडम्बनाओं से पैदा होता है। इस कृति के व्यंग्य अपने आस-पास और अपने समय की विसंगतियों की पर्याप्त पड़ताल करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में सामान्यतः व्यंग्य तात्कालीन विसंगतियों से उत्पन्न घटनाओं को ध्यान में रखकर रचे जा रहे हैं लेकिन इस संग्रह में वरिष्ठ व्यंग्यकार बुलाकी शर्मा ने इससे दूरी बनाते हुए उस मर्म को पकड़ने की कोशिश की है जिससे विसंगति उत्पन्न होती है और विडम्बना के रूप में अपनी बेचारगी के साथ समाज में पसरी रहती है। सीधे शब्दों में इस संग्रह के व्यंग्य विसंगतियों पर नहीं वरन् उसकी प्रवृत्तियों पर चोट करते नज़र आते हैं।

चेखव की इस बन्दूक में व्यंग्य की 51 गोलियाँ हैं। व्यंजना शक्ति से परिपूर्ण बिना आवाज़ की इन गोलियों से गुजरते हुए, पाठक इनके लगने से हँसता हुआ, तिलमिला जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि इस बन्दूक की गोलियाँ अलग-अलग तरह की हैं। मोटे तौर पर इस संग्रह के व्यंग्य को विषय के आधार पर पाँच भागों यथा- साहित्य, समाज, राजनीति, मानव मनोविज्ञान तथा सोशियल मीडिया में विभक्त किया जा सकता है।

समीक्ष्य कृति 'चेखव की बन्दूक' की लगभग बीस गोलियाँ तो वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य के आवरण को बेधती हुई इसमें आ रही गिरावटों को बेनकाब करती है। शीर्षक व्यंग्य 'चेखव की बंदूक' में वे साहित्य के तथाकथित वरिष्ठों की कनिष्ठों को आतंकित करने की प्रवृत्ति की खबर लेते हुए कहते हैं ''चेखव ने जो लिखा उस पर चलूँ कि नहीं चलूँ इसका निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हूँ क्योंकि चेखव बाध्य करने के लिए उपस्थित नहीं है। किंतु स्थानीय उस्ताद की उपस्थिति हर जगह-हर समय रहती है और यही उपस्थिति मुझे आतंकित बनाए रखती है।'' कहना गलत नहीं होगा कि लेखक का अत्यन्त साहित्यानुराग इस जगत को करीब से देखने में मदद करता है और इस जगत में रहकर अनुभूत की गई दुष्प्रवृत्तियों से खिन्न हो कर तवज्जो के तुरूप, ' एक जेंटलमैन प्रॉमिस', 'ये दिल मांगे मोर', 'टाइम मैनेजमेंट', 'नए साल का साहित्यिक संकल्प', 'ईश्वर दर्शन का सुख', 'कवि-भार्या का रि-एक्शन', 'सुखलालजी की विराटता'! 'वे सिर्फ लिखते हैं', 'मेरे प्रिय कवि की महिमा', 'एक जोड़ीदार की जरूरत', 'स्वयंभू उस्ताद परंपरा' और 'प्लानिंग हो गई फ्लाप' जैसे व्यंग्य लिखने के लिए मजबूर करता है।

व्यंग्य लेखन के उद्देश्य की बात करें तो एक अन्तहीन बहस की जा सकती है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर बात करें तो, यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो व्यंग्य उस दर्पण में दिखने वाला यथार्थ है। समाज में व्याप्त जिन विसंगतियों को अन्य विधाएँ सीधे कहने में संकोच करती हैं व्यंग्य अपनी तीव्रतम व्यंजनात्मकता के साथ सदा समय की विसंगतियों को सामने लाने का दायित्व निर्वहन करता रहा है इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यंग्य साहित्य की वह विधा है जो समाज के ज्यादा नजदीक है और सीधे-सीधे अपनी बात आम आदमी तक रखने की ताकत रखती है।

समीक्ष्य संग्रह में समाज में व्याप्त विसंगतियों पर भी प्रहार किया गया है। 'हमें नहीं चाहिए बैकुंठ' व्यंग्य में आज साहित्य ही क्या प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार पाने की चाहत की बढ़ती प्रवृत्ति पर चोट करते हुए कहते हैं कि ''हम बिफर गए-यह कारस्तानी हमारे विरोधियों की है। वे वहाँ जाकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे है। हमें अभी पुरस्कृत होना है। पुरस्कृत हुए बिना हम बैकुंठ जाएँगे न स्वर्गलोक, कह देना अपने धर्मराज को।'' इसी प्रकार 'भई भक्तन की भीड़' में वे आज के बाबावाद की खबर लेते हैं तो सकारात्मक सोच के प्रबुद्धजन व्यंग्य में तथाकथित सकारात्मक सोच की परतें खोलते नज़र आते हैं। इसी प्रकार 'कौरव-पाडंवों के गुरु कौन?' में वे मार्मिक ढंग से एक बाप की बेचारगी को रखते हैं तो सेवा के महातम तथा सेवा पर कैसा शक में तथाकथित समाज सेवकों की पोल खोलते हैं। 'पति परमेश्वर की अवधारणा', 'नए साल का तड़का' जैसे व्यंग्य में पति-पत्नी की साधारण सी नोकझोक के माध्यम से स्वयं पर व्यंग्य करते हुए प्रवृत्तियों को उद्घाटित करते हैं।

राजनीति आजकल व्यंग्य की मुख्यधारा है। इस संग्रह में भी 'नशा इलेक्शन में खड़े होने का' 'नेताजी को वजनी बनाने वाले', 'हम लड़ना चाहते हैं चुनाव' तथा 'हार जीत हरि के हाथ' शीर्षक व्यंग्यों में राजनीति पर व्यंग्य करते नज़र आते हैं।

हालांकि इस संग्रह के व्यंग्य विसंगतियों को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों पर चोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यंग्य जो मानव मनोविज्ञान के आधार पर आज पनप रही असामान्य मनोवृत्तियों की चुटकी लेते नज़र आते हैं। 'पाटे पर बैठने का राज', 'हम भी हो गए वैसे' में समाज में व्याप्त होती अवसरवाद की मनोवृत्ति पर चोट करते हैं तो 'सुनो ही नहीं सुनाना भी सीखो' चुपचाप रहकर सब कुछ सहन करने की आम भारतीय की आदत पर व्यंग्य करता है। इसी प्रकार 'उतरन पहनने-ओढ़ने-बिछाने के शौकीन' में तथाकथित सेलिब्रेटियों के प्रति पनपती अंधभक्ति पर चोट करते हैं। इसके अलावा 'किसे कहे आई लव यू', 'सावधानी हटी दुर्घटना घटी', 'जियो पाँच सौ साल', 'सिविलाइज्ड जैंटलमैन' जैसे व्यंग्यों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

'साच बोले कौआ काटे' और 'फेसबुक का फेस', मोबाइल और सोशियल मीडिया की तथाकथित क्रान्ति पर व्यंग्य करते है। प्रतिस्पर्धा के दस दौर में तेजी से भाग रही ज़िन्दगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है उसने मूल्य, नैतिकता जैसी बातों को किताबों तक समेट कर रख दिया है। आज जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसी विकट स्थितियों में यह व्यंग्य संग्रह समाज पीड़ा और छटपटाहट को स्वर देता नज़र

आता है, संग्रह की रचनाएँ पाठकों को हँसने गुदगुदाने के साथ तिलमिलाने और सोचने पर विवश करती हैं। लेखक ने जिस तरह समास्याओं को उभारने के लिये व्यंजना का प्रयोग किया है, वह बेजोड़ है।

बुलाकी शर्मा व्यंग्यकारों में वरिष्ठों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संग्रह के व्यंग्य की सरल भाषा इसकी विशेषता है व्यंग्यकार द्वारा राजस्थानी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर व्यंग्य को आम आदमी के लिए अधिक ग्राहय बनाया है। हिन्दी –डे डिमोस्ट्रेशन में अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी के प्रयोग से व्यंग्य ज्यादा उभर कर सामने आता है– ''रियली सखि! हमें अपनी नेशनल लेंगवेज हिन्दी के प्रति प्राउड होना चाहिए। ओनली प्रोग्राम मनाकर नहीं, ज्यादा से ज्यादा यूज़ में लेकर ही हम हिंदी के प्रति अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। रियली सखि, मुझे ऐसे लोगों से शिकायत है जो टोटल इयर में ओनली वन डे, सिर्फ एक दिन हिन्दी का गुणगान कर खुद को हिन्दी सेवी बताते हैं।'' भाषा के स्तर पर मुहावरों और कहावतों का प्रयोग तथा नए मुहावरे गढ़कर इस संग्रह के व्यंग्य शिल्प की दृष्टि से भी बेजोड़ नज़र आते हैं।

लेकिन इन सब सकारात्मकताओं के साथ कुछ ऐसा भी नज़र आता है। जो व्यंग्य को अधूरा–अधूरा सा बनाता है। ऐसा लगता है कि ये व्यंग्य जल्दबाजी में लिखे गए अथवा किसी अखबार कॉलम के हिसाब से शब्द सीमा में बंधकर लिखे गए हों। कई व्यंग्य पाठक के रसानुभूति स्तर पर पहुँचते ही व्यंग्य का समाप्त हो जाना अखरता है। खैर, बुलाकी शर्मा समर्थ व्यंग्यकार हैं उनके आगामी व्यंग्य संग्रह में कुछ विस्तार और ठहराव की उम्मीद की जाना बेमानी नहीं हैं।

व्यंग्य संग्रह की सुन्दर छपाई, अमूर्त आवरण इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जब समकालीन व्यंग्य संग्रह की चर्चा होगी तो बुलाकी शर्मा और उनकी इस कृति के बगैर वह अधूरी रहेगी।

समीक्षक : **डॉ. प्रमोद कुमार चमोली**
राधास्वामी सत्संग भवन के सामने,
गली नं.–2, अम्बेडकर कॉलोनी
पुरानी शिवबाड़ी रोड, बीकानेर
मो. 9414031050

उकळती ओकळ सूं उपज्या आखर
(श्याम महर्षि री राजस्थानी सिरजणा)

संपादक : रवि पुरोहित **प्रकाशक** : राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, श्री डूँगरगढ़ (बीकानेर), **संस्करण** : 2014 **पृष्ठ संख्या** : 384 **मूल्य** : ₹ 500

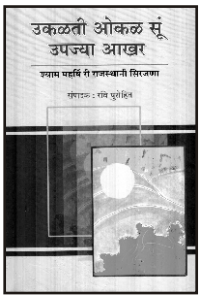

समीक्षा पुस्तक 'उकळती ओकळ सूं उपज्या आखर' में राजस्थानी एवं हिन्दी में अधिकारपूर्वक सृजन करने वाले नामचीन शब्द मनीषी श्री श्याम महर्षि के तीन दर्जन वर्षों में (1978–2014) में प्रकाशित कविता संग्रहों में सम्मिलित रचनाओं का सांगोपांग विवेचन किया गया है। महर्षिजी राजसेवा में तहसीलदार जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में व्यक्ति की व्यस्तता, तनाव एवं हायतौबा के किस्से हम आए दिन देखते रहते हैं। सामान्यतः किसी प्रशासक से यह पूछने पर कि 'उन्होंने इन दिनों क्या पढ़ा का जवाब सहज ही में 'किसके पास समय है पढ़ने का' मिलता मगर श्यामजी इसके अपवाद है। वे निरन्तर पढ़ते एवं लिखते रहे हैं।

समीक्ष्य ग्रंथ में उनके छः कविता संग्रहों यथा उकळती ओकळ (1978); साच तो है (1983); मेह सूं पैल्यां (1991); अड़वो (1996); सोनल बेळू रो समन्दर (2006); कीं तो बोल (2014) में से कविताएँ सुधि पाठकों के लिए परोसी गई है। ग्रंथ का शीर्षक उकळती ओकळ सूं उपज्या आखर वस्तुतः उनके चार दशक वर्ष पूर्व प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह 'उकळती ओकळ' से रचा गया है। किसी भी साहित्यकार की प्रथम कृति का प्रकाशन जहाँ उसके भीतर में एक गुदगुदी सी पैदा करता है वहीं पाठकों के संसार में उसे स्वीकारोक्ति मिलने/ न मिलने को अनेक शंकाएं भी खड़ी करता है। माँ सरस्वती की आराधना करते हुए शब्द की साधना करने वाले साहित्यकार कवि, कथाकार मुड़कर नहीं देखते, निरन्तर सृजनरत रहते हैं जिसके प्रमाणित उदाहरण श्याम महर्षि एवं उनका रचना संसार है। 'उकळती ओकळ' की 49 कविताओं में 'चिमनी रो धुंवों' कविता में मजदूर की बेबसी एवं दर्द का मर्मस्पर्शी विवेचन इस प्रकार किया गया है।

''मील री/चिमनी रो धुंवों/ मील मांय काम करता/ मजूरां रै/ बळतै खून/ अर गळती हाडयां री/ ओळखाण करावै।''

'साच तो है' कविता संग्रह की 26 कविताएं इस ग्रंथ में सुशोभित हैं। ये सभी बड़ी कविताएं हैं जिनमें समय एवं परिस्थितियों का बहुत ही जीवन्त वर्णन किया गया है। कवि संवेदनशील एवं विचारक होता है और इन गुणों को हर पंक्ति में अहसासा जा सकता है। कविता रोटी (पृ. 98) की शुरुआती दो लाइनें ही देख लीजिए, 'म्हारै लफांसा लेवतै पेट सूं/ थारो कांई सगपण?' हकीकत लिए भावों का बहुत ही सुन्दर चितराम इस कविता में है।

इसी प्रकार 'मेह सूं पैल्यां' से 46, 'अड़वो' से 49, 'सोनल बेळू रो समन्दर' से 57, 'कीं तो बोल' से 65 कुल मिलाकर 292 कविताएं इस संग्रह में स्थान पाई हैं। 'अड़वो' कविता संग्रह में 'माँ' कविता (पृ. 205) इस भागदौड़ के जीवन की एक कड़वी विसंगति दर्शाती है– 'माँ/थारै पगां कनै बैठ'र/ बात्यां कर्यां नै/बीतग्या बरसां रा बरस/ न थे कीं कैयो अर/न म्हैं कीं पूछयो थांनै/ के हाल हवाल है थांरा...।''

'कीं तो बोल' कविता संग्रह में कविता 'पोथ्यां' (पृ. 341) विद्यालयों में स्थित पुस्तकालयों की वस्तुस्थिति का बखान करती नज़र आती है ''बरसां सूं/आलमारी में बंद पड़ी पोथ्यां/उडीकै पढ़ेसर्यां नै/ बै पेपर फिश अर दीवळ (दीपक) सूं डरपीज र/ बोलै–अरड़ावै/ जी घुटै उणां रो...।'' बहुत ही मार्मिक संदेश इस कविता में निहित है। कहना न होगा लगभग 400 पृष्ठों के इस वृहत् ग्रंथ में सम्मिलित सभी कविताएँ कसावट के साथ अपना संदेश देते हुए शिक्षा देने में सफल हैं।

इन छहों, पुस्तकों पर समीक्षकों एवं शोधार्थियों की मीमांसात्मक टिप्पणियाँ ग्रंथ को ईमानदार प्रयास सिद्ध करते हैं। इन समीक्षकों में डॉ. मनोहर शर्मा, सरल विशारद, मोहन आलोक, डॉ. नीरज दइया, डॉ. राजेश कुमार व्यास, डॉ. कमल रंगा, आदि सभी गहन चिन्तक एवं निष्पक्ष समालोचक हैं। ग्रंथ में कवि श्री श्याम महर्षि का विस्तृत परिचय भी दिया

गया है जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हैं। संपादक श्री रवि पुरोहित शब्द साधक हैं। वे राज्य सेवामें लेखाधिकारी जैसे शुष्क रोजगार में संलग्न होने के बावजूद संवेदनशील लेखक कवि-कथाकार हैं। हिन्दी एवं राजस्थानी दो विषयों में निष्णात उपाधि प्राप्त रवि को पढ़ने लिखने के संस्कार अपने दादा भीष्म देवजी से मिले प्रतीत होते हैं। जो महान शिक्षाविद् एवं बालिका शिक्षा के प्रखर प्रवक्ता के रूप में प्रतिष्ठा पाए हैं। आखर साज श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, आवरण पृष्ठ के चित्रकार श्री रामकिशन अडिग एवं मुद्रक सांखला प्रिण्टर्स, बीकानेर सभी अपने-अपने क्षेत्र की नामचीन हस्तियाँ हैं। इन सबकी मेहनत एवं विजन से यह शब्द-हार बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है। मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों से यह ग्रंथ परे है। उच्च शिक्षा एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु यह प्रकाशन निसंदेह उपयोगी है। इन कविताओं पर गोष्ठियाँ/परिचर्चाएँ हों तो ये समाजोपयोगी विषय गतिमान होकर अन्ततः समाज का हित करने में कामयाब हो सकते हैं। आमीन।

समीक्षक : **ओम प्रकाश सारस्वत**
ए-विनायक लोक, बाबा रामदेव रोड,
गंगाशहर-334401 (बीकानेर)
मो. 9414060038

आत्म-दीप बनें

कवयित्री : डॉ. बसन्ती हर्ष **प्रकाशक** : अर्चना पब्लिकेशन, रानीसर, बीकानेर **संस्करण** : 2017
मूल्य : ₹ 150, **पृष्ठ संख्या** : 96

सृजन की चाह व्यक्ति की आदिम चाह है। प्रकृति की भाँति व्यक्ति भी स्वयं को विविध माध्यमों एवं कला रूपों में रचता, अभिव्यक्त करते आया है। प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा में मानवीय सृजन, चिन्तन, शिल्पगत कौशल और जीवन जगत के विविध रूपों की उत्कर्ष रचनाओं का शानदार इतिहास आज भी सुरक्षित है। उन्हें देखकर तथा उनका अनुशीलन करने वाली पीढ़ियां सृजन के लिए प्रतिमान रचती आई है। कविता कविकर्म की भाववाचक संज्ञा है। 'आत्म-दीप बनें' कृति में 84 कविताएं है, जो बहुत ही सुन्दर व आकर्षक हैं। डॉ. बसन्ती हर्ष की कविताएं समाज में व्याप्त विद्रूपताओं को उजागर करने में सफल रही है। डॉ. बसन्ती हर्ष ने इस कृति की कविताओं को विभिन्न शीर्षकों व उप-शीर्षकों में विभाजित किया है ताकि पाठक सुगमता व सहजता से समझ सकें। इन कविताओं के भावों में मानवीय संवेदन व करुणा के भाव परिलक्षित होते हैं। डॉ. बसन्ती हर्ष की 'आत्म-दीप बनें' हिन्दी कविताओं की रुचिकर कृतियों में शुमार की जा सकती है।

इस कृति का प्रारम्भ ईश वन्दना से होता है और वह भी परम पूज्य आराध्यदेव गणेश जी की वन्दना से। स्वर की देवी मां शारदे से लेखनी की शक्ति बनाए रखने के वरदान की अपेक्षा है।

'हुंकार, बेटियाँ', 'बेटी बचाओ', 'बनो मिसाल' एक 'नया क्षितिज' कविताओं में वर्तमान में नारी की समाज में स्थिति को लेकर स्पष्ट व सटीक विवेचन मनुष्य के भावों को उद्वेलित करता है। लेखिका ने नारी को नये क्षितिज छूने का आह्वान इन पंक्तियों में किया है।

चौका-चूल्हा और सफाई/
इन तक ही क्यों सीमित लुगाई।
नया क्षितिज शिक्षित नारी ने/
छूने में कब देर लगाई।।

''वसुधैव कुटुम्बकम्'' कविता में इस धरा पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह रहें, यह सकारात्मक कल्पना है। कवयित्री ने आपसी सदभाव पर जोर देते हुए शांति की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया है। 'माता-पिता' कविता में माता-पिता का स्नेह व उनका संरक्षण प्रतिपादित होता है। 'एकाकी परिवार' कविता में पश्चिमी सभ्यता का हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का सटीक वर्णन है कि किस प्रकार परिवार टूट रहे हैं। 'रिश्ते-नाते' कविता में आपसी सौहार्द्र न होने से जीवन का अनैतिक व असामाजिक कार्यों में लिप्त होने का खतरा है। 'टूटते परिवार' कविता में संयुक्त परिवार में हो रहे विघटन से उत्पन्न परिस्थितियों का सापेक्ष व सटीक वर्णन है। ''भाई-बहिन'' कविता में भाई-बहिन के पवित्र रिश्ते को भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

रक्षा बन्धन कविता में भी समतुल्य भाव प्रकट होते हैं। इसके अलावा ''स्वतन्त्रता दिवस, दीपावली, गणतन्त्र दिवस,'' आदि पर्वों पर लिखी कविताएँ भी भावपूर्ण तथा पाठकोपयोगी है। समाज में व्याप्त परम्पराओं पर चुनिंदा कविताएँ समाज में व्याप्त विडम्बनाओं का सटीक विवेचन है। 'कुरीतियों' को लेकर लिखी गई कविता में दहेज, मृत्युभोज आदि सामाजिक बुराइयों से दो-दो हाथ करने का सकारात्मक सन्देश है। 'नवजीवन', 'रीतियाँ', 'आदर्शवादी' कविताएँ भी सामाजिक सरोकार की कविताएँ हैं।

कवयित्री डॉ. बसन्ती हर्ष ने बहुत ही सरल व सहज भावों से कविताएँ रची है। डॉ. बसंती ने अपने चारों ओर समाज में जो अनुभव किया, देखा-परखा या सोचा, उन्हीं विषयों को लेकर काव्य विद्या में अपने भावों को शब्द शिल्प की कारीगरी से, अपनी लेखनी से सुन्दर व सामाजिक सरोकार की कविताएँ रची।

डॉ. बसन्ती हर्ष की कविताओं के बारे में उस कृति की भूमिका लिखने वाले शिक्षा विद् व विख्यात साहित्यकार डॉ. मदन सैनी का डॉ. हर्ष व उनकी कविताओं के बारे में कहना है ''जीवन के 66 वसन्त देख चुकी कवयित्री बसंती हर्ष की कविताओं में भी हर्ष है, उत्साह है, उमंग है, और है वासन्ती बयार के स्नेहिल स्पर्श का सुखद अहसास।'' डॉ. बसंती हर्ष की कविताओं की भाषा सरल व सहज है, इन्हें समझने के लिए माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती। कविताओं के भाव व्यक्ति की भावनाओं को झकझोरने में सफल रहे हैं। यह कृति पुस्तकालयों में संग्रहणीय है।

डॉ. हर्ष ने सामाजिक सरोकारों की कृति की रचना कर पाठकों का दिल जीत लिया हैं। इस सुन्दर व भावपूर्ण कृति के लिए डॉ. हर्ष को बधाई का साधुवाद।

समीक्षक : **रामजीलाल घोड़ेला**
प्रधानाचार्य
राज क्लॉथ स्टोर, लूनकरणसर-334603
मो. 9414273575

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shalaprangan.shivira@gmail.com** पर भिजवाकर सहयोग करें।

-व. संपादक

मॉडल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान

चूरू के रा. मोहता बा.उ.मा.राजगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय पं. दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण जनसंख्या शिक्षा विज्ञानमेले में भाग लेकर लौटे रा.मा.वि. दांदू विद्यालय के विजेता विद्यार्थियों का स्टाफ व प्रधानाध्यापक ने स्वागत एवं अभिनन्दन दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को शाला प्रांगण में किया। इस अवसर पर संस्थाप्रधान ने बताया कि छात्र चंद्रप्रकाश व नैतिक ने विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न

बाड़मेर (बालोतरा) के भीमरलाई गाँव स्थित रा.उ.मा. विद्यालय में तृतीय पंचायत स्तरीय (प्रा. शि.) खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक18-19 सितम्बर 2018 को किया गया। आयोजित प्रतियोगिताओं में पंचायत के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने कबड्डी, खो-खो, जिम्नास्टिक एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। मुख्य अथिति बाड़मेर जिले की श्रीमती रामेश्वरी चौधरी (प्रधानाचार्य) ने सम्बोधित करते हुए कहा कि 'लक्ष्य का पीछा करो, हार से न डरो, और अधिक मेहनत करो।' सरपंच श्रीमती ममता देवी व उपसरपंच श्री मालाराम भूंकर ने ईनाम व भोजन की व्यवस्था की। संस्थाप्रधान व आयोजन सचिव श्री मोहनाराम चौधरी ने अतिथिगण का आभार व्यक्त किया। संचालन श्री ठाकराराम प्रजापत ने किया।

सर्वधर्म प्रार्थना सभा द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र संदेश

चूरू के रतनगढ़ में 2 अक्टूबर को सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए विभिन्न धर्मों की प्रार्थनाओं तथा निर्गुण भजनों की सरस प्रस्तुतियों के साथ ग्राम लोहा में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पावन स्मरण किया गया। अवसर था राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्काउट ट्रूप द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ, रतनगढ़ के प्रधान श्री संतोष कुमार इंदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना सभा का शुभारम्भ किया। विशिष्ट अतिथि पुलिस उप अधीक्षक श्री नारायणदान चारण ने आयोजन की सार्थकता समझाते हुए विद्यार्थियों को जीवन में सदैव सद्गुण अपनाने का आह्वान किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में तहसीलदार श्री गोकुलदान चारण ने प्रेरणादायी प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी सूत्र समझाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी श्री रेवंतराम मूंड व पूर्व सरपंच श्री भँवरलाल पूनिया कार्यक्रम में उपस्थित थे। स्थानीय संघ के सहायक जिला आयुक्त श्री कुलदीप व्यास द्वारा प्रस्तुत 'तू ही राम है, तू रहीम है.....' तथा 'ए मालिक तेरे बन्दे हम, ऐसे हों हमारे करम.....' जैसे निर्गुण भजनों व मनभावन प्रार्थनाओं पर सभी ने सुर में सुर मिलाए। स्काउट मास्टर श्री भैराराम प्रजापत ने बताया कि विद्यालय प्रांगण में मंगलवार सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में सुरेशचन्द्र न्यौल, नरेन्द्र सांकृत्य व विद्यार्थियों ने सरस्वती वन्दना, राम धुन, गुरु वन्दना, गायत्री मंत्र सहित विभिन्न धर्मों की प्रार्थनाएँ प्रस्तुत की। 'सर्वेभवन्तु सुखिनः .....' के पावन संकल्प के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

विद्यार्थियों को बताया पत्र लेखन का महत्त्व

राजसमंद के कुम्भलगढ़ में 'विश्व डाक दिवस' पर महाराणा कुम्भा रा.उ.मा.वि. केलवाड़ा में 9 अक्टूबर 18 को संस्थाप्रधान श्री मोहनलाल बलाई के सानिध्य में परिचर्चा के तहत पोस्टमास्टर श्री रमेश चन्द्र प्रजापत ने आज के तकनीकी युग में पत्र लेखन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पता एवं पिनकोड के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। प्रभारी श्री सत्य नारायण नागौरी ने बताया कि दैनिक जीवन में डाक विभाग के कार्यों को जानने से विद्यार्थी का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ता है। इस अवसर पर पोस्टमैन श्री शंकरलाल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। श्री गोविन्दसिंह ने सभी का आभार जताया।

शाला में पौधारोपण कर सुरक्षित किया

भरतपुर जिले की रा.आ.उ.मा.वि. वहरामदा, नदबई में स्थानीय भामाशाह एवं शिक्षक श्री विक्रम सिंह मीना के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। लगभग पचास छायादार व फलदार वृक्ष लगाए गए। इन पौधों की सुरक्षा हेतु पौधों के पक्की ईंटों के द्वारा कवर बनवाए गए तथा इनके नियमित पानी देने व सुरक्षा की जिम्मेदारी छात्रों को बाँटी गई गई है। संस्थाप्रधान ने सभी का आभार व्यक्त किया।

विद्यालय के किराए भवन को ही खरीद कर सौंपा भामाशाह संस्था ने

सिरोही जिले का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालन्द्री, जो कि निःशुल्क किराए पर संचालित किया जा रहा था, को जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ कालन्द्री द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु भूमि मय भवन शिक्षा विभाग को दान में दे दिया गया है। अब उक्त विद्यालय जैन संघ कालन्द्री की मंशानुरूप 'श्री महावीर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालन्द्री, सिरोही' के नाम से जाना जाएगा।

इस पर विद्यालय संस्थाप्रधान श्रीमती बीना भाटिया व ग्रामीणों ने जैन संघ कालन्द्री का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि 'यह एक अनुकरणीय उदाहरण है, इसकी प्रेरणा से बहुत सी सामाजिक संस्थाएँ राजकीय विद्यालय जो किराए पर चल रहे है, को खरीद कर आदर्श प्रस्तुत कर सकेगी।'

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

चतुर्दिक समाचार

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

भारतीय वैज्ञानिकों ने नई आकाश गंगा खोजी

हमारा सौर मण्डल सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी आदि नौ ग्रहों से बना है। ऐसे हजारों सौर-मण्डलों से एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। अनन्त अंतरिक्ष में लाखों आकाश-गंगाएँ हैं। पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिक इन आकाश गंगाओं की खोज में लगे रहते हैं। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने हाल ही में एक आकाश-गंगा खोजी है जो हमारी पृथ्वी से बारह सौ करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस आकाश गंगा से प्रकाश को भी पृथ्वी पर आने में बारह सौ करोड़-साल लग जाते हैं। ध्यान रहे कि मात्र 1 सैकण्ड में प्रकाश तीन लाख कि.मी. की दूरी तय कर लेता है।

यह गैलेक्सी (आकाश गंगा) पुणै से साठ कि.मी. की दूरी पर खोड़द कस्बे में लगे रेडिया-टेलिस्कोप से खोजी गई है। यह रेडियो-दूरदर्शी यंत्र विशाल आकार का है और यहाँ कई देशों के खगोल-शास्त्री काम करते हैं। अब तक खोजी गई आकाश गंगाओं में यह पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है।

योगाभ्यास ने चैम्पियन बना दिया

इस बार एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 68 पदक जीते। इन खेलों में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार निशानेबाजी तथा मध्यम दूरी की दौड़ों सहित कई विधाओं में भारतीयों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इसके बाद भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारा देश पदक-तालिका में नौंवे स्थान पर ही रहा। चीन ने हमसे आठ गुना अधिक स्वर्ण पदक जीते।

कबड्डी भी हमारा महत्त्वपूर्ण खेल है और इस खेल में हमने लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं। इस बार भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। महिलाओं की टीम भी फाइनल में ईरान से हार गई। पुरुषों को भी ईरानियों ने ही मात दी। स्वर्ण पदक जीतने वाली ईरान की महिला टीम को भारत की पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शैलजा जैन ने प्रशिक्षित किया था। ईरान के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बाद शैलजा ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ईरानी महिलाओं को कबड्डी के साथ-साथ योग और प्राणायाम का भी अभ्यास कराया। इसी से उनमें ठण्डे दिमाग से खेलने का गुण तथा जीवट पैदा हुआ।

गुर्दों की चिकित्सा में आयुर्वेद का लोहा अमरीका ने भी माना

अमरीका का 'जर्नल ऑफ फर्मिस्ट्यूकल रिसर्च' दुनिया की एक प्रतिष्ठित शोध-पत्रिका है। इसके ताजा अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ है। जिसमें बताया गया है कि गुर्दों के खराब होने पर आयुर्वेद की दवाएँ राम-बाण का काम करती हैं। आयुर्वेद की दवाओं से न केवल बीमारी को ठीक किया जा सकता है बल्कि बीमारी से मृत हुई कोशिकाओं को भी फिर से जीवित किया जा सकता है।

अमरीका की उक्त शोध-पत्रिका में बताया गया है कि अदरक, प्याज और लहसुन का लगातार उपयोग करने से गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। लोयोला विवि शिकागो के डॉ. होली क्रमर भी गुर्दों पर आयुर्वेद दवाओं का परीक्षण करने वाले चिकित्सक दल में थे। उनके अनुसार पौष्टिक और शाकाहारी आकार भी गुर्दों को स्वस्थ रखता है।

रतनजोत के तेल से उड़ा वायुयान

ऊर्जा के स्रोत के रूप में जैव-ईंधन पर भारत में लम्बे समय से शोध चल रह है। यह ईंधन (बायो-डीजल) रतनजोत के बीजों व अन्य वनस्पतियों से भी बनता है।

बीती 27 अगस्त को एक हवाई जहाज में रतनजोत के बीजों से बना जैव-ईंधन ही भरा गया। स्पाइस-जेट के इस विमान में कुछ प्रमुख अधिकारियों के साथ बीस यात्री भी बैठे। देहरादून से इस विमान ने उड़ान भरी और पौन घंटे में दो सौ किमी. की हवाई दूरी तय कर दिल्ली पहुँच गया। विमान चालकों के दल ने बताया कि जैव-ईंधन से विमान ने अधिक सुगमना से उड़ान भरी। इसमें वायु-प्रदूषण भी काफी कम होता है। इस जैव-ईंधन के लोकप्रिय होने से पेट्रोल-डीजल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी तथा आर्थिक भार भी कम होगा।

महर्षि भरद्वाज के ग्रन्थ 'यंत्र-सर्वस्त्र' के 'वैमानिक-शास्त्र' भाग में वायुयान के लिए कई प्रकार के ईंधनों का वर्णन हैं। ऋषि भरद्वाज ने लिखा है कि विमान वायुमण्डल से प्राप्त ऊर्जा से उड़ान भर सकता है। इसके अतिरिक्त आकाश में उड़ते हुए कोई वायुयान सूर्य की किरणों की ऊर्जा प्राप्त कर उड़ान जारी रख सकता है। इन वैकल्पिक स्रोतों पर भी शोध होना चाहिए।

जयपुर की बेटी के स्टार्टअप को लंदन में मिला मंच

जयपुर निवासी चांदनी जैन के स्टार्टअप को लंदन में दुनिया की बड़ी कम्पनियों के बीच मंच मिला। चांदनी ने संसार की 800 बड़ी कम्पनियों के सीईओ.व इन्वेस्टर्स के सामने अपने स्टार्टअप का प्रजेंटेशन दिया। चांदनी 'भारती' की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली एक मात्र महिला थी। चांदनी की माँ ने बताया कि आईआईटी. कानपुर से एमएस. कर शिकागो में एक बड़ी ट्रेडिंग कम्पनी में जॉब करने लगी। डेढ़ साल पहले जॉब छोड़ भारत लौटी चांदनी ने अपने भाई शुभम जैन के साथ 'ऑकवन' नाम से स्टार्टअप शुरू किया जो कि फाइनेंस व ट्रेडिंग सेंटर में काम कर रहा है। कुछ समय पहले लंदन की टेकस्टार कम्पनी ने विश्व के टॉप दस स्टार्टअप में ऑकवन को चुना तथा उन्हें लंदन में बुलाकर मेंटरशिप दी गई। ऑफिस दिया, साथ ही इन्वेस्टर्स से मिलवाया। इसके आखिर में दुनिया के टॉप 800 सीईओ. के बीच उन्होंने अपना शानदार प्रजेंटेशन देकर स्टार्टअप की दुनिया में जयपुर की बेटी चांदनी ने भारत देश का गौरव बढ़ाया।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

पाली

रा.आ.उ.मा.वि. बासना, तह. सोजत में श्री मांगीलाल बेरा झालरा द्वारा मेन गेट फाटक जिसकी लागत 15,000 रुपये, श्री जीताराम मेघवाल द्वारा मेन गेट बोर्ड एवं हेण्डबाल पोल जिसकी लागत 16,000 रुपये। **रा.मा.वि. ठाकुरला** में श्री अशोक सिंह राजपुरोहित द्वारा प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 6,00,000 रुपये, श्री मोहन घांची से प्र.अ. कक्ष में फर्नीचर हेतु प्राप्त जिसकी लागत 51,000 रुपये, सर्वश्री मूलसिंह, वकतावर सिंह, छगन जी, पुरब राजपुरोहित से स्टील बेंच व टी टेबल प्राप्त जिसकी लागत 8,000 रुपये, श्री रूपसिंह राजपुरोहित से इन्टेक्स एसी. प्राप्त जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री सुरेश सिंह राजपुरोहित से एक बायोमैट्रिक मशीन व कम्प्यूटर प्राप्त जिसकी लागत 35,000 रुपये।

बाड़मेर

रा.आ.उ.मा.वि. गोपड़ी, पं.स. बालोतरा को श्रीमती सुमन चौधरी द्वारा कक्षा प्रथम से पाँचवी के समस्त बच्चों के लिए ऊनी स्वेटर (कुल तादाद 100) जिसकी लागत 18,000 रुपये, तथा कक्षा VI-XII के समस्त बच्चों को Fine Grip Pen तादात 200 जिसकी लागत 2,000 रुपये, कुक कम हेल्पर 3+एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए वेश उपहार स्वरूप भेंट जिसकी लागत 1,000 रुपये। **रा.आ. उ.मा.वि. होडू** को जनसहयोग से एक इन्वर्टर प्राप्त जिसकी लागत 25,000 रुपये एवं C.C.T.V. कैमरा व ऑपरेटिंग सिस्टम प्राप्त जिसकी लागत 45,000 रुपये। **रा.आ.उ.मा.वि. शोब** में श्री धनराज लुणिया द्वारा शाला प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 5,00,000 रुपये, श्री दूदाराम कांदली शोब से प्रधानाचार्य कक्ष का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 7,50,000 रुपये, श्री वगताराम कुरड़ शोब द्वारा प्याऊ मय प्लास्टिक टंकी, फ्रिज आदि विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 50,000 रुपये, श्री हरकचन्द खेमजी लुणिया से 47 टेबल-स्टूल सैट प्राप्त जिसकी लागत 35,000 रुपये, श्री परबत सिंह मेहचा से 50 टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 40,000 रुपये, श्री दूदाराम चौधरी से 31 टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 26,785 रुपये, सर्वश्री वगताराम चौधरी, छोगाराम चौधरी से 15-15 टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी प्रत्येक की लागत 11,000-11,000 रुपये, महादेव स्टोन क्रेशर शोब से माइक सैट व भाषण स्टेण्ड प्राप्त जिसकी लागत 11,000 रुपये, जगमाल सिंह से एक अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 11,000 रुपये, कक्षा-XII के विद्यार्थियों से दो अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 11,500 रुपये। **रा.आ.उ.मा. वि., लापुन्दड़ा, पं.स.-गिड़ा** में श्री देवी सिंह जी द्वारा पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 50,000 रुपये, श्री धनसिंह जी द्वारा टीन शैड का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 1,30,000 रुपये। श्री जोगाराम जी द्वारा कमरा व सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 2,00,000 रुपये, श्री करनाराम जी से लोहे का फर्नीचर प्राप्त जिसकी लागत 1,00,000 रुपये, श्री हरिसिंह जी से सरस्वती मूर्ति प्राप्त जिसकी लागत 20,000 रुपये। **श्रीमती भंवरी देवी सोहनराज सालेचा रा.आ.उ. मा.वि. पचपदरानगर** में सेठ श्री सोहनराज सालेचा द्वारा निम्नांकित कार्य करवाए गए- तीन हॉल (कक्षा-कक्ष-प्रयोगशाला) का निर्माण करवाया गया। मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत 9,60,000 रुपये का चैक SDMC. पचपदरा को समर्पित। प्याऊ का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 5,00,000 रुपये, सम्पूर्ण विद्यालय की चार दीवारी चार फीट से

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-व. संपादक**

हमारे भामाशाह

बढ़ाकर 6 फीट तक की गई जिसकी लागत 5,00,000 रुपये, विद्यालय का भव्य मुख्य द्वार गेट व छीतर पत्थर से निर्मित घुमटियों का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 5,00,000 रुपये, विद्यालय के मुख्यद्वार के बाहर दोनों ओर दो सुन्दर (40×80) वाटिकाओं का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 3,00,000 रुपये, सम्पूर्ण विद्यालय का रंग-रोगन व टूट-फूट मरम्मत कार्य, जिसकी लागत 1,50,000 रुपये, चार दीवारी के पास एक सहायक कर्मचारी का मरम्मत कार्य पक्षियों के लिए चुग्गागृह, गाय इत्यादि पशुओं के पीने हेतु पानी का होद का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 3,00,000 रुपये, बालिकाओं हेतु शौचालय का निर्माण जिसकी लागत 1,50,000 रुपये, मंच का निर्माण जिसकी लागत 2,00,000 रुपये, शौचालय मरम्मत हेतु 50,000 रुपये, भारत माता व सरस्वती की प्रतिमा लगवाई जिसकी लागत 1,00,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि. असाडा** को श्री घेवरराम मेघवाल से वाटर कूलर मशीन प्राप्त जिसकी लागत 35,000 रुपये, श्री डायाराम टोंटिया से एक प्रिंसीपल ऑफिस टेबल प्राप्त जिसकी लागत 20,000 रुपये, श्रीमती सुशीला देवी चौधरी से एक इलेक्ट्रॉनिक बेल प्राप्त जिसकी लागत 15,000 रुपये, श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा पानी की निःशुल्क व्यवस्था हेतु खर्च 30,000 रुपये, श्री राणमल जी से एक पोर्टेबल माइक सैट प्राप्त जिसकी लागत 8,000 रुपये, एडवोकेट श्री बाबूलाल ओड द्वारा विद्यालय एवं शिक्षा विभागीय योजना एवं उपलब्धियाँ प्रदर्शन होर्डिंग बोर्ड बड़ी साइज मय फ्रेम जिसकी लागत 10,000 रुपये, श्री देमाराम पौंण से पानी की निशुल्क व्यवस्था हेतु 30,000 रुपये खर्च। **रा.मा.वि., दरूडा** को श्री पदमसिंह राठौड़ से 50 फर्नीचर सेट (50 स्टूल+50 टेबल) विद्यालय को सप्रेम भेंट।

बीकानेर

रा.उ.मा.वि. शिवबाड़ी को सर्वश्री बलवीर सिंह गुंसाईवाल, डॉ. अरुण गुंसाईवाल, श्रीमती कमला गुंसाईवाल तथा सिकंदर यादव द्वारा विद्यार्थियों को 125 स्वेटरों का वितरण किया गया। **रा.उ.मा.वि. शेरपुरा (लूणकरणसर)** को श्री जयचन्द्र तिवाड़ी से लोहे की 10 टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 10,000 रुपये, श्री देवीलाल सारस्वा (सरपंच) से लोहे की 21 टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 21,000 रुपये, सर्वश्री शिवदयाल शर्मा, कुंभदास स्वामी, जय माँ भारती क्लब, रामेश्वर लाल जाखड़, भीमसेन सियाग प्रत्येक से लोहे की 5 स्टूल टेबल जिसकी प्रत्येक की लागत 5,000 रुपये, श्री शंकर लाल कुम्हार से लोहे की 3 स्टूल-टेबल प्राप्त जिसकी लागत 3,000 रुपये, श्री मदनगर से लोहे की 2 स्टूल-टेबल प्राप्त जिसकी लागत 2,000 रुपये। सर्वश्री संत कुमार शर्मा, भागीरथ मूण्ड, राजूराम रेगर, मोहसीन खान, महेन्द्र पूनियाँ, रूकमणी, बजरंग गोस्वामी, ओम प्रकाश, संदीप सिंह, कन्हैयालाल योगी, नरसाराम सुथार, अनिल कुमार, उर्मिला गोदारा, कृष्णा बेनीवाल, सुमन चौधरी, मीनु शर्मा, शंकर लाल शर्मा, कालुराम, महावीर झोरड़, रामकुमार गोदारा, मांगीगर प्रत्येक से लोहे की एक-एक स्टूल-टेबल प्राप्त प्रत्येक की लागत 1,000-1,000 रुपये, सर्वश्री संतदास स्वामी (पूर्व प्रधान लूणकरणसर), रामेश्वर लाल जाखड़, बाबूलाल, हनुमानगर, हरिगर, लेखराम डूडी, रामलाल झोरड़, रामचन्द्र स्वामी, नारायणराम शर्मा, सत्यनारायण शर्मा प्रत्येक से एक-एक छत पंखा प्राप्त हुआ जिसकी प्रत्येक की लागत 1,750-1,750 रुपये, श्री देवीलाल सारस्वा (सरपंच) से 02 पंखे प्राप्त जिसकी लागत 2,400 रुपये, सर्वश्री मखनलाल मीणा, केवलाराम शर्मा से एक-एक पंखा प्राप्त हुआ जिसकी प्रत्येक की लागत 1,200-1,200 रुपये, सर्व श्रीमती उर्मिला गोदारा, कृष्णा बेनीवाल, सुमन चौधरी, मीनु शर्मा से एक-एक अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 1,000-1,000 रुपये, श्री कालुराम से एक अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 1,500 रुपये। **रा.उ.मा.वि. बिरमसर (नोखा)** को श्री हरिराम भाम्भू ने अपने गुरुजनों को 10 लॉकर्स की एक अलमारी गुरु दक्षिणा स्वरूप भेंट की। संकलन : **प्रकाशन सहायक**

शिविरा पत्रिका (मासिक) : नवम्बर, 2018 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। वरिष्ठ सम्पादकः श्रीमती संतोष शर्मा, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

चित्रवीथिका : माह नवम्बर, 2018

राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के प्रांगण में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा (प्रा.शि.) में राज्य स्तरीय मेरिट में तृतीय स्थान प्राप्त छात्रा को लेपटॉप प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती नूतनबाला कपिला, संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, शिक्षा अधिकारी एवं लेपटॉप प्राप्त छात्र–छात्राएँ।

रा.उ.मा.वि. नूआँ (झुंझुनूं) में बाल वाटिका का निर्माण करवाकर विद्यालय को भेंट करते हुए भामाशाह श्री सुभाष चन्द्र कस्वाँ (से.नि. प्राध्यापक), अतिथिगण व उपस्थित शाला परिवार।

केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,21,000 रुपये का चैक स्काउट गाइड के स्टेट कमिश्नर (स्कूल शिक्षा) एवं निदेशक मा.शि. श्री नथमल डिडेल को सौंपते हुए राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के पदाधिकारी।

रा.उ.मा.वि. भेडाना, गुड़ामलानी, (बाड़मेर) में 'अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस' के अवसर पर 'एक दिन बालिकाओं के नाम' कार्यक्रम शाला प्रांगण में उत्साहपूर्वक मनाती हुई बालिकाएँ एवं शिक्षकवृन्द।

रा.उ.मा.वि., रेवत, (जालोर) परिसर में दिनांक 18 अक्टू. 2018 को आयोजित नारी सम्मान के प्रतीक कन्यापूजन समारोह में पूजन करते हुए उपखण्ड अधिकारी श्री राजेन्द्रसिंह सिसोदिया, शिक्षक व शाला परिवार।

राजकीय चौपड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाशहर, बीकानेर में आयोजित 'स्टूडेण्ट कॅरियर मोटिवेशन' कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज श्री दिनेश एम.एन. तथा से.नि. संयुक्त निदेशक (मा.शि.) डॉ. विजय शंकर आचार्य एवं सम्मानित मंच।

डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/417/2017-19
शिविरा पत्रिका (मासिक) ● नवम्बर, 2018
प्रकाशन तिथि : 2 नवम्बर, 2018 पृष्ठ 52 ● प्रेषण : माह की 5-6 तारीख
समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66

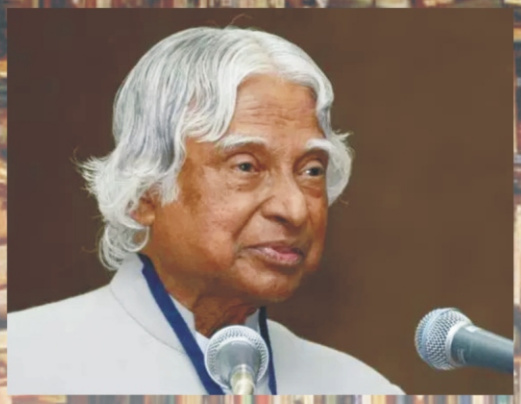

विद्यार्थी दिवस की शुभकामनाएँ...

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर-334011